SYLLABUS

One Paper		***Max. Marks :100***
Units		***Marks***
1.	Nature and Purpose of Business	08
2.	Forms of Business Organisation	12
3.	Public, Private and Global Enterprises	08
4.	Business Services	10
5.	Emerging Mode of Business	06
6.	Social Responsibility and Business Ethics	06
7.	Sources of Business Finance	14
8.	Small Business	06
9.	Internal Trade	12
10.	International Business	08
11.	Project work	10
		100

अध्याय 1

व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य

आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं

सभी व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव को विभिन्न क्रियाओं द्वारा धन कमाना पड़ता है। मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं : -

आधार	आर्थिक क्रियाएं	गैर-आर्थिक क्रियाएं
उद्देश्य	वे क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है।	इन क्रियाओं का उद्देश्य लाभ व धन कमाना नही होता अपितु ये सामाजिक स्नेह व भावनाओं की आत्म संतुष्टि के लिए की जाती है।
उदाहरण	लोगो का कारखानों में काम करना एक अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाना	एक ग्रहणी का अपने परिवार के लिए खाना बनना एक अध्यापक द्वारा घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना

व्यवसाय का अर्थ

व्यवसाय के अंतर्गत वह आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय अथवा विनिमय, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित हैं ताकि लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करके आय अथवा लाभ कमाया जा सके।

व्यवसाय की विशेषताएं

आर्थिक क्रिया :- व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जो धन अथवा आजीविका कमाने के लिए की जाती है।

2. उत्पादन एवं वितरण :- व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण से संबंधित होती है।

3. वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन-देन :- व्यवसाय के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन-देन अतिआवश्यक है। जिन वस्तुओं का निर्माण किया गया है अथवा वे क्रय करके प्राप्त की गई है उन्हें बेचना व्यवसाय का सार है।

4. नियमित लेन-देन :- व्यवसाय में वस्तुओं व सेवाओं का क्रय-विक्रय नियमित या बार-बार होना चाहिए। यदि ऐसा नही हैं तो वह व्यवसाय नहीं कहलाता।

5. लाभ कमाने का उद्देश्य:- प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है किसी भी व्यवसाय का कायम रहना उसकी लाभ कमाने की योग्यता पर निर्भर करता है।

6. अनिश्चितता :- व्यवसाय करने से लाभ होगा अथवा हानि इस संबंध में अनिश्चितता रहती है।

7. जोखिम का तत्व :- सभी व्यावसायिक क्रियाओं में कुछ जोखिम व अनिश्चितता का तत्व रहता है। ये जोखिम हड़ताल, आग, चोरी, उपभोक्ताओं की रूचि में बदलाव इत्यादि से संबंधित हो सकते है।

व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में तुलना

आर्थिक क्रियाएं

व्यवसाय	पेशा	रोजगार
व्यापार	मेडिकल	श्रमिक
मछली पकड़ना	कानूनी	प्रबंधक
परिवहन	चार्टड एकाउन्टेन्ट्स	सेल्समैन

व्यवसाय :- इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है।

पेशा :- जब एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके समाज को अपनी सेवाएं देता है तथा बदले में मजदूरी, वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है।

	आधार	**व्यवसाय**	**पेशा**	**रोजगार**
1.	प्रारंभ	व्यवसायी निर्णय द्वारा या कोई कानूनी कार्यवाही पूरी करके शुरू किया जाता है।	संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेकर प्रारंभ किया जाता है	इसमें नियुक्ति पत्र प्राप्त करना पड़ता है।
2.	कार्य की प्रकृति	इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन व लेन-देन आता है।	अपनी विशिष्ट सेवाओं को व्यक्तिओं को प्रदान करना।	जो काम मालिक सौप दे वही पूरा करना
3.	योग्यताएं	इसमें किसी औपचारिक योग्यता का होना जरूरी नही है।	औपचारिक योग्यता का होना जरूरी है	मालिक द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की जाएं
4.	लाभ अथवा पारिश्रमिक	इसमें लाभ प्राप्त होता है	पेशेवर फीस प्राप्त होती है	मजदूरी या वेतन आदि प्राप्त होता है।

5.	पूंजी निवेश	व्यवसाय के आकार एवं स्वरूप के अनुसार पूंजी की आवश्यकता होती है।	कार्यालय की स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता।	पूंजी की आवश्यकता नही होती।
6.	जोखिम	अधिक होता है।	कम होता है।	नहीं होता है।
7.	आचार संहिता	नहीं होती है।	आचार संहिता का पालन करना होता है।	स्वामी द्वारा बनाए गए नियम महत्वपूर्ण होते है।

व्यवसाय के उद्देश्य :- यद्यपि व्यावसायिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इससे हमं यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि लाभ कमाना ही व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य है। व्यवसाय के उद्देश्य बहुआयामी प्रकृति के है। जिनकी व्याख्या इस प्रकार है।

1. बाजार स्थिति :- एक गतिशील उद्यम का यह निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि वह प्रतियोगी कीमतों पर अच्छी वस्तुएं एवं सेवाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराकर ग्राहकों को स्थायी रूप से अपना बनाते हुए बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करे।

2. नव-प्रवर्तन :- नए-नए उत्पाद खोजना तथा उनके नए-नए उपयोग विकसित करना ही नवप्रर्वतन कहलाता है। इससे पुराने ग्राहकों को बनाए रखा जा सकता है। और नये ग्राहको को अपनी और आर्कषित किया जा सकता है।

3. उत्पादकता :- व्यवसाय का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनो का कुशलतम उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाना होना चाहिए। इससे प्रति इकाई उत्पादन लागत कम आएगी।

4. लाभ कमाना :- प्रत्येक व्यवसाय का नियोजित पूंजी पर उचित लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि व्यवसाय की प्रगति और जीवन के लिए लाभ आवश्यक होता है।

5. भौतिक एवं वित्तीय साधन :- एक व्यवसायिक उपक्रम को वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए भौतिक साधन (मशीनरी, भवन, यन्त्र आदि) और वित्तीय साधन (कोष) की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के इन साधनों को मितव्ययी दरों पर प्राप्त करने का तथा कुशलतम उपयोग करने का उद्देश्य होना चाहिए।

6. श्रमिकों का दृष्टिकोण एवं निष्पादन :- व्यावसायिक उपक्रम को कर्मचारियों का अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए उनकी अभिरूचि को उद्यम के प्रति सकरात्मक बनाना चाहिए। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा तथा वे अधिक अभिप्रेरित होगें।

7. सामाजिक दायित्व :- व्यवसाय समाज का अभिन्न अंग है तथा व्यवसाय का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह भी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन करें। उदाहरण के लिए अच्छी किस्म की वस्तुए प्रदान करना। समाज में रोजगार के नए अवसर पैदा करना। अपने आस-पास पर्यावरण को सुरक्षित रखना इत्यादि।

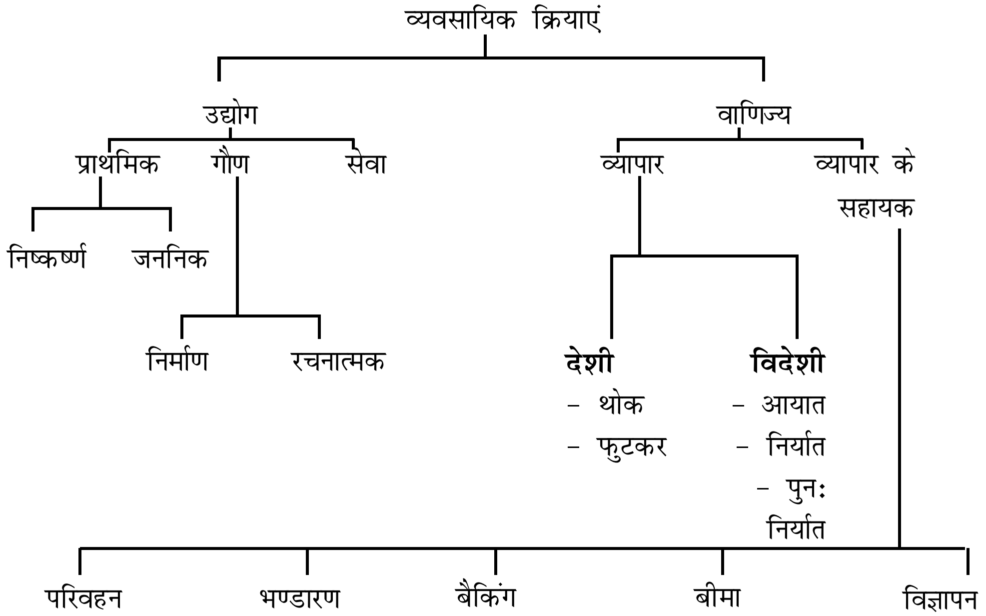

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उद्योगों को हम दो भागो में बांटते है

1. प्राथमिक उद्योग :- प्राथमिक उद्योग मे वे क्रियाएं आती है जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध किया जाता है। प्राकृतिक उद्योग दो प्रकार के होते है।

(अ) निष्कर्षण उद्योग :- इनमे वे उद्योग सम्मिलित किये जाते हैं जो पृथ्वी या पृथ्वी के तल या समुद्र तल से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकालने से संबंध रखते है जैसे कृषि, खानों से विभिन्न पदार्थ निकालना इत्यादि।

(ब) जननिक उद्योग :- इनमें वनस्पति एवं पशुओं की विशिष्ट नस्लों में सुधार एवं उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी आदि।

2. द्वितीयक या गौण उद्योग :- इन उद्योगो में प्राथमिक उद्योगों से जो पदार्थ प्राप्त किये जाते है। उनको नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कपास प्राथमिक उद्योग की क्रिया है और उससे कपड़ा बनाना गौण उद्योग की। गौण उद्योग दो प्रकार के होते है -

(1) निर्माणी उद्योग :- ये उद्योग कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करते हैं जैसे गन्ने से चीनी निर्माणी उद्योग को पुनः चार भागो में बांटा जा सकता है।

(i) विश्लेषणात्मक :- इसके अन्तर्गत एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल आदि।

(ii) प्रविधिक :- इसके अंतर्गत वे उद्योग आते है जिनमें कच्चे माल को विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया से निकालकर उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती है जैसे कच्चे लोहे से इस्पात।

(iii) सम्मिश्रण उद्योग - इसके अंतर्गत अनेक कच्चे पदार्थो को मिलाकर एक नया उपयोगी पदार्थ तैयार किया जाता है। जैसे चूना, पत्थर, जिप्सम व कोयले को मिलाकर सीमेंट तैयार करना, साबुन, उर्वरक आदि।

(iv) संयोजक उद्योग :- इसमें विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित पुर्जो को जोड़कर नई-नई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जैसे घड़िया, टेलिविजन कम्पयूटर आदि।

2. **रचनात्मक उद्योग** :- इन उद्योगो में दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किये जाते है जैसे - सीमेंट, लोहा, ईट, लकड़ी इत्यादि का इस्तेमाल करके भवन, सड़के, बांध , पुल आदि बनाये जाते है।

3. **तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र** :- इन उद्योगो में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को नियमित गति से चलने में सहायता करती है जैसे - यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन, संग्रहण आदि।

वाणिज्य का अर्थ एवं कार्य :- वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का समूह है जो वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित है। उत्पादक तथा उपभोक्ता की वस्तु विनिमय संबंधी सभी कठिनाइयाँ वाणिज्य द्वारा दूर की जाती है।

वाणिज्य के कार्य निम्नलिखित है :-

(1) व्यक्तियों से संबंधित बाधा को दूर करना :- उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच यह बाधा दूर करने के लिए थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी व एजेंटो आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(2) स्थान संबंधी बाधा को दूर करना - परिवहन के विभिन्न साधनो द्वारा दूर किया जाता है।

(3) समय संबंधी बाधा दूर करना - भंडारग्रह या संग्रहन के द्वारा किया जाता है।

(4) वित्त की बाधा को दूर करना - बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा हल की जाती है

(5) जोखिम की बाधा को दूर करना - बीमा की सहायता से की जाती है।

(6) सूचना की बाधा को दूर करना - विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं के ज्ञान की बाधा को दूर किया जा सकता है।

व्यापार का अर्थ एवं प्रकार :- जब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय-विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है तो इसे व्यापार कहा जाता है। व्यापार दो प्रकार का होता है -

(1) देशी व्यापार :- इस व्यापार में देश की सीमाओं के अंदर ही वस्तुओं का क्रय-विक्रय किया जाता है। देशी व्यापार को दो भागों में बांट सकते है :-

(अ) थोक व्यापार :-यह विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को अधिक मात्रा में क्रय एवं विक्रय करने से संबंधित है।

(ब) फुटकर व्यापार :- फुटकर व्यापारी वस्तुओं का क्रय-विक्रय थोड़ी मात्रा में करता है और ग्राहको को थोड़ी मात्रा में नकद व उधार बेचता है।

(2) विदेशी व्यापार :- यह व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है। विदेशी व्यापार के प्रकार निम्नलिखित है :-

(1) आयात व्यापार : जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल क्रय करता है।

(2) निर्यात व्यापार : जब माल एक देश के व्यापारी द्वारा दूसरे देश के व्यापारियों को बेचा जाता है तब माल बेचने वाले व्यापारी के देश के लिए निर्यात व्यापार कहलायेगा।

(3) पुन: निर्यात व्यापार : जब एक देश द्वारा माल किसी अन्य देश से आयात करके किसी तीसरे देश को निर्यात कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भारतीय फर्म ने श्रीलंका से सामान मंगवाकर नेपाल को निर्यात कर दिया।

व्यापार की सहायक क्रियाएं :- ऐसी सभी क्रियाएं जो व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है, व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती है। व्यापार की सहायक क्रियाएं निम्नलिखित है :-

1. परिवहन एवं संदेशवाहन :- वस्तुओं को उत्पादक स्थान से उपभोक्ता स्थान तक पहुँचाने में बाधा उत्पन्न होती है जिसे परिवहन द्वारा दूर किया जा सकता है। इस बाधा का दूसरा पहलू यह भी है कि उत्पादक व क्रेता दूर-दूर स्थानों पर होते हैं तो वस्तुओं के सौदे करने में बाधा आती है। इस समस्या का समाधान संदेशवाहन जैसे - टेलिफोन, डाकघर सेवाएं, इंटरनेट आदि द्वारा किया जाता है।

2. बैंकिग - उद्योगों व व्यावसायिक फर्मो को समय-समय पर वित्त की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वित्त के अभाव में व्यापार करना कठिन हो जाता है। इस बाधा को बैंकिग की सहायता से दूर किया जा सकता है।

3. बीमा - जब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तब मार्ग में सामान लाने ले जाने या संग्रहण के समय वस्तुओं के चोरी हो जाने या टूट-फूट जाने का खतरा रहता है। इसका समाधान बीमा की सहायता से किया जा सकता है।

4. संग्रहण - कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके उत्पादन और उपभोग के बीच कुछ समय का अंतर होता है अत: तैयार माल को उसके उत्पादन समय से उपभोग समय तक संग्रह करके रखना पड़ता है। इस समस्या का भंडारग्रहों की सहायता से दूर किया जा सकता है।

5. विज्ञापन - आज बढ़ती हुई प्रतियोगिता को देखते हुए उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अत: उत्पादित माल को शीघ्र और नियमित बिक्री करने के लिए विज्ञापन की सहायता ली जाती है।

उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार में अंतर

	आधार	उद्योग	वाणिज्य	व्यापार
1.	अर्थ	इसमें वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण किया जाता है।	उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण किया जाता है।	वस्तुओं का क्रय -विक्रय किया जाता है।
2.	क्षेत्र	इसमें प्राथमिक गौण तथा सेवा उद्योग आते है।	व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाएं आती है।	देशी व विदेशी व्यापार सम्मिलित किया जाता है।
3.	पूंजी	अधिक मात्रा में जरूरत होती है।	कम मात्रा में जरूरत होती है।	पूंजी की मात्रा व्यापार की प्रकृति पर निर्भर करती है।
4.	जोखिम	सबसे अधिक	उद्योग की अपेक्षा कम	कम जोखिम
5.	उपयोगिता सृजन	रूप उपयोगिता का सृजन होता है।	स्थान व समय उपयोगिता	स्वामित्व उपयोगिता

व्यावसायिक जोखिम :- भविष्य अनिश्चित होता है और यह अनिश्चितता जोखिम को जन्म देती है। व्यवसाय के संदर्भ में जोखिम के उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते है जैसे ग्राहकों की रूचि में बदलाव, श्रमिकों की हड़ताल, बाढ़ या भूकंप इत्यादि।

व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति :-

1. जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम :- सभी व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होते हैं जैसे कि हड़ताल, मूल्यों में परिवर्तन, मांग का गलत अनुमान, सूखा इत्यादि।
2. जोखिम से बचा नहीं जा सकता :- जोखिमों के जाल से निकलना व्यवसायी के लिए संभव नहीं है क्योकि व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित है। जोखिमों को समाप्त नही किया जा सकता है।
3. जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार : जोखिम की मात्रा छोटे आकार के व्यवसाय के लिए कम और बड़े आकार के व्यवसाय में अधिक होती है।
4. जोखिम का प्रतिफल लाभ : व्यवसाय में जोखिम उठाने के बदले जो कुछ व्यवसायी को मिलता है वह उसका लाभ होता है। जिन व्यवसायों में जोखिम नहीं होता उसमें लाभ भी नहीं होता । जितना अधिक जोखिम होता है उतने अधिक लाभ की संभावना होती है।

व्यावसायिक जोखिमों के कारण

1. प्राकृतिक कारण :- इसके अन्तर्गत वे कारण आते है जिन पर मनुष्य का कोई वश नही चलता जैसे तूफान, भूचाल, आग आदि

2. मानवीय कारण :- मानव की असावधानी, हड़ताल बेईमानी या जल्दबाजी के कारण ये जोखिम उत्पन्न होते है।

3. आर्थिक कारण :- मांग व मूल्यों में उतार चढ़ाव कड़ी प्रतियोगिता, फैशन मे परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन से संबंधित होते है।

4. अन्य कारण :- उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त वे सभी कारण आते है जिनसे व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होते हैं जैसे कि राजनीतिक कारण, यान्त्रिक कारण, अकुशल व्यावसायिक प्रबन्धक इत्यादि

व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान रखने योग्य बाते :-

1. व्यवसाय का चुनाव :- एक व्यवसायी को भलीभांति सोचकर ही व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। उसे यह निर्णय लेना होता है कि वह ट्रेडिंग, निर्माणी तथा सेवा में से किस प्रकार का व्यापार करना चाहता है।

2. व्यवसाय का पैमाना :- व्यवसाय के चयन के बाद उसके आकार का निर्णय लिया जाता है। इसको निर्धारित करते समय पूंजी की उपलब्धि, जोखिम तत्व, प्रबन्धकीय क्षमता आदि का ध्यान रखना चाहिए।

3. व्यवसाय के प्रारूप का चयन :- यदि छोटे पैमाने पर व्यवसाय करना हो और व्यवसायी के स्वयं के पास उसे प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त पूंजी है तो एकाकी व्यवसाय उपयुक्त रहता है अन्यथा साझेदारी या कम्पनी मे से चयन करना होगा।

4. व्यवसाय के स्थान का चुनाव :- यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। निर्णय लेते समय कुछ बातो का ध्यान अवश्य रखना चाहिए जैसे कच्चे माल की सुविधा। श्रमिक सस्ते व पर्याप्त मात्रा में, यातायात व बैंकिग सुविधाएं इत्यादि।

5. वित्त की व्यवस्था करना :- पूंजी की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए इसके बाद इसे प्राप्ति के स्त्रोतों का निर्धारण करना चाहिए।

6. भौतिक सुविधाएं :- एक नया उपक्रम शुरू करने से पहले वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों एवं उपकरणों का चुनाव करना भी एक नाजुक समस्या है।

7. संयंत्र की स्थापना :- मशीनों को क्रय करने के बाद इन्हें कारखानों के भवन में लगाने की योजना बनाई जाती है।

8. कार्यबल :- व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत से कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जिसमें कुशल एवं अकुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय कर्मचारी शामिल होते है। उपक्रम के लिए सही व्यक्तियों का चुनाव करना आवश्क है।

9. कर नियोजन :- व्यवसाय अथवा व्यवसाय के आकार का निर्णय लेते समय कर संबंधी विभिन्न कानूनों को भी ध्यान मे रखना चाहिए।

10. व्यवसाय आरंभ करना :- उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूरी करने के बाद व्यवसाय प्रारंभ करने की बारी आती है। इसके लिए संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाएगा।

प्रश्नोत्तर

1. एक ऐसी मानवीय क्रिया का उदाहरण दीजिए जो कि एक तरफ आर्थिक और दूसरी तरफ गैर–आर्थिक मानी जाए?
2. व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया क्यो कहा जाता है?
3. एक व्यक्ति अपने घर का कम्पयूटर लाभ पर बेचता है क्या आप इसे व्यापार मानेंगे। व्यवसाय की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है।
4. उस आर्थिक क्रिया का नाम बताइए जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है।
5. बीमा को तृतीयक या सेवा उद्योग क्यो माना जाता है?
6. व्यापार पेशा और रोजगार मे चार अन्तर लिखिए?
7. ''कोई भी व्यवसाय जोखिम सहित नही है'' इस कथन के प्रकाश में व्यावसायिक जोखिम की अवधारणा की व्याख्या करें।
8. व्यवसाय के किन्ही चार उदद्देश्यों की व्याख्या कीजिए?
9. वाणिज्य की परिभाषा दीजिए। इसका आधुनिक जीवन में अत्याधिक महत्व क्यो है।?
10. प्राथमिक व गौण उद्योगों में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
11. व्यवसाय की परिभाषा दीजिए और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
12. 'वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं का जोड़ है जो कि उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच की दीवारों को तोड़नें में सहायता करती है' इस कथन की व्याख्या कीजिए?
13. व्यवसाय का चुनाव करते समय कौन सी छः बाते ध्यान में रखनी चाहिए?
14. उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में कोई पांच अन्तर लिखिए?
15. 'लाभ को अधिकतम करना व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नही हो सकता' टिप्पणी कीजिए?

अध्याय 2

व्यवसायिक संगठन के प्रारूप

एक व्यावसायिक उपक्रम एक संगठन है जो किसी व्यवसाय या वाणिज्यिक क्रिया में सलग्न होता है। स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक उपक्रमों को तीन वर्गो में विभाजित किया जा सकता है।

व्यवसायिक उपक्रम

निजी क्षेत्र उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	संयुक्त क्षेत्र उपक्रम
– स्वामित्व, प्रबन्ध व नियन्त्रण निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है	– स्वामित्व, प्रबन्ध व नियन्त्रण सरकार द्वारा किया जाता है	– स्वामित्व, प्रबन्ध व नियन्त्रण निजी उद्यमी और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है
– निजी क्षेत्र के प्रारूप 1. सकल स्वामित्व 2. संयुक्त हिन्दु परिवार व्यवसाय 3. साझेदारी 4. सहकारी समिति 5. कम्पनी	1. विभागीय उपक्रम 2. सार्वजनिक निगम 3. सरकारी कम्पनी	

एकल स्वामित्व

ऐसा व्यवसाय जो अकेले व्यक्ति द्वारा स्वीकृत, प्रबन्धित व नियन्त्रित किया जाता है। एकाकी व्यापारी सभी जोखिम अकेले वहन करता है व व्यवसाय के समस्त लाभ को भी स्वयं ही प्राप्त करता है।

ग्राहको को निजी सेवाएं प्रदान करने के लिए व छोटे पैमाने के व्यवसाय के लिए इस प्रकार का संगठन अत्याधिक उपयुक्त है।

एकल स्वामित्व की विशेषताएं

1. एकाकी स्वामित्व – सारी पूंजी की पूर्ति एकाकी व्यापारी के अपने धन से या उधार लिए गए धन से की जाती है।

2. पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं – संगठन का अपने स्वामी से पृथक कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं

होता।

3. निर्माण - एकल स्वामित्व के निर्माण के लिए किन्हीं वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती।

4. प्रबन्ध व नियन्त्रण :- व्यवसाय का प्रबन्ध व संचालन का केवल एकल व्यापारी द्वारा ही किया जाता है।

5. असीमित दायित्व :- एकल स्वामी का दायित्व असीमित होता है। यदि व्यावसायिक संपत्तियां ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसकी निजी संपत्ति का प्रयोग भी देनदारों को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

6. जोखिम वहन करना :- व्यवसाय के लाभ व हानि का हकदार वह अकेला ही होता है। इस प्रकार वह अकेला ही व्यवसाय के जोखिम को वहन करता है।

एकल व्यापार के गुण

1. निर्माण और स्थापना में सुविधा :- इसकी स्थापना करने तथा इसे बन्द करने के लिए किसी प्रकार की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता।

2. शीघ्र निर्णय - एकल व्यापारी निर्णय शीघ्रता से ले सकता है क्योंकि उसे निर्णय लेने के लिए किसी से सलाह या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

3. गोपनीयता - व्यवसाय के महत्वपूर्ण राज सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान केवल स्वामी का होता है।

4. प्रत्यक्ष अभिप्रेरण - परिश्रम व प्रतिफल में सीधा सम्बन्ध होने के कारण, स्वामी की कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है।

5. व्यक्तिगत संपर्क - एकल व्यापारी अपने ग्राहको व कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रख सकते है।

एकल व्यापार की सीमाएं

1. सीमित वित्तीय साधन :- क्योंकि संस्था के वित्त की पूर्ति स्वामी या तो अपने निजी साधनों से करता है या अपनी साख के अनुसार ऋण लेकर करता है।

2. सीमित प्रबंधकीय कुशलता :- इसमें सभी कार्य एकाकी व्यापारी द्वारा किए जाते हैं जो सभी क्षेत्रों में कुशल नही हो सकता। वह कुशल कर्मचारी की नियुक्ति करने में भी सक्षम नहीं होता।

3. असीमित दायित्व - एकाकी स्वामी निजी रूप से सभी ऋणों के लिए उत्तरदायी होता है, इस कारण वह जोखिम लेने से कतराता है।

4. अनिश्चित जीवन - व्यवसाय का जीवन, पूर्ण रूप से स्वामी से जुड़ा हुआ होता है। स्वामी की मृत्यु, पागलपन, दिवालिया होने की दशा में व्यवसाय बंद हो जाता है।

5. विस्तार के लिए सीमित अवसर - सीमित पूंजी तथा प्रबन्धकीय कुशलता के कारण, व्यवसाय का

विस्तार बहुत अधिक नहीं किया जा सकता।

एकल स्वामित्व की उपयुक्तता

संगठन का यह स्वरूप निम्नलिखित दशाओं में उपयुक्त है।

- उन व्यवसायों में जहां कम पूंजी व सीमित प्रबन्धकीय योग्यता की आवश्यकता पड़ती हो। जैसे फुटकर व्यापार
- उन व्यवसायों में जहां ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती है जैसे कपड़े सिलने में बाल काटने में, दवा तथा कानून संबंधी सलाह देने में
- अप्रमाणित वस्तुओं (जैसे आर्डर पर जेवर बनाने) के उत्पादन में

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय का स्वामित्व एवं संचालन एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य करते है। व्यवसाय का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण, परिवार के वरिष्ठ पुरूष सदस्य, जिसे कर्ता कहा जाता है, के द्वारा किया जाता है। इसका प्रशासन हिन्दू कानून के द्वारा किया जाता है। इसमें सदस्यता के आधार–परिवार में जन्म होता है।

इसमें सदस्या को नियंत्रित करने की दो प्रणालियां है।

दयाभाग प्रणाली	**मिताक्षरा प्रणाली**
- यह पद्धति पश्चिम बंगाल में प्रचलित है	- यह पद्धति पश्चिम बंगाल को छोड़कर सारे भारत में प्रचलित है
- इसके अंतर्गत परिवार के पुरूष व महिला दोनो ही सहभागी होते हैं।	- इसमें केवल परिवार के पुरूष सदस्य ही सहभागी होते है

लक्षण :-

(1) निर्माण - संयुक्त हिन्दु परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम दो सदस्य एवं वह पैतृक संपत्ति जो उन्हें विरासत में मिली हो, का होना आवश्यक है।

(2) सदस्यता - इसकी सदस्यता परिवार में जन्म लेने के कारण प्राप्त होती है।

(3) नियन्त्रण - व्यवसाय के संचालन का पूरा अधिकार केवल कर्त्ता के पास होता है। परिवार के अन्य सदस्य उसे केवल अपनी सलाह दे सकते है।

(4) दायित्व - कर्त्ता के अलावा अन्य सभी सदस्यों का दायित्व, संयुक्त सम्पत्ति में उनके व्यक्तिगत हित के मूल्य तक सीमित होता है।

(5) स्थायी अस्तित्व - व्यवसाय का अस्तित्व किसी सहभागी के यहां तक कि कर्त्ता के भी दिवालिया होने या मृत्यु होने से प्रभावित नहीं होता।

(6) नाबालिग सदस्य – इसमें सदस्यता परिवार में जन्म लेने के कारण होती है इसीलिए नाबालिग भी व्यवसाय के सदस्य हो सकते है।

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के गुण :-

(1) प्रभावी नियन्त्रण – कर्त्ता के पास, व्यवसाय के प्रबन्ध तथा नियंत्रण का पूर्ण अधिकार होने के कारण वह निर्णय शीघ्रता से लेता है। इसमें किसी भी अन्य सदस्य को हस्ताक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है।

(2) स्थिर अस्तित्व – कर्त्ता की मृत्यु, पागलपन तथा दिवालिया होने का व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगला सबसे अधिक आयु का व्यक्ति उसका स्थान ले लेता है।

(3) सीमित दायित्व – कर्त्ता के अलावा अन्य सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है।

(4) गोपनीयता – इसमें सभी निर्णय केवल कर्त्ता के द्वारा लिए जाते हैं उसे किसी से सलाह लेने या किसी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए इसमें व्यावसायिक मामलों की गोपनीयता बनी रहती है।

(5) वफादारी तथा सहयोग – कार्य में परिवार का नाम शामिल होता है इसलिए सभी सदस्य पूरी मेहनत व ईमानदारी से काम करते है।

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के अवगुण

1. सीमित पूँजी – इसमें व्यवसाय की पूंजी परिवार की पैतृक सम्पत्ति तक सीमित होती है।

2. कर्त्ता का असीमित दायित्व – इसमें कर्त्ता का दायित्व असीमित होता है जिसके कारण वह नये तथा जोखिम भरे निर्णय लेने से हिचकिचाता है।

3. कर्त्ता का प्रभुत्व – कर्त्ता अकेले ही व्यवसाय का प्रबंन्ध करता है जो कभी-कभी अन्य सदस्यों को मान्य नहीं होता है। इससे उनमें टकराव हो सकता है व पारिवारिक इकाई भी भंग हो सकती है।

4. सीमित प्रबंधकीय क्षमता – व्यवसाय के प्रबन्ध की पूरी जिम्मेदारी कर्त्ता पर होती है, परन्तु वह व्यवसाय के हर क्षेत्र में कुशल नहीं हो सकता/तथा उसके द्वारा लिया गया कोई निर्णय व्यवसाय को बर्बाद कर सकता है।

5. असंतुलित निर्णय – कर्त्ता को निर्णय लेते समय किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण उसके द्वारा लिया गया निर्णय कई बार असंतुलित होता है।

देश में संयुक्त हिन्दू परिवारों की संख्या कम होती जा रही है इसी कारण व्यवसाय के इस प्रारूप का चलन भी कम होता जा रहा है।

साझेदारी

अर्थ – साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो कि एक ऐसे व्यवसाय के बीच का लाभ बांटने के लिए सहमत होते है जिसको वे सभी या सभी की ओर से उनमें से कुछ चलाते है।

इस प्रारूप का आरंभ एकल स्वामित्व तथा संयुक्त हिन्दु परिवार व्यवसाय की समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया है।

लक्षण

(1) दो या दो से अधिक व्यक्ति :- साझेदारी के निर्माण के लिए न्यूनतम दो सदस्य होने चाहिए। बैकिंग व्यवसाय की स्थिति में अधिकतम संख्या 10 तथा अन्य व्यवसाय में 20 हो सकती है।

(2) समझौता - साझेदारी, साझेदारो के बीच हुए समझौते का परिणाम है जो मौखिक या लिखित हो सकता है।

(3) वैद्य व्यवसाय - इसका गठन केवल वैद्य व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

(4) प्रबन्ध व नियंत्रण - सभी साझेदारों को प्रबन्ध में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार होता है।

(5) असीमित दायित्व - सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है।

(6) पारस्परिक एजेंसी सम्बन्ध - प्रत्येक साझेदार फर्म के स्वामी के साथ-साथ फर्म और दूसरे साझेदारों का एजेंट भी होता है इस कारण एक साझेदार के द्वारा किए गए कार्य व अनुबंध से अन्य सभी साझेदार भी बाध्य होते है।

(7) स्थायित्व का अभाव - क्योंकि किसी भी साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने, दिवालिया होने या फिर पागल हो जाने से यह समाप्त हो सकती है।

साझेदारी के गुण

(1) निर्माण की सुविधा :- इसका निर्माण आसानी से तथा किसी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना किया जा सकता है।

(2) विशाल वित्तीय साधन :-सभी साझेदारों के द्वारा पूंजी लगाने के कारण इनके वित्तीय साधन अधिक होते है।

(3) बेहतर निर्णय - सभी महत्वपूर्ण निर्णय साझेदारों द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते है परिणामस्वरूप निर्णय बेहतर होते है।

(4) जोखिम का बंटवारा - साझेदारी में जोखिम सभी साझेदारों में बंट जाता है इससे वह चिन्ता मुक्त हो कर कार्य करते है।

(5) गोपनीयता - साझेदारी फर्म को अपने खाते प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए साझेदारी के महत्वपूर्ण भेद गुप्त रखे जा सकते है।

साझेदारी की सीमाएं

(1) सीमित साधन :- एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या सीमित होती है इस कारण से उनके द्वारा लगाई गई पूंजी भी सीमित होती है।

(2) असीमित दायित्व :- साझेदारो का असीमित दायित्व होता है। साझेदारों का देनदारों के प्रति

दायित्व – संयुक्त तथा पृथक–दोनो प्रकार से होता है। तथा यह उन साझेदारों के लिए अनुचित होता है जिनके पास अधिक व्यक्तिगत धन होता है। यदि अन्य साझेदार ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो इसका भुगतान धनी साझेदार को करना पड़ता है।

(3) निरंतरता का अभाव :- साझेदारी की निरंतरता अनिश्चित होती है। किसी भी साझेदार की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया हो जाने से, व्यवसाय समाप्त हो जाता है।

(4) जन विश्वास की कमी :- जनता का विश्वास, साझेदारी फर्म में कम होता है क्योंकि फर्म के द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा खाते प्रकाशित नही किए जाते।

(5) अंशो का हस्तांतरण नहीं :- एक साझेदार अपना हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को तभी हस्तांरित कर सकता है जब अन्य सभी साझेदार उसकी अनुमति दें अन्यथा नही। यह बहुत कठिन और जटिल हो सकता है।

साझेदारी के प्रकार

1. सक्रिय साझेदार – यह साझेदार फर्म के प्रबन्ध में भाग लेता है। यह फर्म में पूंजी लगाता है। लाभ/हानि बांटता है तथा इसका दायित्व असीमित होता है।

2. सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार – यह साझेदार फर्म के प्रबन्ध में भाग नही लेता, परन्तु अन्य साझेदारों की भांति इसकी देनदारी भी असीमित होती है।

3. गुप्त साझेदार – ऐसे साझेदार का फर्म के साथ सम्बन्ध आम जनता को पता नही होता है। हालांकि इसका दायित्व भी असीमित होता है।

4. नाममात्र का साझेदार – यह वह साझेदार है जो अपना नाम तथा प्रसिद्धि फर्म को उसके फायदे के लिए उधार देता है। यह न तो पूंजी लगाता है, न प्रबन्ध में हिस्सा लेता है, न लाभ बांटता है परन्तु इसका दायित्व भी असीमित होता है।

5. गत्यावरोध द्वारा साझेदार – यह वह व्यक्ति होता है जो अपने आचरण या व्यवहार द्वारा दूसरों को यह आभास देता है कि वह फर्म का साझेदार है जबकि वास्तविकता यह नहीं होता। इसका दायित्व उन ऋणों के लिए असीमित होता है जो फर्म को उसकी प्रसिद्धि के कारण प्राप्त होते है।

6. प्रदर्शन द्वारा साझेदार – यह वह व्यक्ति होता है जो वास्तव में तो फर्म का साझेदार नहीं होता परन्तु दूसरों के द्वारा अपने आपको साझेदार कहे जाने पर कोई आपत्ति या विरोध नही करता। ऐसे व्यक्ति को प्रर्दशन द्वारा साझेदार कहते है। यह उन ऋणों को चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है, जो फर्म ने उसके नाम का प्रयोग करके प्राप्त किए थे।

साझेदारी संलेख

साझेदारों के बीच हुआ समझौता जो मुद्रांकित कागज पर लिखा होता है तथा जिसमें साझेदारी के नियम, विनिमय तथा शर्तो का वर्णन होता है, साझेदारी संलेख कहलाता है।

सामान्यत: इसमें निम्न जानकारियां दी जाती है।

- फर्म का नाम व पता
- साझेदारों के नाम व पते
- साझेदारी की अवधि
- प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी
- व्यवसाय का लाभ-हानि विभाजन अनुपात
- साझेदारों के वेतन, आहरण, पूंजी पर ब्याज तथा आहरण पर ब्याज सम्बन्धित नियम
- साझेदारों के अधिकार तथा दायित्व
- साझेदारों के आगमन, निवृत्ति व फर्म के समापन से सम्बन्धित प्रावधान/नियम
- विवादों को हल करने की विधियां आदि

साझेदारी फर्म का पंजीकरण

कानूनी रूप से साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। परन्तु यह फर्म तथा साझेदारों के हित में होता है। एक अपंजीकृत फर्म को निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है -

(1) एक अपंजीकृत फर्म का साझेदार, अन्य साझेदार के विरूद्ध कोई मुकदमा दायर नही कर सकता।

(2) अंपजीकृत फर्म किसी बाहरी पक्ष के विरूद्ध मुकदमा दायर नही कर सकती।

(3) अपंजीकृत फर्म किसी साझेदार के विरूद्ध भी मुकदमा दायर नहीं कर सकती।

सहकारी समिति

सहकारी समिति उन व्यक्तियों का एक संगठन है जिनके साधन प्राय: सीमित होते है। तथा समान आर्थिक लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए स्वेच्छा से एकत्रित होते है।

इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को पूंजीपति वर्ग व मध्यस्थों के द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाना है न कि लाभ कमाना।

लक्षण

1. स्वैच्छिक संगठन - समान हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति सीमित में सदस्यता प्राप्त कर सकता है तथा जब चाहे एक सूचना देकर समिति को छोड़ सकता है।

2. वैधानिक स्थिति - सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है इससे समिति को अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है।

3. सीमित दायित्व - समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है।

4. प्रजातांत्रिक प्रबन्ध - इसमें निर्णय लेने की शक्ति सदस्यों द्वारा चुनी गई प्रबंध कमेटी के हाथ में होती है तथा प्रबन्ध कमेटी का चुनाव सदस्यों के द्वारा एक सदस्य एक वोट के सिद्धान्त पर किया

जाता है।

5. सेवा का उद्द्देश्य - समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना है।

6. अधिक्य का वितरण - इसमें वर्षभर में कमाएं लाभ का एक निश्चित हिस्सा वैधानिक संचय कोष में हस्तांरित किया जाता है। तत्पश्चात सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी पर उचित दर से लाभांश दिया जाता है। शेष लाभ को सदस्यों के द्वारा किए गए लेन-देनों के अनुसार बोनस के रूप में बांट दिया जाता है।

सहकारी समिति के लाभ

1. निर्माण में सुविधा - इसका निर्माण समान हित वाले कोई भी दस व्यसक व्यक्ति मिलकर कर सकते है। इसके पंजीकरण की प्रक्रिया भी बहुत साधारण होती है।

2. सीमित दायित्व - इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है।

3. निरन्तरता - पंजीकरण के कारण समिति का अपना अलग कानूनी अस्तित्व होता है तथा समिति पर किसी भी सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन तथा अक्षमता का कोई असर नही पड़ता।

4. मितव्ययी कार्यप्रणाली - इसके सदस्य प्राय: अवैतनिक सेवाएं देते हैं, वस्तुओं व सेवाओं का क्रय यह सीधे उत्पादकों या थोक व्यापारियों से करते हैं, समान का विक्रय नकद में करते हैं तथा विज्ञापन इत्यादि पर धन खर्च नही करते। इन कारणों से समिति के कार्यकारी खर्चे कम होते है।

5. सरकारी सहायता - इन्हें सरकार के द्वारा बहुत से अनुदान, कम टैक्स, नीची ब्याज की दर पर ऋण तथा वित्तीय तथा अन्य सहायताएं प्रदान की जाती है।

सहकारी समिति की सीमाएं

1. सीमित पूंजी - सहकारी संगठन प्राय: सीमित साधनों वाले व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते है इसलिए इन्हें सीमित पूंजी की समस्या का सामना करना पड़ता है।

2. अकुशल प्रबन्ध - इसमें सभी कार्य इसके सदस्यों के द्वारा किए जाते है तथा सदस्य प्राय: पेशेवर कुशल तथा अनुभवी नही होते है। सहकारी संगठन पेशेवर व कुशल व्यक्तियों को ऊंचे वेतन पर रखने में भी सक्षम नही होता है।

3. गोपनीयता का अभाव :- सहकारी समिति के सभी मामलों पर सदस्यों की सभा में खुलकर चर्चा करी जाती है इसलिए इस संगठन में गोपनीयता बनाए रखना संभव नही है।

4. अत्याधिक सरकारी नियंत्रण - सहकारी समितियां, राज्य सरकार के सहकारी विभाग के बहुत से नियमों के अधीन होती है। इन्हें अपने खाते अंकेक्षकों से अंकेक्षित करवाने पड़ते है तथा उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास जमा करानी पड़ती है।

5. अभिप्रेरण का अभाव - इसमें प्रयत्न तथा प्रतिफल के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नही होता। इसलिए इनमें सदस्यों में अभिप्रेरण का अभाव होता है।

6. सदस्यों के बीच मतभेद - इनमें बहुत सी दशाओं में प्रबन्धकीय समिति और सदस्यों के बीच

मतभेद/विवाद उत्पन्न हो जाते है तथा प्रबन्धकीय समिति अपने स्वार्थ उद्देश्य के कारण शासन करना आरंभ कर देती है और वे सेवा के उद्देश्य को भूल जाती है।

सहकारी संगठन के प्रकार

1. उपभोक्ता सहकारी समिति :- इनका मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों के द्वारा किए जाने वाले ग्राहकों के शोषण को खत्म करना है। यह आम जरूरत की सभी वस्तुएं सीधे उत्पादकों तथा थोक व्यापारियों से खरीदकर सदस्यों को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराती है।

2. उत्पादक सहकारी समिति :- इनका मुख्य उद्देश्य छोटे उत्पादकों को मदद प्रदान करना है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल, मशीनरी और आधुनिक तकनीक को जुटाने में कठिनाई होती है। ये समितियाँ दो प्रकार की होती है :-

(अ) एक वो जो अपने सदस्यों को आवश्यक कच्चा माल, आगते, मशीनरी इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है।

(ब) दूसरी जो इन उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचती है।

3. सहकारी विपणन समितियाँ :- यह छोटे उत्पादकों तथा कृषकों को जिन्हें अपने माल को लाभकारी मूल्यों में बेचने में कठिनाई होती है, की मदद करती है। यह अपने सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार की विपणन सम्बन्धी सुविधाएं जैसे परिवहन, भण्डारण, पैकेजिंग, ग्रेडिग व बाजार सर्वेक्षण का इन्तजाम करती है। तथा यह अपने सदस्यों को उनके द्वारा तैयार किए गए माल के लिए उचित मूल्य दिलाने में मदद करती है।

4. सहकारी कृषि समिति :- इनके सदस्य वे छोटे किसान होते है जो मिलकर कृषि कार्यो को करना चाहते है। यह समितियां अपने सदस्यों के लिए अच्छे बीज, आधुनिक औजार, मशीनरी, आधुनिक तकनीक, खाद तथा सिंचाई सुविधाओं का प्रबन्ध करती है।

5. सहकारी साख समिति :- इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को साहूकारों के चुंगल से बचाना होता है। यह अपने जरूरतमंद सदस्यों को आसान शर्तो तथा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है।

6. सहकारी आवास समिति :- इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को आसान शर्तो व उचित मूल्यों पर फलैट अथवा प्लॉट उपलब्ध करना है।

संयुक्त पूंजी कम्पनी

अर्थ – संयुक्त पूंजी कम्पनी व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया ऐच्छिक संघ है। जिसका अपना एक अलग वैद्यानिक अस्तित्व, शाश्वत जीवन तथा सार्वमुद्रा होती है तथा इसकी पूंजी हस्तांतरणीय शेयरों में बटीं हुई होती है।

लक्षण

1. पृथक वैधानिक अस्तित्व – इसकी रचना कानून के द्वारा होती है। तथा समामेलन के कारण इसकी अपनी पृथक पहचान होती है। कानून की निगाह में कम्पनी तथा उसके सदस्य एक नही होते है।

2. शाश्वत अस्तित्व – संयुक्त पूंजी कम्पनी की रचना तथा इसका अंत केवल कानून के द्वारा ही किया जा सकता है। कम्पनी के अस्तित्व पर इसके शेयरधारियों के आने जाने, मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन का कोई प्रभाव नही पड़ता।

3. सीमित दायित्व– कम्पनी के प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा क्रय किए गए अंशो के अंकित मूल्य तक अथवा उसके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है।

4. अंशो की हस्तांतरणीयता – कम्पनी की पूंजी हस्तांतरणीय शेयरों में बटी हुई होती है। केवल निजी कम्पनी के शेयरों के हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध होते है।

5. सार्वमुद्रा – एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कम्पनी हस्ताक्षर नहीं कर सकती। जिसके कारण हर कम्पनी की एक सार्वमुद्रा होती है जो कम्पनी के अधिकारयुक्त हस्ताक्षर का कार्य करती है। कम्पनी के हर महत्वपूर्ण दस्तावेज पर इसकी सार्वमुद्रा अंकित की जाती है।

6. नियत्रंण व प्रबन्ध – कम्पनी का प्रबन्ध व नियन्त्रण निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसका चयन सभी अंशधारियों के द्वारा वोट दे कर किया जाता है। स्वामित्व एवं प्रबंध का अलग अलग होना कम्पनी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

संयुक्त पूंजी कम्पनी के गुण

1. सीमित दायित्व – अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों के अंकित मूल्य अथवा उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है।

2. विशाल वित्तिय साधन – कम्पनी के पास वित्तीय साधन बहुत अधिक होते है। वह विभिन्न प्रकार के निवेशको के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां जारी करके, जनता से जमा स्वीकार करके, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर – बहुत अधिक मात्रा में वित्त इकट्ठा कर सकती है।

3. अंशो के हस्तांतरण में सुविधा – कम्पनी के अंश बाजार में आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते है। इस कारण आम जनता को कम्पनी में पैसा निवेश करने लिए प्रोत्साहन मिलता है।

4. स्थायी अस्तित्व – कम्पनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होने के कारण, उनकी मृत्यु, दिवालियापन तथा अक्षमता का कम्पनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

5. वृद्धि और विस्तार – कम्पनी के पास विशाल वित्तीय साधन होते है, जिसकी वजह से इसका विस्तार तथा वृद्धि करना आसानी से संभव हो पाता है।

6. पेशेवर प्रबन्ध – विशाल वित्तीय साधन होने के कारण कम्पनी कुशल तथा पेशेवर व्यक्तियों की सेवाएं लेने मे समर्थ होती है।

संयुक्त पूंजी कम्पनी की सीमाएं

1. निर्माण की जटिल प्रक्रिया – कम्पनी के निर्माण की प्रक्रिया बहुत लम्बी, कठिन, जटिल होती है। इसमें लम्बी समयावधि लगती है तथा कई कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है।

2. गोपनीयता का अभाव – कम्पनी को कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर

कम्पनियों के रजिस्ट्रार को बहुत सी सूचनाएं देनी पड़ती है। ये समस्त सूचनाएं जन साधारण को उपलब्ध होती है। इस कारणवश कम्पनी के लिए गोपनीयता बनाए रखना बहुत कठिन है।

3. निर्णय लेने में देरी – कम्पनी का वास्तविक प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। इनकी मदद के लिए संस्था में उच्च मध्य व निम्न स्तरीय प्रबंधक भी होते है। इस व्यवस्था में विभिन्न प्रस्तावों के सम्प्रेषण व अनुमोदन काफी समय लग जाता है। परिणामस्वरूप निर्णय लेने में देरी होती है।

4. प्रेरणा का अभाव – कम्पनी का प्रबन्ध स्वामियों के द्वारा नहीं बल्कि पेशेवर प्रबन्धकों के द्वारा किया जाता है। इन्हें संस्था से अपनी सेवाओं के बदले निश्चित वेतन प्राप्त होता है। इसीलिए कम्पनी में अधिक मेहनत व कुशलता से काम करने की प्रेरणा का अभाव होता है।

5. अल्पतंत्रीय प्रबन्ध :- सिद्धांतत: कम्पनी एक लोकतांत्रिक संस्था है परन्तु वास्तविकता यह नही है इसका प्रबन्ध संचालक मंडल के द्वारा चलाया जाता है, जो वास्तव में कुछ अंशधारियों के प्रतिनिधि होते है कई बार यह निर्णय लेते समय अपने व्यक्तिगत हित और लाभ को ध्यान में रखते हैं तथा कम्पनी और अंशधारियों के हितों की अवेहलना कर देते है।

निजी कम्पनी तथा सार्वजनिक कम्पनी

कम्पनियों के प्रकार

स्वामित्व के आधार पर कम्पनियों को दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है।

निजी कम्पनी एवं सार्वजनिक कम्पनी

निजी कम्पनी	**सार्वजनिक कम्पनी**
– इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 व अधिकतम 50 होती है। – यह आम जनता को अपने शेयर व ऋणपत्र खरीदने के लिए आमंत्रित नही करती। – इसके शेयरों के हस्तांतरण पर कई प्रतिबंध होते है। – इसमें न्यूनतम पूंजी 1 लाख रू. की होती है। – कम्पनी अपना व्यवसाय 'समामेलन' का प्रमाण पत्र मिलने के बाद शुरू कर सकती है। – इसमें कम्पनी अपने नाम के अन्त में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है।	– इसमें न्यूनतम 7 तथा अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती। – इसमें आम जनता को शेयरों व ऋणपत्रों के अभिदान के लिए आमंत्रित किया जाता है। – इसके शेयरों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नही होता। – इसमें न्यूनतम पूंजी 5 लाख रू. की होती है। – इसमें व्यवसाय - व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। – इसमें कम्पनी अपने नाम के अन्त में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है।

व्यवसाय के उपक्रम के चयन में विचारणीय कारक

एक उद्यमी को व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखना चाहिए।

(1) संगठन की स्थापना से जुड़े खर्च व आसानी - एकल स्वामित्व संगठन की स्थापना के लिए कोई कानूनी औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ती। इसकी स्थापना आसानी से तथा बहुत कम खर्चे में हो जाती है। जबकि कम्पनी की स्थापना से बहुत कानूनी औपचारिकताएं तथा लागत जुड़ी है।

(2) आवश्यक प्रारंभिक पूंजी की मात्रा - जिन व्यवसायों में अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है उनका गठन एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी प्रारूप में किया जा सकता ह। परन्तु यदि व्यवसाय के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है तो संगठन का कम्पनी प्रारूप उपयुक्त होगा।

(3) व्यवसाय की प्रकृति - यदि व्यवसाय में ग्राहक को व्यक्तिगत ध्यान और प्रत्यक्ष सम्पर्क की आवश्यकता है, तो एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी का प्रारूप उपयुक्त है। परन्तु यदि निर्माण तथा वितरण का काम बहुत बड़े पैमाने पर करना है तो कम्पनी स्वरूप का चयन ठीक रहेगा।

(4) नियन्त्रण का स्तर - यदि व्यवसायी व्यवसाय के ऊपर पूर्ण नियन्त्रण की इच्छा रखता है, तब उसे एकल स्वामित्व फर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि व्यवसायी को नियन्त्रण के बंटवारे से कोई फर्क नहीं पड़ता तब वह साझेदारी या कम्पनी प्रारूप को प्राथमिकता दे सकता है।

(5) जोखिम की मात्रा - उपक्रम में अधिक जोखिम होने पर व्यवसायकर्त्ता कम्पनी प्रारूप या सहकारी संगठन को अधिक प्राथमिकता देते है। क्योंकि इनमें सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। व्यवसाय को एकल स्वामित्व और साझेदारी प्रारूप का प्रयोग, कम जोखिम वाले उपक्रमों में किया जाता है।

कम्पनी का निर्माण :-

कम्पनी के निर्माण का अर्थ एक नई कम्पनी को अस्तित्व में लाना तथा उसका व्यवसाय प्रारम्भ कराने से होता है। एक नई कम्पनी के निर्माण की निम्नलिखित अवस्थाएं है :-

(1) प्रवर्तन (2) निगमन

(3) पूंजी अभिदान (4) व्यवसाय का आरम्भ करना

एक प्राइवेट कम्पनी को प्रथम दो अवस्थाओं से गुजरना होता है लेकिन एक सार्वजनिक कम्पनी को चारों अवस्थाओं से गुजरना होता है।

(अ) प्रवर्तन : प्रवर्तन के अन्तर्गत व्यवसायिक अवसरों की खोज की जाती है तथा कम्पनी का निर्माण किया जाता है।

प्रवर्तन में उठाये जाने वाले कदम :-

(1) व्यवसायिक अवसरों की पहचान करना :- प्रवर्तक का प्रथम कार्य है व्यवसायिक अवसरों की पहचान करना कि किस वस्तु या सेवा का निर्माण किया जाये।

(2) सम्भावना अध्ययन :- अवसरों की पहचान करने के बाद प्रवर्तक तकनीकी सम्भावना, वित्तीय

और आर्थिक सम्भावना का अध्ययन करता है।

(3) नाम की स्वीकृति प्राप्त करना :- कम्पनी के नाम को छांटने के बाद प्रवर्तक उसे कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र देता है।

(4) पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षर कर्त्ताओं को निर्धारित करना :- प्रवर्तक को कम्पनी के संचालको को नियुक्त करना पड़ता है ताकि के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर कर सके।

(5) पेशेवरों की नियुक्ति :- प्रवर्तकों को कम्पनी के मर्चेंट बैकर्स तथा अंकेक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ती है।

(6) आवश्यक प्रपत्र तैयार करना :- प्रवर्तकों को पार्षद सीमा नियम, पार्षद अन्तर्नियम आदि वैधानिक दस्तावेजो को रजिस्ट्रार के पास भेजने के लिए तैयार कराना पड़ता है।

निगमन :- निगमन का अर्थ कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कराने एवं निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करने से होता है। निगमन अवस्था में उठाये जाने वाले कदम।

(1) निगमन हेतु आवेदन देना :- कम्पनी के प्रवर्तक को कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए राज्य के रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्र भेजना होता है।

(2) आवश्यक प्रपत्र जमा कराना :- प्रवर्तकों को निम्नलिखित प्रपत्र जमा कराने होते है :-

1. पार्षद सीमा नियम
2. पार्षद अर्न्तनियम
3. पंजीकृत पूंजी का विवरण
4. संचालको की स्वीकृति
5. प्रस्तावित प्रबन्ध संचालको के साथ ठहराव
6. वैधानिक घोषणा

(3) शुल्क का भुगतान :- उपरोक्त प्रपत्रों के साथ रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करानी पड़ती है। यह फीस अधिकृत पूंजी पर निर्भर करती है।

(4) रजिस्ट्रेशन :- रजिस्ट्रार सभी दस्तावेजों की जांच करता है। जांच ठीक पाये जाने के बाद वह कम्पनी का नाम रजिस्टर कर लेता है।

(5) निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना :- कम्पनी का नाम रजिस्ट्रार हो जाने के बाद रजिस्ट्रार निगमन प्रमाण पत्र जारी करता है। जिसे कम्पनी का जन्म प्रमाण पत्र कहा जाता है।

पूंजी अभिदान :- एक सार्वजनिक कम्पनी को अंशो व ऋण पत्रों को जारी करके जनता से कोष प्राप्त कर सकती है। इसके लिए इसे प्रविवरण जारी करना होता है तथा निम्न कदम उठाती है।

(1) सेबी से स्वीकृति प्राप्त करना : सेबी भारतीय पूंजी बाजार को नियन्त्रित करती है। एक सार्वजनिक कम्पनी को जनता से पूंजी जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी लेनी पड़ती है।

(2) प्रविवरण फाइल करना : प्रविवरण का अर्थ ऐसे प्रपत्र से है जो जनता से निक्षेप आमंत्रित

करता है। कम्पनी के अंशो या ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए आमंत्रित करता है।

(3) बैकर्स दलालों एवं अभिगोपकों की नियुक्ति : कम्पनी द्वारा नियुक्त बैंक आवेदन राशि प्राप्त करते है। दलाल जनता को शेयर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते है यदि जनता सभी शेयर के लिए आवेदन नहीं करती तो अभिगोपक कमीशन लेकर सभी शेयर खरीद लेते है।

(4) न्यूनतम अभिदान : सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निर्गमन का 90 प्रतिशत होना चाहिए नहीं तो शेयरों का आबंटन नही किया जाऐगा तथा कम्पनी को आगामी 10 दिनों में आवेदन राशि को वापस करना होगा।

(5) स्टाक एक्सचेंज को आवेदन करना : एक सार्वजनिक कम्पनी को अपने शेयर किसी शेयर बाजार में लिस्ट कराना आवश्यक है इसलिये प्रवर्तक किसी शेयर बाजार में आवेदन करते है।

(6) अंशो का आबंटन :- अंशो के आबंटन से अभिप्राय: प्राप्त किये गये आवेदन पत्रो को स्वीकार करना है। शेयर होल्डर को आबंटन पत्र भेजा जाता है तथा रजिस्ट्रार के पास शेयर होल्डर का नाम, पता व अन्य जानकारी भेजी जाती है।

व्यवसाय आरम्भ करना :- एक सार्वजनिक कम्पनी को व्यवसाय आरम्भ करने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार के पास निम्न लिखित प्रमाण पत्र भेजने आवश्यक है :-

1. इस बात की घोषणा की न्यूनतम अभिदान 90 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है।

2. इस बात की घोषणा की सभी संचालको ने जितने शेयर प्राप्त किये है उनकी राशि जमा करा दी है।

3. इस बात की घोषणा की उपरोक्त आवश्यकताएं पूर्ण कर ली गई है। इन घोषणाओं पर सभी संचालकों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

कम्पनी के निर्माण के प्रयोग किये जाने वाले महत्व पूर्ण प्रपत्र :

1. पार्षद सीमा नियम :- पार्षद सीमा नियम कम्पनी का महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। बिना पार्षद सीमा नियम के कोई भी कम्पनी रजिस्ट्रर्ड नहीं करायी जा सकती। इसे कम्पनी का जीवन दायी दस्तावेज भी कहा जाता है।

पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री

1. नाम वाक्य :- इस वाक्य में कम्पनी का नाम दिया जाता है। कम्पनी का नाम अन्य कम्पनियों के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए।

2. स्थान वाक्य :- इस वाक्य में उस राज्य का नाम लिखा जाता है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाना है।

3. उद्देश्य वाक्य :- इस वाक्य में कम्पनी के मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य उद्देश्य के सहायक उद्देश्य दिये रहते है।

4. दायित्व वाक्य :- इस वाक्य के अन्तर्गत यह बताया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा लिये गये अंशो पर अदत्त राशि तक सीमित है।

5. पूंजी वाक्य :- इस वाक्य के अन्तर्गत उस पूंजी की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। जिसमें कम्पनी का पंजीयन किया गया है।

(2) पार्षद अर्न्तनियम :- पार्षद अर्न्तनियम में कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध के नियम दिये जाते है। यह कम्पनी के संचालकों एवं अधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का वर्णन करता है।

पार्षद - अर्न्तनियम की विषय सामग्री :-

1. अंश पूंजी की राशि एवं अंशो के वर्ग
2. प्रत्येक वर्ग के शेयर धारक के अधिकार
3. शेयर के आबंटन की प्रक्रिया
4. शेयर जारी करने की प्रक्रिया
5. शेयरों के हरण करने एवं पुन: जारी करने की प्रक्रिया
6. सभाओं में वोट देने एवं प्राक्सी सम्बन्धी नियम
7. संचालकों के नियुक्त करने व हटाने की प्रक्रिया
8. लाभांश की घोषणा एवं भुगतान सम्बन्धी नियम
9. पूंजी के परिवर्तन की प्रक्रिया
10. कम्पनी के समापन की प्रक्रिया

(ड़) प्रविवरण :-

प्रविवरण एक ऐसा प्रपत्र है जो जनता को शेयर या ऋणपत्र खरीदने के लिए आमन्त्रित करता है। इसमें कम्पनी का पूरा इतिहास होता है। इसमें कम्पनी की वर्तमान एवं भावी सम्भावनाएं विनियोजकों को बताई जाती है।

(3) प्रविवरण की विषय सामग्री :-

1. इसमें कम्पनी का नाम, पता एवं रजिस्टर्ड ऑफिस का पता दिया जाता है।
2. कम्पनी के मुख्य उद्देश्य
3. कम्पनी की पंजीकृत पूंजी एवं अंशो के प्रकार
4. संचालकों के नाम एवं पते
5. बैंक का नाम, ब्रोकर का नाम एवं अभिगोपकों के नाम
6. मर्चेन्ट बैंकर्स के नाम

प्रश्नोत्तर

1. व्यावसायिक उपक्रम के उस स्वरूप का नाम बताइये जो केवल भारत में पाया जाता है?

2. किन्हीं दो प्रकार के व्यवसायों का नाम बताइये जिनके लिए एकल स्वामित्व संगठन उपयुक्त है?

3. संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में प्रबन्ध का अधिकार किस व्यक्ति का होता है?

4. संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय की सदस्यता को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों के नाम बताइये?

5. संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय का गठन करने के लिए कौन सी दो शर्ते पूरी करना जरूरी है? लिखिए।

6. सहकारी समिति का गठन करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है?

7. असीमित दायित्व से आपका क्या अभिप्राय है?

8. किस प्रकार की कम्पनी की न्यूनतम चुकता पूँजी 5 लाख रूपये होती है?

9. न्यूनतम अभिदान से क्या अभिप्राय है?

10. कौन सा प्रपत्र कम्पनी का चार्टर कहलाता है?

11. साझेदारी में पारस्परिक एजेंसी की अवधारणा की व्याख्या कीजिए?

12. संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में कर्त्ता की क्या भूमिका है लिखिए?

13. प्रविवरण की परिभाषा दीजिए इस की कोई तीन बाते बताइयें?

14. गत्यावरोध द्वारा साझेदार से क्या अभिप्राय है?

15. गुप्त साझेदार से आपका क्या अभिप्राय है?

16. उत्पादक सहकारी समिति पर टिप्पणी लिखिए?

17. व्याख्या कीजिए कैसे एक सहकारी संगठन लोकतांत्रिक है?

18. क्या साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य है? पंजीकरण न कराने के क्या परिणाम है?

19. कम्पनी के सीमानियमों के किन्ही चार वाक्यों का वर्णन करो? पार्षद अर्न्तनियम की परिभाषा दीजिए? यह पार्षद सीमानियम से किस प्रकार भिन्न है?

20. अन्तर स्पष्ट कीजिए :-

(क) कम्पनी के सीमानियम तथा कम्पनी के अर्न्तनियम

(ख) निजी कम्पनी तथा सार्वजनिक कम्पनी

21. श्री अमित कुमार एक कम्पनी का निर्माण करना चाहते है? उन्हें कौन से कदम उठाने चाहिए, संक्षेप में चर्चा कीजिए?

22. एकल स्वामित्व संगठन तथा साझेदारी तुलना में संयुक्त पूंजी किस प्रकार श्रेष्ठ है वर्णन करो?

23. उन तत्वों का वर्णन कीजिए, जो संगठन के उपयुक्त प्रारूप के चुनाव में सहायता करते है?

24. निम्नलिखित व्यवसायों के लिए व्यवसाय का कौन सा प्रारूप उचित है और क्यों

क. ब्यूटी पार्लर

ख. कोचिंग सेन्टर

ग. होटल

घ. शांपिग मालं

ड़. रेस्टोरेन्ट

च छोटा फुटकर व्यापार

अध्याय 3

सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम

अर्थ :- सार्वजनिक उपक्रमों में अभिप्राय इन उपक्रमों से है जिनका स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार अलग-अलग या संयुक्त रूप से सार्वजनिक उपक्रमों के लिए पूंजी दे सकती है।

इन उपक्रमों के माध्यम से सरकार देश की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेती है।

लक्षण :-

1. इसमें पूंजी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार के द्वारा पृथक या संयुक्त रूप से दी जाती है।
2. इनका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण अथवा सेवा होता है
3. प्रबन्ध व नियन्त्रण सरकार के हाथ में होता है।
4. यह आम जनता के प्रति जवाबदेह होते है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रारूप

1. विभागीय उपक्रम	**2. वैधानिक निगम**	**3. सरकारी कम्पनी**
- इसका गठन किसी मंत्रालय के विभाग के रूप में किया जाता है। - जैसे भारतीय रेलवे	- संसद में या विधानमण्डल में विशेष अधिनियम पास करके किया जाता है। जैसे एलआईसी	- इसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी)

1. विभागीय उपक्रम

इसमें उपक्रम को किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है। इसका वित्त प्रबंध प्रशासन तथा नियंत्रण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा दोनो के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

भारतीय रेलवे, डाक तथा तार इसके उदाहरण है।

लक्षण

1. यह केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय के विभाग के रूप में गठित किया जाता है।

2. इसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है।

3. इसकी वित्त व्यवस्था सरकार के वार्षिक बजट से की जाती है व इसकी आय सरकारी खजाने में जमा होती है।

4. इसके कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनकी भर्ती तथा नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों के नियम के अंतर्गत होती है।

5. बजट, लेखा तथा लेखा अंकेक्षण के संबंध में इस पर सरकारी नियम लागू होते है।

6. यह अपने कार्य के लिए संबंधित मंत्रालय को जवाबदेह होते है।

विभागीय उपक्रम के गुण/लाभ

1. सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होने के कारण, यह सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने में अधिक सक्षम हैं।

2. इनकी आय सरकारी खजाने में जाती है। इसलिए यह सरकार की आय का एक स्त्रोत

3. बजट, लेखा तथा अंकेक्षण - नियंत्रणों के कारण इसमें सार्वजनिक धन के दुरूपयोग का जोखिम कम होता है।

4. यह उन उपक्रमों के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनमें अत्याधिक गोपनीयता की आवश्यकता होती है।

विभागीय उपक्रम की सीमाएं

1. इस उपक्रम में लचीलेपन की कमी होती है जो कि एक व्यवसाय को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए अति आवश्यक है।

2. उपक्रम के दिन प्रतिदिन के कार्य में राजनैतिक हस्तक्षेप होता है।

3. दिन प्रतिदिन के काम में अत्याधिक लाील-फीताशाही का बोल-बाला होता है तथा उचित प्रक्रिया के पूरे होने पर कोई कार्यवाही करी जा सकती है।

4. प्रतियोगिता के अभाव तथा एकाधिकार होने के कारण यह प्राय: ग्राहको की आवश्यकताओं के प्रति लापरवाह होते है।

5. इनका प्रबन्ध सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है जो कि प्रबन्ध के क्षेत्र में निपुण तथा अनुभवी नहीं होते। यह अधिकारी भी अधिकतर समय संसद या मंत्रालय के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में ही लगे रहते है।

2. वैधानिक निगम

इसकी स्थापना केन्द्र या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विशेष अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। अधिनियम में ही इसके उद्देश्यों, कार्यो, अधिकारों को परिभाषित किया जाता है।

उदाहरण – भारतीय जीवन बीम निगम (एलआईसी), भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई)

लक्षण

1. इसका निर्माण विशेष अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें उपक्रम के उद्देश्यों, कार्यो व अधिकारों का वर्णन भी होता है।

2. इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है।

3. निगम का प्रबंध सरकार द्वारा नियुक्त संचालक मंडल के हाथों में होता है। दिन प्रतिदिन के कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

4.इसकी प्रारंभिक पूंजी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा यह अपनी वित्त की व्यवस्था स्वयं पूरा करते है। यह सरकार से ऋण लेकर अथवा अपनी वस्तुओं और सेवाओं को जनता को बेचकर धन जुटाते है।

5. इन पर सरकारी विभागों के लेखांकन एवं अंकेक्षण की प्रक्रिया लागू नही होती।

6. इनके कर्मचारियों की भर्ती व चुनाव अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होता है।

लाभ/गुण

1. यह स्वतंत्रता और लोचशीलता से अपने कार्यो का प्रबन्ध करते है।

2. इनमें निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं क्योंकि यह निगम लालफीताशाही से स्वतंत्र होता है।
3. इनका उद्देश्य जनहित ही होता है।

4. यह अपने कर्मचारियों की भर्ती व नियुक्ति में स्वायत होते हैं तथा यह महत्वपूर्ण पदों पर पेशेवर, अनुभवी तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करते है।

सीमाएं

1. निगम की स्वायत्तता और लोचशीलता प्राय: नाममात्र की ही होती है। वास्तव में मंत्री, सरकारी अधिकारी और राजनैतिक दल इनकी कार्यप्रणाली में प्राय: हस्तक्षेप करते है।

2. सार्वजनिक निगमों को किसी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता और उनका उद्देश्य लाभ कमाना भी नहीं होता। इसीलिए यह अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने का प्रयत्न भी नहीं करते।

3. इनमें जहां कहीं भी जनता से लेन-देन की आवश्यकता होती है वही अंनियंत्रित भ्रष्टाचार व्यापत है।

सरकारी कम्पनी

सरकारी कम्पनी का तात्पर्य उस कम्पनी से जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत चुकता अंश पूंजी केन्द्र सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास या संयुक्त रूप से दोनो के पास होती है।

इसका पंजीकरण भी कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार होता है।

उदाहरण – राज्य व्यापारिक निगम, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

लक्षण

1. सरकारी कम्पनी का समामेलन भी कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ही होता है।

2. इसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है।

3. कम्पनी की कम से कम 51 प्रतिशत चुकता अंश पूंजी सरकार के पास होती है

4. इसका प्रबन्ध सरकार तथा अन्य अंशधारियों के द्वारा चुने गये संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है।

5. इसके कर्मचारियों की भर्ती तथा नियुक्ति कम्पनी के सीमानियम तथा अर्न्तनियमों के अनुसार होती है।

गुण/लाभ

1. सरकारी कम्पनी की स्थापना आसानी से कम्पनी अधिनियम की औपचारिकताओं को पूरा करके करी जा सकती है। इसके लिए विशेष अधिनियम पारित करने की आवश्यकता नही होती।

2. प्रबन्धन संबंधी निर्णय लेने में इनको पूर्ण स्वतन्त्रता मिली होती है।

3. वे अच्छी सेवाएं और वेतन प्रदान करके पेशेवर, कुशल और अनुभवी लोगों को नियुक्त कर सकते है।

सीमाएं

1. सरकारी कम्पनी के प्रदान की गई स्वतंत्रता और लोच केवल काल्पनिक होती है वास्तव में मुख्य अंशधारी होने के कारण सरकार इसे अपने ढंग से चलाती है।

2. सरकारी कम्पनियों में मंत्रियों तथा राजनेताओं का बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है।

3. यह संवैधानिक उत्तरदायित्व से बचती हैं जबकि सरकारी वित्त वाली कम्पनी होने के कारण इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

उपयुक्तता

सरकारी कम्पनी निम्न परिस्थितियों में उपयुक्त होती है।

- जहां सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना चाहती है।
- जहां परियोजनाओं को सरकारी योजना और कोषों की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करी जाती थी - (1) देश की आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए तथा (2) समाज के विभिन्न वर्गो के बीच आय तथा सम्पत्ति का समान वितरण करने के लिए।

समाज में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका व महत्व समय के साथ बदलती रही है। देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का वर्णन हम निम्न प्रकार से कर सकते है।

1. मूलभूत ढांचे का विकास – आजादी के समय देश में मूलभूत उद्योगो जैसे परिवहन, संचार बिजली निर्माण तथा हैवी इन्जीनियरिंग आदि की बहुत कमी थी। निजी क्षेत्र के पास इन भारी उद्योगों में निवेश के लिए पर्याप्त धन नहीं था। अत: जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र को सौपीं गई जो उसने सफलता से निभाई।

2. क्षेत्रीय संतुलन – निजी क्षेत्र उपक्रम पिछड़े या दूरदराज क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं की कमी के कारण उद्योग स्थापित करने से हिचकिचाते हैं। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में नए उपक्रम स्थापित किए जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिला तथा क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ।

3. पैमाने की बचतें – कुछ क्षेत्र जैसे विद्युत शक्ति संयन्त्र, पैट्रोलियम इत्यादि ऐसे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है ताकि बड़े पैमाने की बचतों का लाभ उठाया जा सकें। इनमें विशाल पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों के निर्माण व संचालन का कार्य सार्वजनिक उपक्रमों ने उठाया।

4. आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण पर रोक – निजि क्षेत्रों में केवल कुछ औद्योगिक घरानों ने ही बड़े पैमाने के उद्योगों में निवेश किया जिससे पूंजी कुछ हाथों में ही केन्द्रित हो गई। परिणामस्वरूप एकाधिकार को बढ़ावा मिला तथा आय की असमानताएं बढ़ी। ऐसी परिस्थितियों पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योग लगाए गए जिससे बड़ी संख्या में आय और धन का विभाजन कर्मचारियों और श्रमिकों में हुआ।

5. आयात प्रतिस्थापना – भारत सरकार ने पहले आयात की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए अब कई सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए। तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी कई उपक्रमों की स्थापना करी गई।

इससे देश के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा के भण्डार पर भी बहुत फर्क पड़ा।

सार्वजनिक क्षेत्र को देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। परन्तु इसके कार्य को देखते हुए इसकी भूमिका पर सरकार ने पुन: विचार किया।

6. 1991 से सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 में अपनाई गई नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में चार प्रमुख सुधार किए गए –

क. सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर पहले 17 से 8 तथा फिर 3 कर दी गई।

यह तीन क्षेत्र है : (1) अणु शक्ति (2) हथियार (3) रेलवे परिवहन

ख. मेमोरंडन ऑफ अंडरस्टैडिंग – एम. ओ. यू. के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक स्वायतता दी गई है। उनके लक्ष्य निश्चित कर दिए गए है तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन इकाइयों को कार्यात्मक स्वतन्त्रता सौपीं गई है परन्तु अब वह उन परिणामों को समय पर प्राप्त करने के लिए जवाबदेह होते है।

ग. सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा इकाइयों के अंशो का विनिवेश – इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की

कुछ इकाइयों के समता अंशों को निजी क्षेत्र की इकाइयों व जनता को बेचा जाता है। सरकार को आशा थी कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों की प्रबन्धकीय कुशलता में सुधार आएगा तथा वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा।

घ. बीमार इकाइयों से संबंधित नीति, निजी क्षेत्र की नीति के समान बनाई गई/-हानि पर चलने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण संघ को सौपा गया। बीआईएफआर ने कुछ अधिक बीमार इकाइयों को बन्द करने का निश्चय किया और दूसरी कुछ बीमार इकाइयों, जिन्हें स्वस्थ इकाइयों में परिवर्तित किए जाने की उम्मीद थी, का पुन: उद्धार और पुन: प्रतिष्ठापन करने का फैसला किया।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों/भूमंडलीय उपक्रम

बहुराष्ट्रीय कम्पनी से अभिप्राय ऐसी कम्पनी से है जो कई देशों से व्यवसाय करती है। इसके लिए इसकी शाखाएं, कारखाने और कार्यालय कई देशों में होते है। परन्तु इसका मुख्यालय उस देश में होता है जिसमें समामेलन किया जाता है।

उदाहरण - कोका कोला, सोनी, रीबोक

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लक्षण

1. विशाल पूंजीगत साधन - इनके पास भारी मात्रा में पूंजी होती है तथा ये विभिन्न स्त्रोंतो से वित्त जुटा सकती है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय - यह कई देशों में व्यवसाय करती है, जिसके लिए इनकी शाखाएं, कारखाने तथा कार्यालय कई देशों में होते है।

3. केन्द्रीय नियन्त्रण - इनकी विभिन्न देशों में फैली हुई शाखाओं का नियन्त्रण और प्रबन्ध मौलिक देश में स्थित मुख्यालय द्वारा किया जाता है। सभी शाखाएं मुख्यालय द्वारा बनाई गई नीति के अर्न्तगत कार्य करती हैं।

4. विदेशी सहयोग - प्राय: यह मेजबान देश में स्थानीय उपक्रम के साथ प्रौद्योगिकी की बिक्री, माल के उत्पादन ब्राण्ड के उपयोग के सम्बन्ध में समझौते करती है।

5. आधुनिक तकनीक - प्राय: यह पूंजीवर्धक तकनीक तथा उत्पादन की नवीनतम तकनीक का प्रयोग करती हैं।

6. उत्पाद नवप्रर्वतन - इनके पास अत्याधुनिक सुविधाओं एवं उपकरणों से युक्त शोध एवं विकास विभाग होते हैं जो नये उत्पादों के विकास तथा विद्यमान उत्पादों के डिजाइन में सुधार का कार्य करते है।

7. विपणन रणनीतियां - ये अधिक विश्वसनीय तथा नवीनतम बाजार सूचना प्रणाली के माध्यम से अपने पास नयी सूचनाएं रखते हैं। इनके ब्राण्ड सुप्रसिद्ध होते हैं तथा ये विज्ञापन व विक्रय संवर्द्धन पर अत्याधिक व्यय करते हैं।

संयुक्त उपक्रम

जब दो या अधिक स्वतंत्र फर्मे एक ही उद्देश्य एवं परस्पर लाभ के लिए संयुक्त होती हैं तो इससे संयुक्त उपक्रम का निर्माण होता है। दोनो फर्मे पूंजी प्रदान करती हैं और उपक्रम के प्रबन्ध में भाग लेती है।

उदाहरण – भारत की मारूति कम्पनी व जापान की सुजुकी ने मिलकर मारूति सुजुकी तथा भारत की होरी साईकिल तथा जापान की हॉण्डा मोटर्स कम्पनी ने मिलकर हीरो हॉण्डा का निर्माण किया।

लाभ

1. संसाधनों व क्षमता में वृद्धि होना – दो या अधिक व्यवसायों के संसाधन एवं क्षमता को जोड़ दिए जाने से ये अधिक तेजी व कार्यक्षमता के साथ बढ़ते एवं विस्तृत होते है।

2. उन्नत प्रौद्योगकी का लाभ – सामान्यत: इनकी स्थापना उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए करी जाती है ताकि उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके।

3. नए बाजारों में पहुंच – विभिन्न देशों के साझेदारों के मध्य संयुक्त उपक्रम से नए बाजारों की खोज करने में सहायता मिलती है।

4. नवीनता – इनके कारण बाजार में नई–नई वस्तुएं व उनके नए उपयोग आ पाते है।

5. उत्पादन लागत में कमी – चूंकि संयुक्त उपक्रम बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं। इन्हें क्रय, उत्पादन एवं वितरण में अनेक बचतों का लाभ मिलता है।

6. ब्रांड छवि – इसके निर्माण से एक पक्ष को दूसरे पक्ष की पहले से स्थापित ब्रांड छवि का फायदा मिलता है, जिससे बड़ी मात्रा में निवेश की बचत हो जाती है।

7. जोखिमों का बंटवारा – नई परियोजना में निहित जोखिम, संयुक्त उपक्रम के साझेदारों के बीच बँट जाता है तथा इससे छोटी फर्म की प्रतियोगिता शक्ति भी बढ़ जाती है।

अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न –

1. उस क्षेत्र का नाम बताइये जिसमे व्यावसायिक इकाइयों का स्वामित्व, प्रबंध व नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है।

2. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कोई दो उदाहरण दो।

3. उस पद्धति का नाम बताइये जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबन्ध में अधिक स्वायतता दी गई हैं परन्तु निश्चित परिणामों के लिए उनकी जवाबदेही तय कर दी गई है।

4. ऐसे व्यावसायिक उपक्रम का नाम बताइए जिसका कार्य क्षेत्र कई देशों में फैला हुआ होता है।

5. विभागीय उपक्रम से आपका क्या अभिप्राय है।

6. ऐसे उपक्रम का नाम बताइये जिसका निर्माण संसद या राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है?

लघुउत्तरात्मक

7. मेमौरेंडम ऑफ अंडरस्टैडिंग से आपका क्या अभिप्राय है?

8. सरकार देश में क्षेत्रीय संतुलन किस प्रकार बनाती है?

9. विभागीय उपक्रम एवं सरकारी कम्पनी में कोई तीन अन्तर लिखिए?

दीर्घ उत्तरात्मक

10. संयुक्त उपक्रम किसे कहते है? इसके मुख्य लाभ कौन से है?

11. बहुराष्ट्रीय कम्पनी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो?

12. सरकारी कम्पनी के प्रारूप को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य प्रारूपों की तुलना में प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

13. सार्वजनिक क्षेत्र की परिवर्तनशील भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए?

14. वैधानिक निगम से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो?

15. विभागीय उपक्रम के किन्हीं तीन लाभों तथा किन्हीं तीन सीमाओं का वर्णन करों।

अध्याय 4

व्यवसायिक सेवाऐं

परिचय :- हम सभी ने पेट्रोल पम्प देखे होगे। कभी आप ने सोचा है कि दूर गांवों में या किसी दूर पहाड़ी इलाके क्षेत्र में पेट्रोल पम्प अपना व्यवसाय कैसे करता है?

इतनी बड़ी मात्रा में यह पेट्रोल/डीजल खरीदने के लिये पैसे कैसे प्राप्त करता है? यह पेट्रोल डिपो से कैसे बात करता है? यह अपने व्यवसाय से सम्बन्धित जोखिमों से कैसे अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध करता है?

इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते है केवल एक बिन्दु 'व्यवसायिक सेवाएं' के बारे में जानकर/अध्ययन कर।

व्यवसायिक सेवाओं का अर्थ :- व्यवसायिक सेवाओं का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती है। इनके अभाव में व्यवसाय की कल्पना भी नही की जा सकती।

इनके उदाहरण है - बैकिंग, बीमा, यातायात, संग्रहण एवं संदेशवाहन

व्यवसायिक सेवाओं की प्रकृति :- व्यवसायिक सेवाओं की प्रकृति निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट होती है।

व्यवसायिक सेवाओं की प्रकृति

1. अदृश्यता या अमूर्तता :- सेवाओं को देखा एवं छुआ नही जा सकता। केवल इनका लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरण - डाक्टर से इलाज कराना।

2. भिन्नता :- विभिन्न ग्राहको की मांगो एवं आशाओं में अन्तर होता है। मोबाइल सेवाएं एवं ब्यूटीपार्लर की सेवाएं।

3. अपृथक्करणीयता :- सेवाओं का उत्पादन एवं उपभोग एक साथ होता है। जैसे एटीएम ने बैंक कलर्क को हटा दिया है परन्तु ग्राहक (पैसा निकालने वाला) आवश्यक होना चाहिए।

4. स्कन्ध की हानि :- सेवाओं को भावी उपयोग के लिए संग्रह करके नही रखा जा सकता न ही समय से पूर्व उपयोग किया जा सकता है। जैसे होटल एवं एयरलाइन्स का मन्दी के दौर में भविष्य आने वाली तेजी लिए संग्रह नही कर सकते।

5. सम्बद्ध या ग्राहक भागीदारी :- सेवाओं की सुपुर्दगी प्रक्रिया में ग्राहक की भागीदारी आवश्यक होती है। जैसे कोई ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं में सुधार कराने का अवसर प्राप्त कर सकता है।

सेवाओं के प्रकार :-

सामाजिक सेवाएं :- ऐच्छिक रूप से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली सेवाएं जैसे शैक्षिक सुविधाएं, एनजीओ दी गई सेवाऐं।

व्यक्तिगत सेवाएं :- वे सेवाएं जिनका भिन्न-भिन्न ग्राहकों द्वारा भिन्न तरीके से अनुभव किया जाता है। जैसे - पर्यटन, रेस्टोरेन्ट आदि।

व्यवसायिक सेवाएं :- वे सेवाएं जिन्हें व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपने कार्यो के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण बैकिंग, बीमा, परिवहन, भण्डारण एवं संचार सेवाएं।

बैकिंग :- ऐसा संगठन जो मुद्रा मे लेनदेन करता है। यह जमाओं के रूप में लोगो से मुद्रा को स्वीकार करता है तथा इन्हे उधार देता है। और अपनी जमाराशि को चैक या एटीएम द्वारा निकाल सकते है।

व्यापारिक बैंक | केन्द्रीय बैंक | सहकारी बैंक | विशिष्टकृत बैंक

व्यापारिक बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक अधिकांश अंशधारिता सरकार के पास भारत में 20 है। एसबीआई, पीएनबी, सीबी आदि ।	निजी क्षेत्र बैंक निजी प्रवर्तको का स्वामित्व जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना	विदेशी बैंक विदेशी प्रवर्तको का स्वामित्व जैसे सीआईटीआई बैंक स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक आदि

(2) सहकारी बैंक :- ये बैंक अपने सदस्यों को सस्ती साख प्रदान करते है। यह ग्रामीन साख अर्थात् कृषि वित्तीयन का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है।

(3) विशिष्ट बैंक :- ये विदेशी विनिमय बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, निर्यात आयात बैंक है। ये बैंक उद्योगो एवं निर्यात करने वाली इकाइयों को सहायता देने के लिए बनाए जाते है।

(4) केन्द्रीय बैंक :- केन्द्रीय बैंक देश के बैंकिग ढांचे का सर्वोच्च बैंक होता है। इसके द्वारा देश की व्यापारिक बैकिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है। यह बैकों के बैंक तथा सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। भारत का केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक है।

व्यापारिक बैंको के कार्य

प्राथमिक/मुख्यकार्य

जमाएं स्वीकार करना
(1) स्थायी/आवधिक जमाखाता
(2) चालू/मांग जमा खाता
(3) बचत जमा खाता
(4) आवर्ती जमा खाता
(5) बहुविकल्पीय जमा खाता

धन उधार देना
(1)ऋण
(2) नकद साख
(3) अधिविकर्ष
(4) विनिमय बिल की कटौती एवं क्रय

द्वितीयक/सहायक कार्य

एजेन्सी संबंधी कार्य

सामान्य उपयोगी सेवाएं

ई-बैकिंग

इलेक्ट्रानिक — बैंकिग

अर्थ :- कम्पयूटर एवं इंटरनेट की सहायता से बैकिंग लेनदेन करना।

कम्पयूटरीकृत उपकरणों की मदद से बैंको द्वारा अपने ग्राहको को निम्नलिखित प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

1. इलैक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण प्रणाली
2. ओटोमेटेड टैलर मशीन
3. बिक्री का प्वाइंट
4. क्रेडिट कार्ड

ई-बैंकिग के लाभ

1) 24 घण्टे × 7 दिन सेवा।

2) पूरी दुनिया में कही से भी मोबाइल फोन द्वारा लेनदेन किए जा सकते है।

3) ग्राहकों में सुरक्षा भाव जागृत होती है। उन्हे रोकड़ को ले जाने की आवश्यकता नही होती।

बीमा

अर्थ :- बीमा का अभिप्राय एक ऐसे अनुबन्ध से है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार से एक निश्चित शुल्क लेकर उसके जोखिम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है।

बीमा के सिद्धान्त :-

1. परम सद्विश्वास का सिद्धान्त :- इसका अभिप्राय यह है कि बीमा अनुबंध के दोनो पक्षकारों द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया नही जाना चाहिए।

2. बीमा योग्य हित का सिद्धान्त :- इसका अभिप्राय यह है कि बीमा करवाने वाले तथा बीमा की विषय-वस्तु के मध्य ऐसा संबंध होना चाहिए कि विषय-वस्तु की सुरक्षा से बीमा करवाने वाले को लाभ हो तथा उसकी असुरक्षा से हानि।

3. क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त :- इसका अभिप्राय यह है कि नीमित केवल वास्तविक हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है और बीमा से लाभ अर्जित नही कर सकता।

4. हानि के निकटतम कारण का सिद्धान्त :- इसका अभिप्राय यह है कि हानि के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए हानि के लिए निकटतम कारण को देखा जाता है न की दूरस्थ कारण को।

5. अधिकार समर्पण का सिद्धान्त :- इसका अभिप्राय यह है कि जब बीमाकर्ता किसी क्षति से संबंधित दावे का भुगतान कर देता है तो बीमा की विषय-वस्तु से संबंधित सभी अधिकार बीमाकर्ता को हस्तांरित हो जाते है।

6. अंशदान का सिद्धान्त :- इसका अभिप्राय यह है कि यदि एक ही विषय वस्तु (जीवन को छोड़कर) का एक से अधिक बीमाकर्त्ताओं से बीमा करवाया गया है तो वास्तविक हानि को सभी बीमाकर्त्ताओं में विभक्त किया जाएगा।

7. हानि को न्यूनतम करने का सिद्धान्त :- बीमाधारी का यह कर्त्तव्य है कि वह बीमा की विषय-वस्तु की क्षति से होने वाली हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा भले ही उसका बीमा कराया हुआ है।

बीमा के प्रकार

जीवन बीमा

(1) जीवन बीमा :- आजीवन बीमा पॉलिसी - बीमाकर्त्ता द्वारा केवल बीमित की मृत्यु पर ही धनराशि का भुगतान किया जाता है।

(2) बन्दोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी :- बीमाकर्त्ता द्वारा धनराशि का भुगतान व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा निर्धारित आयु पर पहुंचने अथवा निर्धारित अवधि के समाप्त होने, जो पहले हो, पर किया जाता है।

(3) संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी :- दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक ही पॉलिसी ली जाती है।

(4) वार्षिकी पॉलिसी :- राशि का भुगतान मासिक किश्तों में किया जाता है।

(5) बच्चो की बन्दोबस्ती पॉलिसी :- बच्चों की उच्च शिक्षा/विवाह आदि के उद्देश्य से ली जाती है।

सामान्य बीमा (1) समुद्री बीमा (समुद्री बैरिल)

- जहाज का बीमा
- कार्गो बीमा
- भाड़ा बीमा

(2) अग्नि बीमा - आग लगने के कारण बीमा

(3) अन्य बीमा

- स्वास्थय बीमा
- मोटर वाहन बीमा
- चोरी बीमा
- चोपायो(जानवर) का बीमा
- खेती का बीमा
- विश्वासघात बीमा

संचार सेवाएं

अर्थ :- विचारों तथा सूचनाओं का हस्तान्तरण

महत्व :- (1) व्यवसाय की बाहरी दुनिया जैसे आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहको प्रतियोगियों आदि से सम्पर्क करने में सहायक होती है।

(2) ये अत्लन्त प्रभावशाली, सही एवं तीव्र होती है।

संचार सेवाएं

डाक सेवाएं

(1) वित्तीय सुविधाएं

(अ) मासिक आय प्रणाली

(ब) जमा

(स) मनी आर्डर

(द) एनएससी

(य) किसान विकास पत्र

(2) डाक सुविधाएं

(अ) पार्सल

(ब) वस्तुओं के रजिस्ट्रेशन की सुविधा

(3) बीमा

(4) अन्य उच्चकोटि की सेवाएं

(अ) बधाई डाक

(ब) मीडिया डाक

(स) स्पीडपोस्ट

(द) ई बिल पोस्ट

(य) डायरेक्ट पोस्ट

(र) अन्तर्राष्ट्रीय

(ल) मनी हस्तान्तरण

(व) पासपोर्ट

दूरसंचार

(1) मोबाईल सेवाएं

(2) रेडियो पेजिंग सेवाएं

(3) स्थायी लाइन सेवाएं

(4) केबिल सेवाएं

(5) वेसाट (*VSAT*)

(6) डीटीएच

अन्य

(1) फैक्स

(2) इन्टरनेट

(3) एक्सट्रानेट

(4) ई-मेल

(5) डब्लूडब्लूडब्लू

(6) वॉयस मेल

(7) यूएमएस

परिवहन

अर्थ :- माल एवं व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भौतिक रूप से जाना/पहुंचाना।

परिवहन के साधन :- रेल, वायु, सड़क एवं समुद्री मार्ग।

आवश्यकता एवं महत्व :- परिवहन स्थान सम्बंधी बाधा को हटाता है एवं माल को उत्पादन के स्थान से उपभोक्ताओं के पास पहुंचाता है।

(1) परिवहन माल (कच्चा) एवं मशीनों को निर्माण के स्थान तक पहुंचा कर निर्माण में सहायता करता है। तथापश्चात तैयार माल को मार्किट तक पहुँचाता है।

(2) अच्छी परिवहन सेवा में विक्रय मूल्य में कमी आती है और उपभोक्ता उन्हें अधिक मात्रा में लेते है।

(3) परिवहन सेवा में हर वस्तु हर स्थान पर पहुंच सकती है और जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक होती है।

(4) यह बाह0य व्यापार/आंतरिक व्यापार में सहायता करता है।

(5) यह मार्किट को बहुत खोल देता है। परिवहन के अभाव में वस्तुएं लोकल ही रह सकती है।

(6) यह रोजगार के अत्याधिक अवसर प्रदान करता है।

(7) यह मूल्य नियंत्रण में सहायक होता है। अधिक उत्पादन वाली जगह से वस्तुओं को वहां तक पहुंचाता है जहां वह कम मात्रा में/या नही उपलब्ध होती है।

भंडारण

अर्थ :- माल के उत्पादन अथवा क्रय किए जाने से लेकर इसे बेचे जाने अथवा उपयोग किए जाने तक सुरक्षित रखने से होता है। इसमें माल को उचित दशा में रखने के लिए उचित एवं प्रभावशाली व्यवस्था की जाती है।

भण्डार गृह :- भण्डार गृह ऐसा स्थान होता है जहां वैज्ञानिक तरीके से माल को स्टोर इस प्रकार किया जाता है जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहे।

भण्डार गृहों के प्रकार

(1) निजी भण्डारगृह :- बड़ी बड़ी कम्पनियों/व्यवसायियों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए बनवाया जाता है। इनकी संख्या बहुत कम है क्योंकि इन्हें बनवाने में बहुत खर्च आता है।

(2) सार्वजनिक भण्डारगृह :- ये माल गोदाम बहुत बड़े होते है। इनका प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाता है। निर्माता, व्यापारी एक निश्चित किराया देकर अपना माल सुरक्षित रख सकते है।

(3) सरकारी भण्डारगृह :- ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में होते है। जैसे एफसीआई, एसटीसी, सीडब्लूसी

(4) सहकारी भण्डार गृह :- ये सहकारी उपक्रमों के स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण में होते है। सहकारी विपणन सीमितियां भी अपने सदस्यों को भण्डारण की सुविधाएं प्रदान करती है।

(5) बंधक भण्डार गृह :- यह ऐसे आयातित माल को स्टोर करने के लिए होते है जिस पर आयात शुल्क का भुगतान न किया गया हो। इन्हें सरकार द्वारा लाइसेन्स दिया गया होता है।

भण्डार गृहों का कार्य :-

1) माल का एकीकरण एवं भण्डारण करना

2) जोखिम उठाना

3) कीमतों का स्थायित्व रखना

4) वित्तीयन करना

5) एकीकरण करना

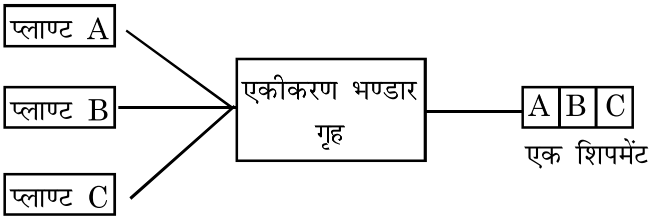

6. बड़ी मात्रा वाले माल का विभाजन करना :-

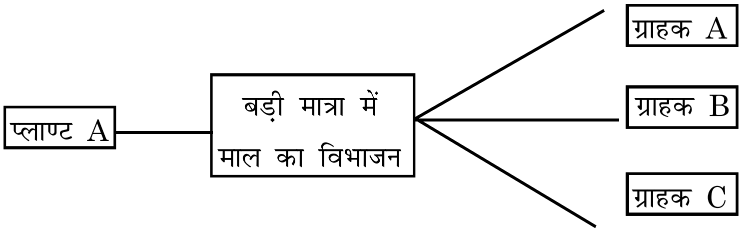

7. मूल्य संवर्द्धित सेवाएं देना :- जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग, मिकसिंग

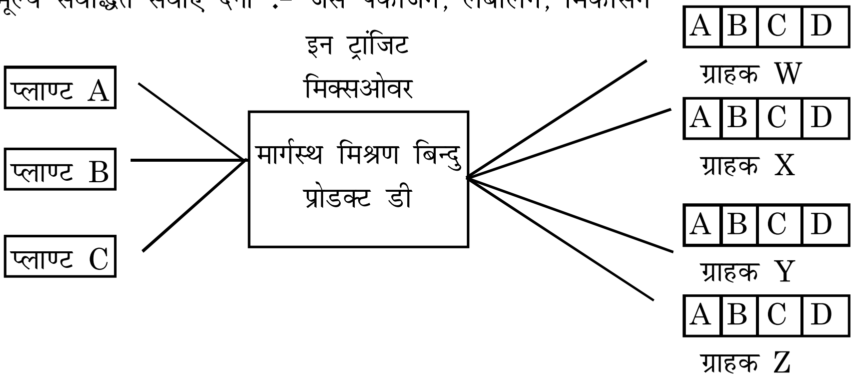

प्रश्नोत्तर

1 अंक वाले प्रश्न

1. सेवा को परिभाषित कीजिए।

2. उन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर सेवाओं एवं माल में अन्तर्भेद किया जाता है।

3. उस वित्तीय संस्था का नाम बताइए जो ऋणदाता एवं प्राप्तकर्त्ता का कार्य करती है?

4. भारत के केन्द्रीय बैंक का नाम तथा सबसे बड़े व्यापारिक बैंक का नाम लिखिए?

5. बीमा को परिभाषित कीजिए?

6. क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त किस प्रकार के बीमा पर लागू नही होता?

7. वह कौन सा बीमा का प्रकार है जिसके अन्तर्गत पॉलिसी लेते समय बीमा योग्य हित का सिद्धान्त नही पाया जाता है?

8. संचार की नवीनतम प्रवृत्तियां कौन-कौन सी है?

9. संचार सेवाओं की दो श्रेणियां कौन-कौन सी है?

10. उस भण्डारगृह का नाम लिखिए जिसमें आयतित वस्तुएं रखी जाती है?

3/4 अंक वाले प्रश्न

11. बैंक क्या है? सभी प्रकार के बैंको का नामांकन कीजिए?

12. बीमा के तीन लाभों का वर्णन कीजिए?

13. इन्टरनेट से आपका क्या अभिप्राय है? इसके तीन लाभ लिखिए?

14. भण्डारण के महत्व का वर्णन कीजिए?

15. ई-बैकिंग क्या है? ई-बैकिंग के लाभो का वर्णन कीजिए?

5/6 अंक वाले प्रश्न

16. सेवाओं की विशेषताओं का नामांकन सहित वर्णन कीजिए?

17. संचार के माध्यमों का नामांकन सहित वर्णन कीजिए?

18. एक फैक्ट्री का मालिक अपने माल का बीमा कराता है वह इस तथ्य को छुपाता है कि बिजली विभाग से उसे अपनी फैक्ट्री के तारों को बदलने का आदेश मिला हुआ है। बाद में शार्ट -सर्किट के कारण आग लग जाती है क्या उसे बीमा कम्पनी से पैसा मिलेगा?

19. अजय ने अपने कारखाने को बंधक के रूप में रखकर अनुज से ऋण लिया। क्या अनुज द्वारा इस कारखाने का अग्नि बीमा कराया जा सकता है?

20. भण्डारण के निम्न कार्यो का वर्णन कीजिए?

(1) एकीकरण करना

(2) कीमतों में स्थायित्व रखना

(3) वित्तीयन करना

21. परिवहन के महत्व का सेवाओं के नामांकन के साथ विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए?

अध्याय 5

व्यवसाय की उभरती हुई विधियाँ

परिचय :- व्यवसाय का संसार बदल रहा है। ई-व्यवसाय और बाहय स्त्रोतीकरण इन परिवर्तनो के दो महत्वपूर्ण सूचक है। यह प्रवृत्तिया मिलकर व्यवसाय को चलाने के वर्तमान और भविष्यक विधियों को पुनर्संचित कर रही है। यह दोनों लगातार विकास कर रहे है। और इसलिए इन्हे व्यवसाय की उभरती पद्धतियां कहा गया है।

ई-व्यवसाय :- इलेक्ट्रानिक व्यवसाय

अर्थ :- ई-व्यवसाय का आश्य कम्पयूटर नेटवर्क अर्थात इन्टरनेट के माध्यम से औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को (24 घण्टे × 7 दिन) संचालित करने से है। इसके लिए क्रेताओं एवं विक्रेताओं को शारीरिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नही होती।

ई-वाणिज्य :- ई-वाणिज्य सभी वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे - इन्टरनेट के माध्यम से माल के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त करने, आदेश देने, सुपुर्दगी प्राप्त करने, भुगतान आदि करने में व्यवहार करने की एक इलेक्ट्रानिक प्रणाली है।

ई-व्यवसाय का क्षेत्र

1.बी-टू-बी वाणिज्य :- व्यवसाय से व्यवसाय - इसके अंतर्गत दो फर्म अथवा व्यवसायिक इकाइयां इलैक्ट्रानिक रूप से संव्यवहार करती है। उदाहरण के लिए कोई मोबाईल निर्माणकर्ता फर्म दूसरी आपूर्ति करने वाली फर्म जैसे मारूति उद्योग आदि से बी-टू-बी वाणिज्य करती है।

2. बी-टू-सी वाणिज्य :- यह व्यवसाय (बी) से ग्राहक (सी) लेनदेन होता है। इसमें व्यवसायिक फर्मे एक ओर होती है तथा इसके ग्राहक दूसरी ओर होते है।

- व्यवसायिक फर्म द्वारा उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार किया जाता है।
- कम्पनियां अपने उत्पादों/सेवाओं की बिक्री ऑनलाइल करती है। जैसे अमूल.कॉम अपने उत्पाद आनलाइन बेचता है।
- यह तीव्र और 24 घण्टे उपलब्ध होता है।

3) इन्ट्रा-बी-वाणिज्य :- इसके अन्तर्गत एक ही व्यवसायिक फर्म के दो व्यक्ति अथवा दो विभाग लेन देन करते है। उदाहरण के लिए विपणन विभाग द्वारा उत्पाद विभाग के सतत् रूप से अन्तक्रियां की जा सकती है तथा ग्राहको की आवश्यकताओं के अनुसार माल का डिजाइन तैयार कराया जा सकता है।

4) सी टू सी वाणिज्य :- इसमें दोनो पक्षकार ग्राहक होते है। इसकी आवश्यकता ऐसे माल को खरीदने

एवं बेचने के लिए होती है जिसके लिए कोई स्थापित बाजार नही होता।

उदाहरण :- पुरानी किताबों का आन लाइन बेचना

परम्परागत एवं ई-व्यवसाय :- तुलनात्मक अध्ययन

आधार	परम्परागत व्यवसाय	ई-व्यवसाय
1. निर्माण	कठिन	सरल
2. भौतिक उपस्थिति	आवश्यक	आवश्यक नही
3. स्थान	मार्किट	नही
4. लागत	अधिक	कम/बिल्कुल नहीं
5. सम्प्रेषण	प्राय: अद्योगामी	गैर सौपानिक

ई-व्यवसाय के लाभ

1) निर्माण में सरलता तथा कम निवेश की आवश्यकता :- पूंजी की आवश्यकता बहुत कम होती है। स्टाक नही रखना होता

2) सुविधा 24 घण्टे × 7 दिन कभी भी कही भी कुछ भी

3) गति :- इन्टरनेट द्वारा क्रय एवं विक्रय का कार्य माऊस पर क्लिक करते ही होता है।

4) वैश्विक पहुंच :- ग्राहको द्वारा एक ही समय में विश्व के विभिन्न भागों में उपलब्ध समतुल्य उत्पादो को देखकर एवं उनका मूल्यांकन किया जा सकता है तथा सर्वाधिक उपयुक्त उत्पाद का चयन किया जा सकता है।

5) कागजरहित समाज :- ई-व्यवसाय में इन्टरनेट का उपयोग होने से कागजी कार्यवाही पर निर्भरता कम होती है।

6) लागत में कमी :- सूचनाओं का आदान-प्रदान, प्रचार और सुपुर्दगी की लागत बहुत कम होती है।

7) ग्राहक संतुष्टि एवं सुविधा :- इन्टरनेट के माध्यम से उत्पाद खरीदना/सेवा प्राप्त करना आसान होता है एवं पैसे का लेन देन भी आन लाइन हो जाता है।

ई व्यवसाय की सीमाएं/हानियां

1) कम व्यक्तिगत सम्पर्क : ई व्यवसाय में वस्तुओ का क्रय एवं विक्रय करने मे व्यक्तिगत सम्पर्क बहुत कम होता है। इसलिए ई-व्यवसाय फर्नीचर, आभूषण, कपड़े जैसी वस्तुओं के लिए उपयुक्त नही होता।

2) सुपुर्दगी मे देरी :- माल की भौतिक सुपुर्दगी में अधिक समय लगता है। कभी कभी कुछ तकनीकी कारणों से वेबसाइटो में भी सामान्य समय से अधिक समय लग जाता है।

3) तकनीक से परिचय न होना :- यह व्यवसाय केवल उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जो

कम्पयूटर पर कार्य करने मे सक्षम होते है।

4) उच्च जोखिम :- पक्षकारों के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने के कारण पक्षकारों की पहचान करना एवं कार्य करने के स्थान को भी जानना कठिन होता है।

5) मानवीय प्रतिरोध :- लोगो के द्वारा असुरक्षा एवं दबाव की भावना के कारण नई तकनीक एवं व्यवसाय के नए तरीको का विरोध किया जाता है।

6) अनुचित व्यवहार :- बहुत सी फर्मे अपने कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ई-मेल एकाउण्ट, कम्पयूटर फाइलों एवं वेबसाईट को ठीक से संचालित करने के लिए इलेक्ट्रानिक आई उपयोग करते है। जिस से उनकी निजी जिन्दगी में हस्तक्षेप होता है।

क्रय विक्रय की प्रक्रिया

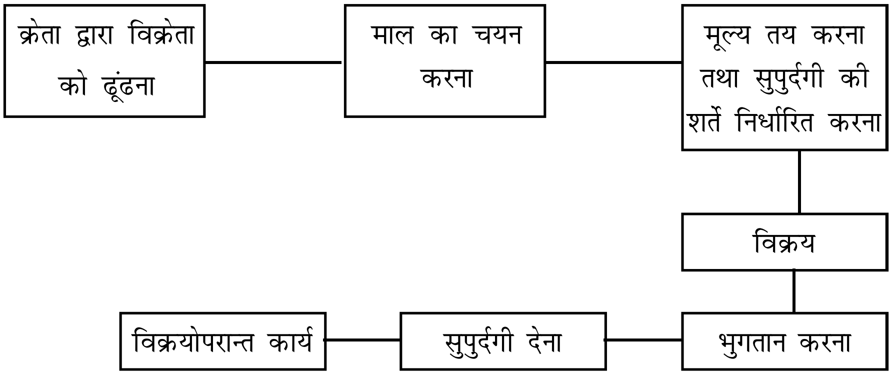

सुपुर्दगी अवस्था के अलावा शेष सभी अवस्थाएं सूचना के प्रवाह को शामिल करती है।

परम्परागत व्यवसाय में सूचनाओ के आदान प्रदान के माध्यम

(1) आमने सामने अन्त क्रिया:- श्रम, समय एवं धन की बरबादी।

(2) टेलीफोन - दोनों पक्षकारों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक।

(3) डाक:- समय एवं धन का व्यय

(4) इन्टरनेट :- उपरोक्त समस्याओं का समाधान

ग्रहको के दृष्टिकोण से एक ऑन-लाइन लेन देन में निम्नलिखित कदम शामिल है।

(1) पंजीयन :- पंजीयन फार्म ऑनलाइन विक्रेता के यहां भरना जिससे एक एकाउण्ट मिल जाता है।

(2) आदेश देना :- वंछित उत्पाद/सेवा की पहचान कर लेने के बाद कीमत एवं सुपुर्दगी शर्तो को तय कर विक्रेता को आदेश देते है।

(3) भुगतान यांत्रिकी :- सुपुर्दगी पर रोकड़ (*COD*)/चैक/एनबीटी/क्रेडिट या डेबिट कार्ड/डिजिटल रोकड़

ई-व्यवसाय का जोखिम

1) लेन देन सम्बन्धी जोखिम :- (1) आदेश लेने देने में गलती (2) सुपुर्दगी में गलती (3)भुगतान में गलती

2) डाटा भण्डारण एवं प्रेषण सम्बन्धी जोखिम

(1) वायरस :- वायरस सूचनाओं को नष्ट कर देते है।

हैकिंग :- वेबसाईट में अनधिकृत एन्ट्री किया जाना

बौद्धिक सम्पदा एवं गुप्तता के दबाव सम्बन्धी जोखिम :- इंटरनेट पर एक बार सूचनाएं उपलब्ध हो जाने पर नकल हो जाना।

सफल ई-व्यवसाय के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन

1. अच्छी वेबसाईट
2. अच्छा कम्पयूटर सिस्टम
3. तकनीकी रूप से प्रशिक्षित तथा योग्य श्रम-शक्ति
4. समुचित दूर संचार प्रणाली

आउटसोर्सिग/बाहयस्रोतीकरण

अर्थ-कम महत्वपूर्ण एवं दैनिक गतिविधियों को बाहरी व्यक्तियों/एजेन्सियों से कराना आउटसोर्सिग कहलाता है। इससे संस्था को बाहरी विशेषज्ञ एजेन्सियों के अनुभव विशेषज्ञता एवं कार्य क्षमता का लाभ मिल जाता है। उदाहरण :- रिलांयस इन्डस्ट्रीज लि० अपनी विमल ब्राण्ड का विज्ञापन *Vimal* एडर्वटाइजिंग से कराते है।

आउटसोर्सिग की प्रकृति एवं लक्षण :-

1. बाहर से कार्य कराने से सम्बन्धित होना।

1 अंक वाले प्रश्न

1) व्यवसाय की दो उभरती हुई विधियाँ क्या है?

2) ई-व्यवसाय क्या है?

3) ई-वाणिज्य क्या है?

4) ई व्यवसाय के किन्ही दो अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए?

5) सी-टू-सी वाणिज्य के अनुप्रयोगों के दो उदाहरण लिखिए?

6) ई-व्यवसाय के दो महत्व लिखिए?

7) ई-व्यवसाय अपने ग्राहको को सुविधाएं कैसे प्रदान करता है?

8) क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड का प्रचलित नाम लिखिए?

9) वाइरस क्या है?

10) ई व्यवसाय के जोखिम के दो प्रकार लिखिए?

3/4 अंक वाले प्रश्न

11) ई–व्यवसाय एवं परम्परागत व्यवसाय में कोई तीन अंतर लिखिए?

12) ई–व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं एवं लाभो का संक्षिप्त वर्णन कीजिए?

13) ई–व्यवसाय की किन्ही चार सीमाओं का वर्णन कीजिए?

14) व्यवसाय अपनी सेवाओं को आउटसोर्स क्यो कर रहा है? किन्ही तीन कारणों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए?

5/6 अंक वाले प्रश्न

15. ऑनलाइन ट्रेडिंग में शामिल कदमों का वर्णन कीजिए?

16. एक व्यवसायिक फर्म ऑनलाइन लेन देनों की सुरक्षा एवं संरक्षण किस प्रकार करती है? कोई चार विधियां समझाइए?

अध्याय 6

व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता

सामाजिक दायित्व की अवधारणा - व्यवसाय समाज का एक अंग है। व्यवसाय को उन सभी बातों का पालन करना चाहिए जो समाज के लिए जरूरी है। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ उन नीतियों का अनुसरण करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यो को करना है जो समाज के लक्ष्यों एवं मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय है। व्यावसायिक इकाइयों को सामाजिक आकांक्षओं को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक क्रियाएं करनी चाहिए तथा लाभ अर्जित करना चाहिए।

सामाजिक दायित्व के पक्ष में तर्क - व्यवसाय की आधुनिक धारणा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की मान्यता को समर्थन देती है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए है।

1. अस्तित्व एवं वृद्धि के लिए - व्यवसाय का अस्तित्व वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा मानव जाति की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है। व्यवसाय की उन्नति एवं विकास तभी संभव है जबकि समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं लगातार उपलब्ध होती रहें।

2. फर्म का दीर्घकालीन हित - एक फर्म लम्बे समय तक अधिकतम लाभ तभी कमा सकती है। जब उसका सर्वोच्च लक्ष्य समाज सेवा करना है।

3. सरकारी नियमों से बचाव - यदि व्यवसाय का सामाजिक दायित्वों की पूर्ति की तरफ कोई ध्यान नही जाता है तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इससे व्यवसाय की स्वतंत्रता समाप्त होती है। इसलिए व्यवसाय को स्वेच्छा से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।

4. सार्वजनिक छवि - यदि व्यवसाय अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करता है तो उसकी सार्वजनिक छवि सुधरेगी जिससे उसकी सफलता को बढ़ावा मिलेगा।

5. पर्यावरण को साफ-सुथरा रखना - उद्योगो से पर्यावरण दूषित होता है। इस प्रदूषण से जनता के स्वास्थय पर प्रभाव पड़ता है। उद्योगो को इस प्रदूषण से जनता के स्वास्थय की रक्षा करनी चाहिए।

6. व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण :- जो व्यवसाय लोगों के जीवन की गुणवताा के प्रति जागरूक होता है उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए परिणाम स्वरूप अच्छा समाज मिलता है।

सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में तर्क :-

1. लाभ बढ़ाने के उद्देश्य का उल्लघंन - व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इसे अपने साधन एवं शक्तियां सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में व्यर्थ नही करना चाहिए

2.उपभोक्ताओं पर अनुचित भार - व्यवसाय द्वारा सामाजिक दायित्व को पूरा करने में बहुत सा

खर्च आता है। यह खर्च अंत में व्यवसाय के ग्राहको को भरना पड़ता है।

3. सामाजिक कौशल की कमी- व्यावसायिक फर्मो के प्रबन्धकों में सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक कौशल की कमी होती है। इसलिए सामाजिक समस्याओं का सामाधान अन्य विशिष्ट एजेन्सियों द्वारा किया जाना चाहिए।

4. जन समर्थन का अभाव :- जन समुदाय द्वारा व्यवसाय का सामाजिक कार्यक्रमों में हस्तक्षेप पसन्द नही किया जाता है। इसलिए कोई भी व्यावसायिक उपक्रम जनता के विश्वास के अभाव एवं सहयोग के बिना सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सफलतापूर्वक कार्य नही कर सकता।

सामाजिक उत्तरदायित्वों की तरफ ध्यान देने के कारण :-

सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष और विपक्ष में विवेचना करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचते है कि कुछ शक्तियां व्यावसायिक उद्यमों की सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं यह शक्तियां निम्नलिखित हैं -

1. जनता के दबाव के कारण - जब व्यावसयिक संगठन असामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं तो जनता की सुरक्षा हेतु कार्यवाही की जाती है जिसके कारण व्यावसयिक उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाते है।

2. श्रम आन्दोलन का दबाव - आजकल श्रमिक अधिक शिक्षित एवं संगठित हो गए है। इसलिए व्यवसायिक उपक्रमों को श्रमिको के हित में कार्य करने पड़ते है।

3. उपभोक्ता जागरण का प्रभाव - जन सम्पर्क साधनों एवं शिक्षा के विकास एवं बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता ने आज उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक एवं अधिक सशक्त बना दिया है। आज बाजार में क्रेता को बादशाह कहा जाता है। इसलिए व्यवसायियों ने ग्राहक उन्मुख नीतियों का पालन करना शुरू कर दिया है।

4. व्यावसायियों के लिए सामाजिक मानकों का विकास - आज कोई भी व्यावसयिक इकाई अपने मनमाने ढंग या मनमाने मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय नही कर सकती। नवीनतम सामाजिक मानकों के विकसित हो जाने से व्यवसायी नियमों का पालन करते हुए सामाजिक आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति करते है।

5. व्यावसायिक शिक्षा का विकास - व्यवसायिक शिक्षा के विकास ने समाज को सामजिक उद्देश्यों के प्रति और अधिक जागरूक बना दिया है।

6. सामाजिक हित तथा व्यावसायिक हितों में संबंध - आज व्यावसायिक उपक्रमों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि सामाजिक हित तथा व्यावसायिक हित एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक है। व्यवसाय दीर्घकाल तक तभी चल सकते है जब वे समाज की सेवा भली-भाति करें।

सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रकार

1. आर्थिक उत्तरदायित्व - मुख्य रूप से व्यवसायिक उपक्रम एक आर्थिक इकाई है तथा इसका सबसे पहला उत्तरदायित्व लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना तथा

लाभ पर विक्रय करके सुलभ कराना है।

2. कानूनी उत्तरदायित्व - प्रत्येक व्यवसाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह देश के कानून का पालन करे क्योंकि यह कानून समाज के हित के लिए होते है। कानून का पालन करने वाला उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने वाला उद्यम होता है।

3. नैतिक उत्तरदायित्व - इसमें वह व्यवहार सम्मिलित हैं जिसकी समाज को व्यवसाय से अपेक्षा होती है। उदाहरण के लिए मिलावट न करना, मनुष्यों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना इत्यादि।

4. विवेकशील उत्तरदायित्व - यह स्वैच्छिक, उत्तरदायित्व है जिसे व्यवसायी अपनाते हैं। उदाहरणार्थ शिक्षण संस्थाओं के लिए दान देना, कमजोर वर्ग के लोगो की सहायता करना इत्यादि।

विभिन्न हित समूहों के प्रति व्यवसाय का समाजिक दायित्व - व्यवसाय का समाज के विभिन्न समूहों जैसे, स्वामियों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार और समुदाय के साथ संबंध रहता है। विभिन्न समूहों के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारियां निम्नलिखित है -

1. मालिकों अथवा निवेशकों के प्रति उत्तरदायित्व -

(अ) स्वामियों अथवा अंशधारियों के निवेश पर उचित एवं नियमित प्रतिफल सुनिश्चित करना।

(ब) निवेश किए गए कोषों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(स) कम्पनी की प्रगति एवं वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी निवेशकों को देते रहना।

(द) व्यावसायिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करना।

(य) व्यवसाय में सभी प्रकार के निवेशकों के हितों की रक्षा करना।

2. कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व

(1) उचित पारिश्रमिक देना।

(2) काम करने के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना।

(3) व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का आदर करना

(4) नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना।

3. उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व

(1) अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।

(2) ग्राहकों की रूचि के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराना।

(3) वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(4) उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र तथा सावधानीपूर्वक निपटारा करना।

(5) विक्रय के बाद सेवा प्रदान करना तथा मुनाफाखोरी व मिलावट आदि बुराइयों से दूर रहना।

4. सरकार के प्रति उत्तरदायित्व

(1) सरकार को समय-समय पर करों का भुगतान ईमानदारी से करना।

(2) सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा कानूनों का निष्ठा से पालन करना

(3) अनैतिक उपायों द्वारा सरकारी तंत्र का लाभ न उठाना।

5. समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व

(1) रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

(2) वातावरण को दूषित होने से बचाना।

(3) समाज को उन्नति की तरफ ले जाने वाले कार्यक्रमों में सहयोग देना।

व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण

वातावरण का अर्थ - मनुष्य के आस-पास के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरण को ही पर्यावरण या वातावरण कहते है। ये वातावरण प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है।

वातावरण प्रदूषण का अर्थ - वातावरण प्रदूषण वह होता है जिससे भौतिक, रसायनिक तथा जैविक लक्षणों द्वारा हवा, भूमि तथा जल में बदलाव आता है। वातावरण के प्रदूषण के साथ व्यवसाय को जोड़ा जा सकता है क्योंकि वातावरण को दूषित करने में व्यवसाय ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए व्यावसायिक फर्मो के लिए यह आवश्यक है कि अपने चारों और के वातावरण की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण

बहुत से औद्योगिक संगठन (1) वायु (2) जल (3) भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। इनकी व्याख्या नीचे की गई है -

(1) वायु प्रदूषण - मोटर वाहनों द्वारा छोड़ी गई कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कारखानों से निकला हुआ धुंआ वायु प्रदूषण फैलता है। इससे हमारी पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत में भी छिद्र हो गया है जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है जो कि खतरनाक है।

(2) जल प्रदूषण - औद्योगिक कचरे को नदियों एवं झीलों में बहा दिया जाता है। जल प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष हजारो पशुओं की मृत्यु हो जाती है और यह मानव जीवन के लिए गंभीर चेतावनी है।

(3) भूमि प्रदूषण - इस प्रदूषण का कारण कचरे को भूमि के अन्दर दबा देने से होता है। इसके कारण भूमि की गुणवत्ता तो नष्ट होती ही है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है।

(4) ध्वनि प्रदूषण - कुछ कारखाने बहुत अधिक शोर पैदा करते है। अधिक शोरगुल में रहने से लोग अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते है जैसे - मानसिक रोग, दिल के रोग, बहरे हो जाना आदि।

प्रदूषण नियन्त्रण की आवश्यकता -

1. स्वास्थय संबंधी आशंकाओं को कम करना - कैसंर, ह्रदय एवं फेफड़ो से संबंधित बीमारियां हमारे समाज में मृत्यु का प्रमुख कारण है तथा ये बीमारियां वातावरण में दूषित तत्वों के कारण है। प्रदूषण नियंत्रण द्वारा बीमारियों की भंयकरता को कम किया जा सकता है।

2. सुरक्षा संकटो को कम करना – सर्दियाों में वायु प्रदूषण के कारण कोहरा उत्पन्न होता है। स्पष्ट दिखाई न देने के कारण अनेक वायु, रेल एवं सड़क दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना आवश्यक है।

3. आर्थिक हानियों को नियंत्रित करना – प्रदूषण के कारण देश को बहुत सी आर्थिक हानियां पहुंचती है जैसे कि ताजमहल प्रदूषण के कारण अपनी सुदंरता को खो रहा है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने का मामला अत्यन्त गंभीर है।

4. सार्वजनिक छवि में सुधार – आज जनता वातावरण की गुणवत्ता के बारे में अधिक जागरूक है। जब एक व्यवसाय वातावरण को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी ले लेता है तो उस संस्था की सार्वजनिक प्रतिष्ठा एक सार्वजनिक कर्त्तव्यनिष्ठ उद्यम के रूप में उभरती है।

पर्यावरण के संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका :-

1. औद्योगिक संगठनों द्वारा ऐसी तकनीक प्रयोग की जानी चाहिए जिसमें औद्योगिक कचरा कम हो तथा जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए।

2. जहां तक हो सके औद्योगिक कचरे का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए।

3. प्रदूषण को कम करने के लिए संयंत्र एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

4. व्यावसयिक गृहों को प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों एवं कानूनों का पालन करना चाहिए।

5. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सकारातमक कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें वृक्षारोपण, नदियों की सफाई एवं वन्य जीवन की सुरक्षा सम्मिलित है।

व्यावसायिक नैतिकता :- से अभिप्राय उन नैतिक सिद्धान्तों से है जिनके आधार पर व्यवसाय चलाया जाना चाहिए। ये सिद्धान्त अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते है। इसका अर्थ है कि यह सोचना कि हम गलत कर रहे हैं या ठीक। एक व्यावसायिक इकाई को चाहिए कि वह सही मूल्य वसूल करें सही तौल कर दे, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करें।

व्यावसयिक नैतिकता के तत्व

1. उच्चस्तरीय प्रबन्ध की प्रतिबद्धता – उच्च स्तरीय प्रबन्धा को नैतिकता के व्यवहार के विषय में संगठन में समझाने की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। परिणामों को प्राप्त करने के लिए उच्चस्तरीय प्रबन्धकों को निश्चित रूप से नैतिकता व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए।

2. सामान्य कोड का प्रकाशन – ये वे उद्यम हैं जिनके पास प्रभावी नैतिक कार्यक्रम हैं।वे सभी संगठनों के लिए नैतिक सिद्धान्तों को लिखित प्रलेखों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हे कोड कहा जाता है जैसे ईमानदारी, कानून पालन, बाजार की उचित विक्रय प्रणाली आदि।

3. अनुपालन तंत्र की स्थापना – यह निश्चित करने के लिए कि वास्तविक निर्णय तथा कार्यो का निरूपण फर्म के नैतिक स्तरों के अनुसार किया जाता है उचित यन्त्र निर्माण कला की स्थापना करनी

चाहिए। जैसे की - भर्ती तथा भाड़े पर श्रम लेने के लिए नैतिक मूल्यों की और ध्यान देना।

4. प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना - व्यवसाय को नैतिकता का वास्तविक रूप देने के लिए कर्मचारियों को प्रत्येक स्तर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उनकी संबद्धता नैतिक कार्यक्रमों में भी हो सके।

5. परिणामों का मापन - यद्यपि यह बहुत ही कठिन कार्य है कि नैतिक कार्यक्रमों की माप की जाए लेकिन फिर भी फर्म कुछ मानक स्थापित करके ऐसा कर सकती है।

1 अंक वाले प्रश्न

(1) सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा बताइए?

(2) व्यावसायिक नैतिकता के दो उदाहरण लिखिए?

(3) ध्वनि प्रदूषण के दो प्रभाव लिखिए?

(4) पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है?

(5) कम्पनी की वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी देना किस समूह के प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व है?

3-4 अंक वाले प्रश्न

(6) पर्यावरण सुरक्षा में व्यवसाय की भूमिका स्पष्ट कीजिए?

(7) कर्मचारियों के प्रति व्यवसाय के तीन उत्तरदायित्व लिखिए?

(8) व्यावसयिक नैतिकता की परिभाषा दीजिए एवं इनके महत्व का वर्णन कीजिए?

(9) एक व्यवसाय को सामाजिक जिम्मेदार क्यो उठानी चाहिए?

(10) पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए?

5-6 अंक वाले प्रश्न

(11) उन शक्तियों का वर्णन कीजिए जो व्यावसायिक उद्यमों की सामाजिक जिम्मेदारियों को बढानें के लिए उत्तरदायी है?

(12) यह समाज के हित में है कि वह विभिन्न हित समूहों के प्रति अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करें। वर्णन कीजिए?

अध्याय 7

व्यवसायिक वित्त के स्त्रोत

वित्त शब्द का अर्थ मुद्रा या धन अथवा कोषों से लगाया जाता है। व्यवसाय द्वारा अपनी विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए कोषों की आवश्यकता को व्यवसायिक वित्त कहते है।

व्यवसायिक वित्त की प्रकृति :-

1. स्थायी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकता :- एक नया व्यवसाय आरम्भ करने के लिए स्थायी सम्पत्तियां खरीदने के लिए कोषों की आवश्यकता होती है जैसे - भूमि, भवन, प्लांट और मशीनरी आदि। यह स्थायी सम्पत्तियों की आवश्यकता कहलाती है।

2. कार्यशील पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताएं :- एक व्यवसाय को अपने प्रतिदिन के कार्यो को चलाने के लिए कोषो की आवश्यकता होती है। इसे कार्यशील पूंजी कहां जाता है जैसे कच्चामाल खरीदने,मजदूरी व वेतन का भुगतान करने तथा बिजली बिल का भुगतान करने के लिए कोषों की आवश्यकता होती है।

3. विविधीकरण हेतु :- एक कम्पनी को अपने उत्पाद के विविधीकरण अर्थात् बहु उत्पाद के लिए कोषों की आवश्यकता होती है जैसे आई. टी. सी.।

4. तकनीकी सुधार हेतु :- आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए कोषों की आवश्यकता होती है जैसे व्यवसाय में कम्पयूटर का उपयोग।

5. विकास एवं विस्तार हेतु :- तेजगति से आगे बढ़ने के लिए व्यवसाय को ज्यादा विनियोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यवसाय के विकास व विस्तार के लिए वित्त की आवश्यकता होती है।

वित्त प्राप्त करने की विधियां :-

अंशो का निर्गमन :- अंशो के जारी करने से प्राप्त पूंजी को अंश पूंजी कहा जाता है। कम्पनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में बंटी होती है जिसे शेयर कहते है। यदि कोई कम्पनी 10,000 शेयर 10 रूपये मूल्य पर जारी करती है तो उस कम्पनी की अंशपूंजी 100,000 रूपये होगी। जिस व्यक्ति के पास ये शेयर होगे उसे शेयर होल्डर कहां जाता है। शेयर दो प्रकार के होते है :-

(अ) समता शेयर (ब) पूर्वाधिकार शेयर

(अ) समता शेयर :- समता शेयर-धारी कम्पनी का स्वामी होता है उसे प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार एवं वोट देने का अधिकार होता है क्योंकि वह कम्पनी का स्वामी होता है।

कोष के स्त्रोतों का वर्गीकरण

कोषों के स्त्रोतों का वर्गीकरण

- अवधि के आधार पर
  - **दीर्घ अवधि**
    - समता अंश
    - संचित आय
    - पूर्वाधिकार अंश
    - ऋणपत्र
    - वित्तिय संस्थानों से ऋण
    - बैंकों से ऋण
  - **मध्य अवधि**
    - बैंकों से ऋण
    - सार्वजनिक जमा
    - वित्तीय संस्थानों से ऋण
    - पट्टाधिवित्त
  - **अल्प अवधि**
    - व्यापार साख
    - आढत
    - बैंक
    - वाणिज्यिक पत्र
- स्वामित्व के आधार पर
  - **स्वामित्व कोष**
    - समता अंश
    - संचित प्राय
  - **ऋणगत कोष**
    - ऋण पत्र
    - बैंकों से ऋण
    - वित्तीय संस्थानों से ऋण
    - सार्वजनिक जमा
    - नीज वित्तीयन
    - वाणिज्यिक पत्र
- जुटाने के स्त्रोत के आधार पर
  - **आंतरिक स्त्रोत**
    - समता अंश पूंजी
    - संचित आय
  - **बाह्य स्त्रोत**
    - वित्तीय संस्थाएं
    - बैंकों से ऋण
    - पूर्वाधिकार अंश
    - सार्वजनिक जमा
    - ऋण पत्र
    - व्यापारिक पत्र
    - व्यापार साख
    - फैक्टरिंग

लाभ/गुण :-

1. स्थायी पूंजी :- लम्बी अवधि के लिए वित्त प्राप्त करने के लिए समता अंश महत्वपूर्ण है।

2. सम्पत्तियों पर भार नहीं :- समता शेयर जारी करते समय कम्पनी को अपनी सम्पत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती।

3. अधिक लाभ :- समता अंशधारी को अधिक लाभ की प्राप्ति होती है जब कम्पनी ज्यादा लाभ कमाती है।

4. नियंत्रण :- समता शेयर धारी प्रबन्ध में हिस्सा ले सकता है एवं उसे वोट देने का अधिकार होता है।

5. कम्पनी पर भार नहीं :- समता अंशधारी को लाभांश का भुगतान करना जरूरी नहीं होता।

सीमाएं/हानियां :-

1. जोखिम :- समता अंशधारी को सबसे ज्यादा जोखिम होता है क्योंकि उसे लाभांश का भुगतान आवश्क नहीं होता।

2. ज्यादा लागत :- समता अंशो की लागत ऋण की लागत एवं पूर्वाधिकार शेयरों की लागत से ज्यादा होती है।

3. अधिक देरी :- समता शेयर जारी करने में ज्यादा समय लगता है।

4. शेयर बाजार की दशा :- समता अंशधारी को जोखिम ज्यादा होता है। इसलिए शेयर बाजार में तेजी के समय समता शेयर की मांग ज्यादा होती है।

पूर्वाधिकार अंश :- पूर्वाधिकार अंशो को ज्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है। ये एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करते है। ये एक लेनदार की तरह होते है इन्हें वोट देने का अधिकार नही होता।

पूर्वाधिकार अंशो के प्रकार :-

(1) संचंयी पूर्वाधिकार अंश (2) असंचयी पूर्वाधिकार अंश (3) भागीदारी पूर्वाधिकार अंश (4) गैर भागीदार पूर्वाधिकार अंश (5) परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश (6) अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश

पूर्वाधिकार अंशो से लाभ :-

1. निवेश की सुरक्षा :-पूर्वाधिकार अंशो का निवेश सुरक्षित होता है। उन्हें लाभ एवं पूंजी प्राप्त करने का पहले अधिकार होता है।

2. सम्पत्तियों पर भार नही :-जब कम्पनी ये शेयर जारी करती है तो उसे कोई सम्पत्ति गिरती नही रखनी पड़ती।

3. नियन्त्रण :- ये शेयर धारक कम्पनी के प्रबन्ध को प्रभावित नही करते क्योंकि इन्हे वोट देने का अधिकार प्राप्त नही होता।

4. निश्चित लाभांश :- पूर्वाधिकार अंशो पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। इसलिए

ऐसे निवेशको के लिए बढ़िया है जो एक निश्चित दर से आय प्राप्त करना चाहते है।

सीमाएं/हानियां

1. कोषों का मंहगा स्त्रोत :- लाभांश की दर ब्याज की दर से अधिक होने के कारण यह डिबेन्चरों से अधिक वित्त का मंहगा स्त्रोत है।

2. कर की बचत नहीं :- पूर्वाधिकार अंशो का लाभांश लाभ में से नही काटा जाता इसलिये इससे कर में बचत नही होती।

3. कम्पनी पर भार :- कम्पनी को हानि की दशा में लाभांश चुकाना पड़ता है इसलिये यह कम्पनी पर भार है

समता शेयर पूर्वाधिकार शेयर में अन्तर

क्रम संख्या	**आधार**	**समता शेयर**	**पूर्वाधिकार शेयर**
1.	लाभांश	पूर्वाधिकार अंशों को भुगतान करने के बाद लाभांश दिया जाता हैं	समता अंशधारियों से पहले लाभांश दिया जाता है।
2.	वोट देने का अधिकार	वोट देने का अधिकार होता है।	वोट देने का अधिकार नही होता।
3.	जोखिम	अधिक जोखिम होता है।	जोखिम कम होता है।
4.	लाभांश की दर	लाभांश की दर घटती बढ़ती रहती है।	लाभांश की दर निश्चित होती है।
5.	नियन्त्रण	प्रबन्ध पर नियन्त्रण होता है।	प्रबन्ध पर नियन्त्रण नहीं होता।

ऋणपत्र :- दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र वित्त का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। ऋणपत्रधारी निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करते है ब्याज छमाही या वार्षिक चुकाया जाता है इसलिये ऋणपत्रधारी कम्पनी के लिए एक लेनदार की तरह होते है।

ऋणपत्र के प्रकार

(1) सुरक्षित ऋण पत्र
(2) असुरक्षित ऋण पत्र
(3) परिवर्तनीय ऋण पत्र
(4) अपरिवर्तनीय ऋणपत्र
(5) शोध्य ऋण पत्र
(6) पंजीकृत ऋण पत्र

ऋण पत्र के लाभ :-

1. सुरक्षित निवेश :- ऋण पत्र ऐसे निवेशको द्वारा लिये जाते जो जोखिमों नही लेना चाहते और जो स्थायी आय चाहते है।

2. नियन्त्रण :- ऋणपत्रधारी को वोट देने का अधिकार नही होता।

3. कम खर्चीला :- पूर्वाधिकार अंशो से कम खर्चीले होते है।

4. कर की बचत :- ऋण पत्र पर ब्याज कर में कटौती है इसलिये कर में बचत होती है।

ऋण पत्रों की सीमाएं

1. स्थायी दायित्व:- हानि होने की दशा में भी कम्पनी को ब्याज चुकाना पड़ता है इसलिये यह कम्पनी के लिए जोखम भरा वित्त का स्त्रोत है।

2. सम्पत्तियों पर भार:- ऋण पत्र जारी करते समय कम्पनी को अपनी सम्पत्ति गिरवी रखनी पड़ती है।

3. साख में कमी :- नये ऋण पत्र जारी करने पर कम्पनी की ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है।

अंशो और ऋण पत्रों में अन्तर :-

क्रम संख्या	आधार	अंश	ऋण पत्र
1.	प्रकृति	अंशपूँजी का भाग है।	ऋण पत्र के रूप में ऋण है।
2.	प्रत्याय	लाभांश	ब्याज
3.	वोट देने का अधिकार	वोट देने का अधिकार	वोट देने का अधिकार नही है।
4.	धारक	शेयर धारक के रूप में स्वामी	ऋणपत्र धारक के रूप में लेनदार
5.	प्रकार	अंश दो प्रकार के होते है।	ऋणपत्र दो से ज्यादा प्रकार के होते है।
6.	सुरक्षा	सुरक्षित नही होते	सुरक्षित होते है कम्पनी की सम्पति गिरवी रहती है।

प्रतिधारित आय :- जब शुद्ध लाभ में से कर एवं लाभांश घटाने के बाद जो भाग बचता है वह भाग बांटा नही जाता बल्कि पुन: नियोजन के उद्देश्य से रख लिया जाता है उसे प्रतिधारित आय कहते है इसे स्ववित्तिय भी कहते है।

लाभ

1. कोई लागत नही :- कम्पनी को इसे प्राप्त करने के लिए ब्याज, लाभांश, विज्ञापन, प्रविवरण व्यय

नही करना पड़ता।

2. सम्पत्तियों पर भार नहीं :- कम्पनी को कोई सम्पत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती।

3. विकास एवं विस्तार :- प्रतिधारित आय को पुन: विनियोग करके कम्पनी का विकास व विस्तार किया जा सकता है।

4. ख्याति :- कम्पनी के शेयरों का बाजार मूल्य बढ जाता है।

दोष :-

1. अनिश्चित स्त्रोत :- यह वित्तिय कोषों का अनिश्चित स्त्रोत है क्योंकि यह आय तभी प्राप्त होती है। जब लाभ हो।

2. शेयर होल्डर में असंतोष :- प्रतिधारित आय शेयर होल्डर में असन्तोष का कारण बनता है क्योंकि उन्हें कम लाभांश प्राप्त होता है।

सार्वजनिक जमा :- एक कम्पनी के द्वारा जब जनता से सीधे जमा स्वीकार किये जाते है तो उसे सार्वजनिक जमा कहा जाता है। इन जमाओं पर ब्याज की दर बैंक की ब्याज दरों से ज्यादा होती है ये रिजर्व बैंक द्वारा नियन्त्रित होती है तथा अपनी अंश पूंजी व रिजर्व के 25 प्रतिशत से ज्यादा स्वीकार नहीं की जा सकती।

लाभ

1. सम्पत्तियों पर भार नहीं :- इन्हें प्राप्त करने के लिए कम्पनी को कोई सम्पत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती।

2. कर की बचत :- ब्याज के भुगतान को लाभों में से घटाया जाता है। इससे कर की बचत होती है।

3. सरल प्रक्रिया :- वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया शेयर या डिबेन्चर से प्राप्त होने वाले वित्त प्रक्रिया से ज्यादा सरल होती है।

4. नियन्त्रण :- सार्वजनिक जमा कर्त्ताओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता इसलिये वे कम्पनी के नियन्त्रण को प्रभावित नही कर पाते।

सीमाएं

1. अल्पकालीन वित्त :- इनकी परिपक्वता अवधि कम होती है इसलिये कम्पनी दीर्घकालीन वित्त नहीं प्राप्त कर सकती।

2. सीमित कोष :- सार्वजनिक जमा की राशि अंश पूंजी व संचय का 25 प्रतिशत से ज्यादा प्राप्त नही की जा सकती।

3. नये व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त :- नई कम्पनियां इन कोषों को प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करती है।

वाणिज्यिक बैंक :- वाणिज्यिक बैंक नकद साख अधिविकर्ष, सावधि ऋण, बिलों के कटौती के रूप में ऋण व अग्रीम प्रदान करते है ऋण पर निश्चित दर से ब्याज लिया जाता है।

लाभ :-

1. समय पर सहायता :- वाणिज्यिक बैंक उचित समय पर व्यवसाय को वित्तीय सहायता प्रदान करते है।

2. गोपनीयता :- वाणिज्यिक बैंको से लिए गये ऋण के सम्बन्ध में गोपनीयता को बनाये रखा जाता है।

3. आसानी से उपलब्ध :-वाणिज्यिक बैंक से कोषो की प्राप्ति आसानी से उपलब्ध होती है। इसके लिए प्रविवरण की आवश्यकता नहीं होती है।

सीमाए/दोष

1. केवल अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त :- दीर्घ अवधि के लिए वित्त नही प्राप्त किये जा सकते।

2. सम्पत्तियों पर भार :- ऋण व अग्रिम प्राप्त करने के लिए व्यवसाय की सम्पत्ति को गिरवी रखना पड़ता है।

वित्तीय संस्थाएं :- राज्य एवं केन्द्र सरकार ने कम्पनियों को वित्त प्रदान करने के लिए बहुत सी वित्तिय संस्थाए स्थापित की है। जिन्हें विकास बैंक कहा जाता है। उनमें कुछ है - आई. एफ. सी आई., आई. सी. आई. सी. आई, आईडीबीआई और एल. आई. सी तथा यूटीआई आदि।

लाभ

1. दीर्घकालीन वित्त :- वित्तिय संस्थाए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती है जो कि वाणिज्यिक बैंको द्वारा नही दिये जाते।

2. प्रबन्धकीय सलाह :- ये संस्थाएं वित्तिय, प्रबन्धकीय तथा तकनीकी सलाह भी व्यवसायों को प्रदान करती है।

3. सरल पुनः भुगतान :- ऋण का भुगतान आसान किश्तों में किया जा सकता है जो व्यवसाय पर भार नहीं होता।

सीमाएं/दोष :-

1. अधिक समय लगना :- ऋण देने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है क्योंकि ये कठोर मानदंड अपनाते है।

2. प्रतिबन्ध :- वित्तिय संस्थाए कम्पनी के संचालक मंडल पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाती है।

व्यवसायिक वित्त के अन्तर्राष्ट्रीय स्त्रोत :-

1. वाणिज्यिक बैंक :- पूरे विश्व में विदेशी मुद्रा के रूप में वाणिज्यिक बैंक वित्त प्रदान करने

का कार्य करते है। भारत में स्टैन्र्ड चार्टर बैंक विदेशी वित्त प्रदान करने की महत्वपूर्ण संस्था है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय एंजेन्सियां एवं विकास बैंक :- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी एजेन्सियाँ व विकास बैंक जैसे आईएफसीएडीबी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करती है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार :- जब एक कम्पनी स्थानीय मुद्रा वाले शेयर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को देती है जो अन्तर्राष्ट्रीय बैक द्वारा जारी रसीद जीडीआर या ग्लोबल डिपाजिट्री रसीद कहलाती है। ये रसीद यू. एस. डॉलर में अंकित होती है।

विशेषताएं :- 1. ये रसीद अमेरिका के अलावा किसी भी विदेशी बाजार में सूचीबद्ध हो सकती है।

2. ये विनिमय साध्य विलेख है।

3. इसका धारक इसे किसी भी शेयरों में बदलवा सकता है।

4. इस का धारक लाभांश प्राप्त कर सकता है।

5. धारक को वोट देने का अधिकार नही होता।

6. भारतीय कम्पनी रिलाइन्स, विप्रो, आईसीआईसीआई ने जीडीआर जारी किये है।

अमेरिका जमा रसीद (एडीआर)

यदि कोई कम्पनी अमेरिका में जमा रसीद जारी करती है तो उसे अमेरिकन जमा रसीद (एडीआर) कहते है।

विशेषताएं

1. यह केवल अमेरिकन नागरिकों को जारी की जा सकती है।
2. यह केवल अमेरिकन शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकती है।
3. भारतीय कम्पनी इन्फोसिस तथा रिलाइन्स ने एडीआर जारी किये है।

एडीआर और जीडीआर में अन्तर :-

क्रम संख्या	**आधार**	**एडीआर**	**जीडीआर**
1.	सूचीबद्ध	केवल अमेरिकन शेयर बाजार में सूचीबद्ध है।	विश्व के किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराई जा सकती है।
2.	तरलता	अधिक तरल होती है।	कम तरल होती है।
3.	अंशधारक	केवल अमेरिकन नागरिक हो सकते है।	किसी भी देश का नागरिक हो सकता है।

विदेशी मुद्रा बॉण्ड :- ये बॉण्ड विदेशी मुद्रा में जारी किये जाते है। इस पर निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है। ये विदेशी बाजारों में सूचीबद्ध होते है। ये ऋण पत्रों से मिलते जुलते होते है।

प्रश्न :-

1. व्यवसायिक वित्त का क्या अर्थ है?
2. अंश या शेयर को परिभाषित कीजिए?
3. समता अंश पूंजी को जोखिम पूंजी क्यो कहा जाता है?
4. पूर्वाधिकार अंश किस प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त नही है?
5. जीडीआर को जारी करने वाली दो भारतीय कम्पनियों के नाम लिखिए?
6. प्रतिधारित लाभों को स्ववित्तिय क्यों कहा जाता है?
7. ए॰डी॰आर का पूर्ण रूप क्या है?
8. शेयर व डिबेन्चर में क्या अन्तर है?
9. जी॰ डी॰ आर से आप क्या समझते है? वर्णन कीजिए?
10. समता अंश धारको के क्या अधिकार है वर्णन कीजिए?
11. जी॰ डी॰ आर और ए॰ डी॰ आर॰ में क्या अंतर है?
12. ऋणपत्रो के प्रमुख लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए?
13. 'वित्त के रूप में सार्वजनिक निक्षेप ऋण लेने से बेहतर है समझाइए?
14. समता शेयर की क्या विशेषताए है? लम्बे समय के लिए वित्त प्राप्त करने के लिए समता शेयर के क्या लाभ है?

अध्याय 8

लघु व्यवसाय

एक व्यवसाय जिस का संचालन छोटे पैमाने पर किया जाता है जिसमें कम पूंजी, कम श्रम और कम मशीनों का प्रयोग किया जाता है उसे छोटा या लघु व्यवसाय कहा जाता है। वस्तुओं का उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है इसका प्रबन्ध एवं संचालन व्यवसाय के स्वामी द्वारा होता है भारत में लघुव्यवसाय में ग्रामीण और लघु उद्यम में परम्परागत –हैडलूम, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामीण उद्योग तथा आधुनिक लघु उद्योग में लघु पैमाने के उद्योग व पावर लूम आदि शामिल है।

व्यवसाय के आकार का मापन करने के लिए कई माप दण्डों का प्रयोग किया जाता है जैसे व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या उसमें पूंजी निवेश उत्पादन की मात्रा एवं मूल्य, बिजली का उपभोग। भारत सरकार ने लघु व्यावसाय को परिभाषित करने के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश को आधार बनाते हुए इसे निम्न भागों में बांटा है :-

क्रम संख्या	**उद्योगो के प्रकार**	**पूंजी सीमा**	**विशेषताएं**
1.	लघु पैमाने के उद्योग	एक करोड़	विशिष्ट उत्पादों के लिए 5 करोड़ तक (7 उत्पादो पर)
2.	सहायक लघु उद्योग इकाई	एक करोड़	अपनी मूल इकाई को 50 प्रतिशत उत्पादन देती है।
3.	निर्यात प्रधान इकाई	एक करोड़	अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत निर्यात करती है 25 प्रतिशत माल घरेलू बाजार में बेचती है।
4.	अतिलघु औद्योगिक इकाई	25 लाख	प्लांट एवं मशीनरी में 25 लाख रूपये से ज्यादा निवेश न हो।
5.	महिला उद्यम	ऊपर मे से कोई भी	स्वामित्व एवं प्रबन्ध महिलाओं द्वारा एवं 51 प्रतिशत से ज्यादा पूंजी भी महिला की हो।
6.	सूक्ष्म व्यवसायिक	एक लाख	प्लांट एवं मशीनरी में 1 लाख

	उद्यम		रूपये से ज्यादा निवेश न हो।
7.	ग्रामीण उद्योग	निवेश 50000/- प्रति श्रमिक से ज्यादा न हो।	ये उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते है। बिना पावर के उत्पादन
8.	कुटीर उद्योग	पूंजी निवेश का मापदण्ड नहीं	ज्यादातर श्रमिक परिवार के सदस्य होते है, कम पूंजी एवं कम मशीनों का प्रयोग

भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में लघु उद्योगो की भूमिका :-

1. रोजगार :- कृषि के बाद लघु उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है। भारत में 95 प्रतिशत यूनिट लघु औद्योगिक इकाइयों की है।

2. उत्पादनों की विविधता :- लघुस्तरीय उद्योगो द्वारा रेडीमेन्ट गारमेन्ट, स्टेशनरी साबुन, चमड़े की वस्तुए, रबर व प्लास्टिक का सामान आदि बहुत सी वस्तुए बनाई जाती है।

3. निर्यात :- भारत के कुल निर्यात का 45 प्रतिशत भाग लघु उद्योगों का है। जिस से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इससे भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने में सहायता मिलती है।

4. संतुलित क्षेत्रीय विकास :- लघुस्तरीय उद्योग कही भी स्थापित किये जा सकते है क्योकि इनमें स्थानीय संसाधनों, कम पूंजी एवं साधारण टेकेनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है।

5. बड़े उद्योगों के पूरक :- लघुस्तरीय उद्योग बड़े उद्योगो को विभिन्न प्रकार के उपकरण, टूल्स आदि की पूर्ति करते है।

6. उत्पादन की कम लागत :- लघु स्तरीय उद्योग में बने हुए माल की लागत कम आती है क्योंकि ये स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते है।

7. शीघ्र निर्णय :- संगठन का आकार छोटा होने के कारण ये शीघ्र एवं समय पर निर्णय ले सकते है। इन्हें अन्य लोगों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती।

8. उद्यमशीलता का विकास :- नौजवान युवक व महिलाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के अवसर लघु उद्योगो द्वारा प्रदान किये जाते है।

ग्रामीण भारत में लघु उद्योगों की भूमिका

1. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना :- लघु एवं कुटीर उद्योग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।

2. आर्थिक दशा में सुधार :- लघु पैमाने के उद्योगों द्वारा आय के विभिन्न स्त्रोत ग्रामीणों को प्राप्त होते है। इस से आर्थिक दशा में सुधार होता है एवं ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है।

3. प्रवास को रोकना :- ग्रामीण उद्योगों का विकास ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में प्रवास रोकता है क्योंकि उन्हे गांव में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है।

4. स्थानीय संसाधनो को प्रयोग :- लघु स्तरीय उद्योग अपने उत्पादन में स्थानीय संसाधनों जैसे कॉयर, लकड़ी व अन्य का प्रयोग करते है।

5. आय का समान वितरण :- लघु स्तरीय उद्योग एवं कुटीर उद्योग राष्ट्रीय आय के समान वितरण में भी योगदान करते है।

लघु पैमाने के उद्योगो की समस्याएं

1. वित्त :- लघु पैमाने के उद्योगों को कार्यशील पूंजी की कमी का सामना करना पड़ता है इन्हें बैंको से उचित दर पर ऋण लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2. कच्चा माल :- बढ़िया किस्म का कच्चा माल खरीदने मे इन्हे कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये कम मात्रा में कच्चा माल खरीदते है।

3. विपणन में कठिनाई :- लघु पैमाने के उद्योग विज्ञापन और वितरण पर ज्यादा रकम खर्च नहीं कर पाते। ये मध्यस्थों पर निर्भर होते है जो इन का शोषण करते है।

4. तकनीकी समस्या :- पूंजी की कमी के कारण ये नई मशीन और तकनीकी का प्रयोग नही कर पाते है। पुरानी मशीनों का प्रयोग करते है। इसलिये इन की उत्पादन की लागत बढ़ जाती है।

5. प्रतियोगिता :- ये उद्योग न केवल बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करते है बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से भी प्रतियोगिता करते है। चीन भारत के लघु व्यवसायों को मार रहा है।

6. अन्य समस्याएं :-

अ) प्रबन्धकीय कुशलता की कमी

ब) उत्पादित माल की मांग की कमी

स) स्थानीय करों का भार

द) श्रम सम्बन्धी समस्याएं

लघु पैमाने के उद्योगों तथा लघु व्यवसायिक इकाइयों को प्राप्त सरकारी सहायता

सरकार द्वारा उठाये गये कदम

- संस्थागत सहायता
- विपणन सम्बन्धी समस्याओं का हल
- प्रतियोगिता का सामना करने के लिए
- प्रेरणाएं

संस्थागत सहायता

1. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) :- नाबार्ड की स्थापना 1982 में ग्रामीण विकास के लिए की गई। इसकी स्थापना के अन्य उद्देश्य इस प्रकार है।

क) यह बैंक कृषि, लघु उद्योग, कुटीर व ग्राम उद्योग को वित्तीय सहायता देता है।

ख) इसके द्वारा परामर्शदाता सेवाएं दी जाती है।

ग) यह बैंक ग्रामीण उद्यमियों के प्रशिक्षण एवं विकास का कार्य करता है।

2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

सिडबी की स्थापना 1989 में की गई। सिडबी भारत में लघु उद्योगों की वित्तिय सहायता एवं उनके विकास के लिए कार्य करता है। सिडबी के निम्नलिखित उद्देश्य है:-

अ) यह लघु पैमाने की औद्योगिक इकाईयों को आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकरण, विविधिकरण हेतु अवधि ऋण प्रदान करता है।

ब) यह लघु पैमाने के उद्योगो को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए सहायता देता है।

स) यह लघु पैमाने की बीमार इकाईयों को वित्तिय सहायता प्रदान करता है जिन का पुनर्निमाण किया जा सके।

द) यह लघु पैमाने के उद्योगों के लिए बिल भुनाने का काम करता है।

य) सिडबी लीजिंग की सेवाएं भी प्रदान करता है।

3. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम :- इसकी स्थापना 1955 में लघु उद्योगो की सहायता व तेजी से विकास के लिए भारत में की गई।

अ) यह किराया क्रम पद्धति के आधार पर लघु उद्योगों को कच्चा माल व मशीनें उपलब्ध कराता है।

ब) यह लघु उद्योगों के माल को निर्यात करता है।

स) यह लघु उद्योगों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है।

4. ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केन्द्र (आरएसबीडीसी)

अ. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रबन्धकीय एवं तकनीकी सहायता प्रंदान करना है।

ब) यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कौशल सुधार कार्यक्रम चलाता है।

स) यह ग्रामीण बेरोजगार युवकों को खिलौने बनाना, मोमबत्ती बनाने आदि की ट्रेनिंग भी देता है।

5. असंगठित क्षेत्र में उपक्रमों हेतु राष्ट्रीय आयोग :- इसके निम्न उद्देश्य है:-

अ) यह लघु उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाता है।

ब) उनकी प्रतियोगिता की क्षमता को बढ़ाता है।

स) साख, कच्चे माल, तकनीकी ज्ञान देने की सुविधा प्रदान करता है।

6. ग्रामीण एवं महिला उद्यम विकास :-

यह ग्रामीणों एवं महिलाओं को लघु उद्यमों में प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने एवं सलाह देने का कार्य करता है।

7. जिला उद्यम केन्द्र (डीआईसी) :- लघु एवं कुटीर उद्योगों को जिला स्तर पर सेवाएं प्रदान करता है ताकि इनकी स्थापना आसानी से की जा सके।

ब) विपणन सम्बन्धी सहायता :- सरकार छोटे उद्योगो को विपणन के लिए सूचना प्रदान करती है उनके माल की बिक्री की गारन्टी भी प्रदान करने का कार्य करती है।

स) प्रोत्साहन

1) पावर :- कुछ राज्य छोटे उद्योगों को 50 प्रतिशत छूट पर बिजली देते है।

2) कर में छूट :- 5 वर्षो तक उनकी बिक्री व लाभ पर छूट प्रदान की जाती है।

3) भूमि व जल :- भूमि सस्ते दर दी जाती है एवं जल बिना लाभ हानि के आधार पर प्रदान किया जाता है।

4) चुंगी :- ज्यादातर राज्यों ने चुंगी को समाप्त कर दिया है।

द) प्रतियोगिता का सामना करने हेतु :- सरकार ने 800 वस्तुओं को लघु पैमाने द्वारा उत्पादित करने के लिए आरक्षित कर दिया है तथा सरकार छोटे उद्योगों को मशीन आयात करने एवं कच्चा माल प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता प्रदान करती है।

प्रश्न :-

1. लघु व्यवसाय से आप क्या समझते हो?
2. नाबार्ड का पूरा नाम लिखिए?
3. महिला उद्यम क्या है?
4. भारत के निर्यात व्यापार में लघु उद्योगो का कितने प्रतिशत योगदान है?
5. कुटीर उद्योगों की विशेषता लिखिए?
6. भारत में लघु पैमाने के तीन प्रकार के व्यवसायों का वर्णन कीजिए?
7. भारत में लघु व्यवसाय की चार महत्वपूर्ण समस्याएं समझाइयें?
8. कृषि व ग्रामीण विकास के संदर्भ में नाबार्ड की भूमिका का वर्णन कीजिए?
9. ग्रामीण विकास में लघु पैमाने के उद्योगों की भूमिका का वर्णन कीजिए?
10. सरकार ने लघु उद्योगों की वित्त एवं विपणन की समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किये है?
11. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए?

(क) सिडबी (ख) डी. आई. सी.

अध्याय 9

आंतरिक व्यापार

लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय-विक्रय की प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है। जब एक ही देश के लोगो के बीच व्यापार किया जाता है तो उसे आंतरिक व्यापार कहते है। दूसरे शब्दों में जब एक देश की भौगोलिक सीमाओं में वस्तुओं का क्रय-विक्रय किया जाता है तो वह आंतरिक व्यापार कहलाता है। आंतरिक व्यापार को दो भागों में बांटा जा सकता है।

(अ) थोक व्यापार (ख) फुटकर व्यापार

थोक व्यापार :- पुन: विक्रय अथवा मध्यवर्ती प्रयोग के लिए बड़ी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय-विक्रय को थोक व्यापार कहा जाता है। थोक व्यापारी निर्माताओं एवं फुटकर व्यापारियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वह निर्माताओं से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते है तथा छोटी-छोटी मात्राओं में फुटकर व्यापारियों को बेचते है।

थोक व्यापारियों की निर्माताओं को सेवाएं:-

(1) थोक व्यापारी, निर्माताओं से भारी मात्रा में वस्तुएं खरीदते है जिसके कारण निर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन करते है जिससे उन्हें बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त होते है।

(2) थोक व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय अपने नाम से करते है तथा विभिन्न जोखिम जैसे कीमतों में कमी, चोरी, खराब होने की सम्भावना आदि वहन करता है।

(3) थोक व्यापारी निर्माताओं से नकद क्रय करते है अत: वह उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

(4) थोक व्यापारी निर्माताओं को ग्राहकों की रूचि, बाजार की स्थिति आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते है।

(5) थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारियों को वस्तुएं बेचते है जो उन्हें उपभोक्ताओं को बेचते हैं अत: वे निर्माताअओं को विपणन क्रियाओं के भार से मुक्त कर देते है।

(6) थोक व्यापारी माल को बड़ी मात्रा में खरीदकर अपने गोदामों में रख लेते है अत: निर्माताओं को संग्रहण की आवश्यकता नही पड़ती।

थोक व्यापारियों की फुटकर व्यापारियों को सेवाएं

(1) थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारियों को विभिन्न उत्पादकों की वस्तुओं को उपलब्ध कराते है जो उन्हें उपभोक्ताओं को बेचते है।

(2) थोक व्यापारी विज्ञापन तथा अन्य विक्रय संवर्धन क्रियाओं के माध्य से उपभोक्ताओं को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करते है अत: वे फुटकर व्यापारियों को विपणन में सहायता करते है।

(3) थोक व्यापारी द्वारा फुटकर व्यापारियों को उधार की सुविधाएं दी जाती है।

(4) थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को छोटी-छोटी मात्राओं में वस्तुएं बेचते है अत: फुटकर व्यापारियों को मूल्य में गिरावट, संग्रह, छीजन आदि से होने वाला नुकसान का जोखिम नहीं उठाना पड़ता।

(5) थोक व्यापारी अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा फुटकर व्यापारियों को नए उत्पादों, उनकी उपयोगिता, गुणवत्ता मूल्य आदि सम्बन्धी सूचनाएं प्रदान करते है।

फुटकर व्यापार

थोक विक्रेताओं से बड़ी मात्रा में माल का क्रय कर के उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बेचने को फुटकर व्यापार कहा जाता है। यह व्यवसाय की वह कड़ी है जो अंतिम उपभोक्ताओं को उनके व्यक्तिगत उपयोग एवं गैर व्यावसायिक उपयोगों या विक्रय का कार्य करती है।

फुटकर व्यापारियों की उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं को सेवाएं

(1) फुटकर व्यापारी, उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं के उत्पादों को अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते है।

(2) फुटकर व्यापारी, उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं को ग्राहकों की रूचि, पंसद एवं रूझानों से अवगत कराते है।

(3) फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को छोटी-छोटी मात्राओं में माल के बेचते है जिससे निर्माता एवं थोक विक्रेता व्यक्तिगत विक्रय के भार से मुक्त हो जाते है तथा अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित कर सकते है।

(4) फुटकर व्यापारी विभिन्न विधियों का प्रयोग करके वस्तुओं के संवर्धन में सहायता करते है।

(5) फुटकर व्यापारी, उत्पादकों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सहायता करते है जिससे उन्हे पैमाने की बचते प्राप्त हो सके।

फुटकर व्यापारियों की उपभोक्ताओं को सेवाएं

(1) फुटकर व्यापारी, उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुऐं नियमित रूप से उपलब्ध कराते है।

(2) उनके द्वारा उपभोक्ताओं को नये उत्पादको की सूचना दी जाती है।

(3) उनके द्वारा विभिन्न किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है जिससे ग्राहको को चयन के अधिक अवसर मिलते है।

(4) इनके द्वारा ग्राहको को बिक्री के बाद की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है जैसे घर पर सुपुर्दगी, ग्राहकों की और ध्यान देना आदि।

(5) इन के द्वारा ग्राहको को उधार की सुविधा भी दी जाती है जिससे उपभोक्ता अधिक खरीदारी करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके।

फुटकर व्यापार के प्रकार

व्यापार के निश्चित स्थान के आधार पर फुटकर व्यापारियों को निम्न दो प्रकारों में बांटा जाता है।

(क) भ्रमणशील फुटकर विक्रेता

(ख) स्थायी दुकानदार

भ्रमणशील फुटकर विक्रेता

ये वे फुटकर व्यापारी होते है जो किसी स्थायी स्थान से व्यापार नही करते है। यह अपने सामान के साथ ग्राहकों की तालाश में गली-2 एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते है। इनकी निम्नलिखित विशेषताऐं होती है।

(1) ये छोटे व्यापारी होते है जिनके पास सीमित साधन होते है।

(2) इनके द्वारा प्रतिदिन उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं जैसे फल, सब्जियां आदि का व्यापार किया जाता है।

(3) इनके द्वारा ग्राहको को उनके घर पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है।

(4) इनका कोई व्यापारिक नियत स्थान नही होता है इसलिए यह माल का स्टॉक मुख्यता: घर में रखते है।

भारत में निम्नलिखित भ्रमणशील फुटकर व्यापारी होते है।

(क) फेरी वाले :- ये छोटे व्यापारी होते है जो वस्तुओं को साईकिल, हाथ-ठेली, साईकिल रिक्शा या अपने सिर पर रखकर तथा जगह-जगह घूम कर ग्राहकों के घर पर जाकर माल का विक्रय करतेहै। इनके द्वारा कम मूल्य वाले वस्तुएं जैसे खिलौने, फल-सब्जियां आदि बेची जाती है।

(ख) सावधिक बाजार व्यापारी :- ये छोटे फुटकर व्यापारी होते है जो विभिन्न स्थानों पर निश्चित दिन को दुकान लगाते है जैसे प्रति मंगलवार या शनिवार आदि। इनके द्वारा एक ही प्रकार का सामान बेचा जाता है जैसे खिलौने, क्रांकरी का सामान आदि।

(ग) पटरी विक्रेता :- ये छोटे विक्रेता होते है जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते है जहां लोगो का भारी आवागमन रहता है जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि। इनके द्वारा साधारण रूप में उपयोग में आने वाली वस्तुओं को बेचा जाता है जैसे स्टेशनरी का सामान, समाचार पत्र आदि।

(घ) सस्ते दर की दुकान:- ये छोटे फुटकर विक्रेता होते है जिनकी स्वतंत्र अस्थायी दुकान होती है इनके द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं में व्यापार किया जाता है तथा यह व्यापार संभावनाओं के आधार पर अपना क्षेत्र बदलते है।

स्थायी फुटकर दुकानदार :-

ये वह फुटकर विक्रेता होते हैं जिनके विक्रय के लिए स्थायी रूप से संस्थान होते है। आकार के आधार पर स्थायी दुकानदारों को दो प्रकार में बांटा जाता है।

(क) छोटे फुटकर विक्रेता :-

इनके अंतर्गत निम्नलिखित फुटकर व्यापारी आते है।

(1) **जनरल स्टोर :-** ये स्थानीय बाजार एवं आवासीय क्षेत्रों में स्थित होते है जो उपभोक्ताओं को

प्रतिदिन आवश्यकता वाली वस्तुओं की बिक्री करते है। जैसे की स्टेशनरी, परचून की दुकान आदि।

(2) विशिष्टकृत भंडार :- इनके द्वारा एक ही प्रकार की वस्तुओं की बिक्री में विशेषता प्राप्त की जाती है जैसे केवल पुरूषों के वस्त्रों की दुकान, महिलाओं के पर्स की दुकान आदि।

(3) गली में स्टाल :- ये विक्रेता गली के एक कोने मुख्यत: मुहाने पर या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में होते है तथा सस्ती उपभोक्ता वस्तु जैसे सिगरेट, पान, पेय पदार्थ आदि बेचते है।

(4) पुरानी वस्तुओं की दुकान :- इन विक्रेताओं द्वारा पुरानी वस्तुओं जिनका पहले ही उपयोग किया जा चुका होता है उनकी बिक्री की जाती है जैसे पुस्तके, कपड़े आदि।

(ख) बड़े स्थायी फुटकर दुकानदार

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यापारियों को सम्मिलित किया जाता है।

(1) विभागीय भंडार :- एक विभागीय भंडार एक बड़ी इकाई होती है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों में बॉट कर बिक्री करती है। इनके द्वारा ग्राहको की लगभग सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है।

(अ) ये शहर के केन्द्र में स्थित होते है ताकि अधिक ग्राहको की मांग की सन्तुष्टि कर सके।

(ब) इनके द्वारा ग्राहको को विभिन्न सुविधाएं जैसे जलपान गृह, विश्राम गृह, टेलीफोन बूथ आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है।

(स)इन्हें संयुक्त पूंजी कम्पनी के रूप में स्थापित किया जाता है तथा इनका प्रबंध निर्देशक मंडल द्वारा किया जाता है।

(द) इनके द्वारा माल को सीधे उत्पादक से क्रय किया जाता है तथा ग्राहको को बेचा जाता है। जिसके कारण उनके बीच अनावश्यक मध्यस्थ उत्पन्न नही होते।

(य) इनमें माल का क्रय केन्द्रीय व्यवस्था से होता है जबकि विक्रय विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाता है।

विभागीय भंडार के लाभ

(1) ये केन्द्रीय स्थलों पर स्थित होते है जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्राहक आकर्षित होते है।

(2) इनके द्वारा एक ही छत के नीचे विभिन्न वस्तुऐं उपलब्ध कराई जाती है जिससे ग्राहको की अधिकतम मांगो को सन्तुष्ट किया जा सके।

(3) इनके द्वारा ग्राहको को विभिन्न आर्कषक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है जैसे जलपान गृह, विश्रामगृह, टेलीफोन आदि।

(4) इनके द्वारा विज्ञापनों आदि पर काफी खर्च किया जा सकता है जिससे इनकी बिक्री में वृद्धि हो सकती है।

(5) ये बड़े पैमाने पर वस्तुओं को बेचने के लिए उत्पादक से क्रय करते है जिससे इन्हे बड़े पैमाने पर परिचालन के लाभ मिलते है।

विभागीय भंडार की सीमाएं

(1) इनका आकार बहुत बड़ा होता है परिणाम स्वरूप ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नही होता।

(2) इनके द्वारा अनेक आकर्षक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है जिसके कारण इनकी परिचालन लागत काफी अधिक होती है।

(3) ऊंची परिचालन लागत एवं बड़े पैमाने पर कार्य करने के कारण इनकी हानि की संभावना अधिक होती है।

(4) ये केन्द्रीय स्थलों पर स्थित होते है अत: तुरन्त आवश्यकता पड़ने पर किसी वस्तु को खरीदना आसान नही होता।

श्रृंखला भंडार अथवा बहुसंख्यक दुकाने

इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक जैसी दिखाई देने वाली कई दुकानें देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों पर खोली जाती है जिन को एक ही संगठन चलाता है तथा जिन पर मानकीय एवं ब्रांड की वस्तुएं बेची जाती है। जैसे बाटा, रेमण्ड्स आदि के शोरूम।

श्रृंखला भंडार के लाभ

(1) केन्द्रीयकृत क्रय अथवा उत्पादन के कारण इन्हे बड़े पैमाने की बचतो के लाभ प्राप्त होते है।

(2) इनके द्वारा सीधे ग्राहकों को वस्तुएं बेची जाती है अत: वस्तुओं की बिक्री में मध्यस्थों को समाप्त कर दिया जाता है।

(3) इनके द्वारा नकद विक्रय किया जाता है अत: अशोध्य ऋण की सम्भावना नही होती।

(4) यदि वस्तुओं की मांग एक स्थान पर नही होती तो उन्हें उस स्थान पर भेज दिया जाता है जहां उनकी मांग होती है।

(5) एक दुकान की हानि की पूर्ति दूसरी दुकानों के लाभ से हो जाती है अत: संगठन का कुल जोखिम कम हो जाता है।

(6) क्रय का केन्द्रीकरण मध्यस्थों की समाप्ति, बड़े पैमाने पर बिक्री आदि के कारण परिचालन लागत कम होती है।

श्रृंखला भण्डार की हानियां

(1) इन दुकानों द्वारा सीमित वस्तुओं में व्यापार किया जाता है अत: उपभोक्ताओं को चयन के सीमित अवसर ही प्राप्त होते है।

(2) इनके अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को प्रधान कार्यालय से प्राप्त आदेशों का पालन करना होता है जिससे उनकी पहल क्षमता समाप्त हो जाती है।

(3) प्रेरणा तथा पहल क्षमता के अभाव में कर्मचारियों में उदासीनता आ जाती है जिससें व्यक्तिगत सेवा का अभाव हो जाता है।

(4) इन दुकानों में बेची जाने वाली वस्तुओं की मांग में यदि कमी आ जाऐ तो संगठन को भारी हानि हो सकती है क्योंकि केन्द्रीय भंडार में बड़ी मात्रा में बिना बिका माल बच जाता है।

डाक आदेश व्यवसाय

ये ऐसे फुटकर व्यवसाय होते है जो डाक द्वारा वस्तुओं का विक्रय करते है। इस प्रकार के व्यापार में विक्रेता तथा क्रेता का प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क नही होता है व्यापारी अखबारों अथवा पत्रिकाओं में विज्ञापन, परिपत्र अनुसूची के माध्यम से क्रेताओं से सम्पर्क स्थापित करते है। विज्ञापन में वस्तुओं से सम्बन्धित सभी सूचनाएं दी जाती है जैसे मूल्य, सुपुर्दगी की शर्ते, भुगतान की शर्ते आदि।

इसके अन्तर्गत भुगतान प्राप्ति के निम्नलिखित विकल्प होते है।

- वस्तुओं को मूल्य देय डाक के माध्यम से भेजा जाता है जिसमे भुगतान प्राप्ति के बाद ही माल को ग्राहको को दिया जाता है।
- ग्राहको को अग्रिम रूप से पूर्ण भुगतान करने को कहा जा सकता है।
- माल को बैंक के माध्यम से भेजा जाता है तथा पूर्ण भुगतान के बाद ही माल ग्राहक के सुपुर्द किया जाता है।

डाक आदेश व्यवसाय के लाभ

(1) इसके अन्तर्गत भवन तथा अन्य आधारगत ढांचे पर भारी व्यय की आवश्यकता नही होती अत: इसे कम पूंजी से प्रारम्भ किया जा सकता है।

(2) इस व्यवसाय में विक्रेता तथा क्रेता के बीच मध्यस्थो की आवश्यकता नही होती जिससे दोनो को लाभ होता है।

(3) डाक द्वारा केवल नकद आधार पर ही माल बेचा जाता है अत: अशोध्य ऋणो की संभावना नहीं होती।

(4) इस पद्धति से हर उस क्षेत्र तक माल भेजा जा सकता है जहां डाक सेवाएं उपलब्ध है।

(5) इसके अन्तर्गत ग्राहकों को उनके घर पर माल की सुपुर्दगी की जाती है जो कि उनके लिए सुविधाजनक होता है।

डाक आदेश व्यवसाय की सीमाएं

(1) इस व्यवसाय के क्रेता तथा विक्रेता के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं होता जिससे उनके बीच भ्रम तथा अविश्वास पैदा होने की संभावना रहती है।

(2) इस प्रणाली में ग्राहको को उधार सुविधा उपलब्ध नही होती।

(3) डाक द्वारा व्यवसाय में ग्राहकों को सूचित करने के लिए विज्ञापन और अन्य प्रवर्तन विधियों पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है।

(4) डाक द्वारा आदेश प्राप्त करने तथा उनके क्रियान्वयन में अधिक समय लगता है।

(5) इस प्रणाली में बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान नही की जाती है जो कि ग्राहकों की सन्तुष्टि

के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।

(6) इस प्रकार के व्यापार में बेईमान व्यापारियों द्वारा धोखा दिए जाने की अधिक संभावना रहती है।

(7) डाक आदेश व्यापार की सफलता डाक सेवाओं पर निर्भर करती है। यदि डाक सेवाएं प्रभावी न हो तो यह व्यवसाय सफल नही हो सकता।

उपभोक्ता सहाकारी भंडार

ऐसा संगठन जिसके उपभोक्ता स्वयं ही स्वामी होते है तथा जिनका प्रबंध एवं नियंत्रण भी उनके द्वारा किया जाता है उपभोक्ता सहकारी भंडार कहलाता है। इनका उद्देश्य अपने सदस्यों को कम लागत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना तथा मध्यस्थों की संख्या को कम करना होता है। इनके द्वारा वस्तुओं को सीधे उत्पादक/थोक विक्रेता से क्रय करके उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। उपभोक्ता सहकारी भंडार को स्थापित करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है तथा एक स्वैच्छिक संगठन की स्थापना का सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करना पड़ता है।

उपभोक्ता सहकारी भंडार के लाभ :-

(1) इनका गठन सरल होता है। कोई भी 10 व्यक्ति मिल कर एक स्वैच्छिक संगठन बना सकते है तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करना पड़ता है।

(2) एक सहकारी भंडार के प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसकी पूंजी तक सीमित होता है।

(3) इनके द्वारा नकद आधार पर माल बेचा जाता है अत: कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है।

(4) इनके द्वारा सीधे उत्पादको/थोक विक्रेताओं से माल क्रय किया जाता है अत: यह उपभोक्ताओं को कम कीमत पर माल उपलब्ध करा सकते है।

(5) ऐसे भंडार सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होते है जिससे सदस्य तथा अन्य लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आसानी से क्रय कर सकते है।

(6) इनका प्रबंध इसके सदस्यों के द्वारा चुनी गई प्रबंध समिति द्वारा प्रजातात्रिंक ढंग से किया जाता है।

उपभोक्ता सहकारी भंडार की सीमाएं

(1) इन का प्रबंध जिन लोगो द्वारा किया जाता है वह अवैतनिक होते है अत: उनमें पहलशक्ति एवं प्रेरणा की कमी होती है।

(2) इनके द्वारा अपने सदस्यों को अंश जारी करके पूंजी प्राप्त की जाती है। सदस्यता सीमित होने के कारण इनके पास सीमित कोष ही उपलब्ध होते है।

(3) ऐसे भंडार सदस्यों के नियमित संरक्षण के अभाव के कारण सफल होने में असमर्थ होते है।

(4) इनके सदस्यों मे विशेषज्ञता का अभाव होता है क्योकिं उन्हें भंडार को सुचारू रूप से चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त नही होता है।

सुपर बाजार

सुपर बाजार एक बड़ी फुटकर व्यापारिक संस्था होती है जो कम लाभ पर अनेकों प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करती है। इनमें अधिकांश खाद्य सामग्री एवं अन्य कम मूल्य की वस्तुएं एवं बहुतायत में उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुएं जैसे घरेलू सामान, परचून, बर्तन आदि का विक्रय किया जाता है। ये साधारणतया केन्द्रीय स्थानों पर स्थित होते है जहां इनकी बिक्री बहुत अधिक होती है।

सुपर बाजार के लाभ

(1) इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को कम कीमत पर एक ही छत के नीचे बेचा जाता है।

(2) ये साधारणतया केन्द्रीय स्थानों पर स्थित होते है जिससे अधिक लोगों को आकृष्ट करने में सफल होते है।

(3) ये विभिन्न डिजाइन, रंग आदि की अनेक वस्तुएं उपलब्ध कराते है जिससे ग्रहकों को चयन के अधिक अवसर मिलते है।

(4) इनके द्वारा नकद माल बेचा जाता है अत: अशोध्य ऋण की सम्भावना नही होती।

(5) ये बड़े फुटकर व्यापारी होते है अत: इन्हे बड़े पैमाने के क्रय एवं विक्रय के सभी लाभ मिलते है।

सुपर बाजार की सीमाएं

(1) इनके द्वारा वस्तुओं का केवल नकद विक्रय किया जाता है। अत: क्रेता यहां से उधार क्रय नही कर सकता है।

(2) सुपर बाजार स्वयं सेवा के सिद्धान्त पर चलते है इसलिए ग्राहकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नही दिया जाता।

(3) ग्राहक के शैल्फ में रखी वस्तुओं के साथ लापरवाही करने के कारण इन्हें भारी हानि उठानी पड़ सकती है।

(4) इन के द्वारा भारी ऊपरी व्यय किया जाता है जिसके कारण ग्राहकों को कम कीमत पर माल नही मिल पाता है।

(5) इनकी स्थापना एवं परिचालन के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है।

विक्रय मशीनें :-

ये सिक्को से चलने वाली मशीने होती है जिन के द्वारा दूध, सॉफ्ट ड्रिंक, समाचार पत्र आदि की बिक्री की जाती है। इस अवधारणा का नवीनतम उदाहरण आटोमेटिड टैलर मशीन (एटीएम) है जिसकी सहायता से बिना बैंक गए किसी भी समय पैसे निकाले जा सकते है। इन मशीनों की सहायता से कम मूल्य की एक समान आकार और भार की वस्तुओं को बेचा जा सकता है। लेकिन ऐसी मशीनों को लगाने पर प्रारंभिक व्यय तथा इनके रख-रखाव तथा मरम्मत पर भारी व्यय करना पड़ता है तथा ग्राहक वस्तु को क्रय करने से पहले उसका निरीक्षण नही कर सकते है।

इंडियन चैबंर ऑफ कॉमर्स एडं इंडस्ट्री की आंतरिक व्यापार के संवर्धन में भूमिका

चैबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना व्यवसाय एवं औद्योगिक गृहों के संगठनों के रूप मं उनके समान हित एवं लक्ष्यों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए की गई थी। इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते है।

(1) इनके द्वारा वस्तुओ के अंतर्राज्यीय संचलन से संबंधित अनेको क्रियाओं में सहायता प्रदान करना।

(2) ये यह सुनिश्चित करते है की चुंगी तथा अन्य स्थानीय करो के कारण आंतरिक व्यापार पर बुरा प्रभाव न पड़े।

(3) इनके द्वारा बिक्री कर ढाँचे मे एकरूपता लाने के लिए सरकार से निरंतर बातचीत की जाती है।

(4) कृषि विपणन नीतियों को कारगर बनाने के लिए इनके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है।

(5) इनके द्वारा माप-तोल एवं ब्रांडो की सुरक्षा के लिए भी कार्य किया जाता है।

अतिलघु उत्तर वाले प्रश्न (1 अंक वाले)

1. व्यापार की परिभाषा दीजिए?
2. व्यापार की मुख्य दो श्रेणियां बताइए?
3. कौन सी दुकाने विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करती है?
4. श्रृंखला स्टोर का एक उदाहरण दीजिए?
5. डाक आदेश गृह किस प्रकार ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है?
6. विक्रय मशीने क्या है?
7. एटीएम का पूर्ण रूप क्या है?
8. सीआईआई का पूर्ण रूप लिखिए?

लघु उत्तर वाले प्रश्न (3-4 अंको वाले)

1. थोक व्यापार की मुख्य विशेषताएं बताइए?
2. फुटकर व्यापारी द्वारा ग्राहकों को क्या सेवाएं प्रदान की जाती है।
3. बहुश्रृंखला दुकानों और विभागीय भंडार में अंतर कीजिए?
4. डाक आदेश व्यवसाय के लाभ तथा सीमाएं बताइए?
5. विक्रय मशीनों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए?

दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न (5-6 अंको वाले)

1. थोक व्यापार और खुदरा व्यापार में अंतर लिखिए?
2. सुपर बाजार क्या है? उनके लाभ तथा सीमाएं बताइए?

3. चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका तथा कार्य बताइए?

4. भ्रमणकारी खुदरा व्यापारियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए?

5. उपभोक्ता सहकारी भंडार के लाभो का वर्णन कीजिए?

अध्याय 10

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

जब किसी देश द्वारा अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर विनिर्माण एवं व्यापार किया जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते है। संप्रेषण, तकनीक, आधारगत ढांचा आदि में विकास के कारण यह सम्भव हो पाया है। नये-नये संप्रेषण के माध्यम एवं परिवहन के तीव्र एवं अधिक सक्षम साधनों के विकास के कारण आज विभिन्न देश एक-दूसरे के नजदीक आ गए है जिसके कारण उनके बीच व्यापार सम्भव हो पाया है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य कारण निम्नलिखित है।

(1) प्राकृतिक संसाधनो का असमान वितरण तथा उत्पादकता में अंतर के कारण एक देश अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम नही हो पाता।

(2) विभिन्न सामाजिक आर्थिक भौगोलिक एवं राजनैतिक कारणों से विभिन्न राष्ट्रो में श्रम की उत्पादकता तथा उत्पादन लागत में भिन्नता पाई जाती है।

(3) उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे श्रम, पूंजी एवं कच्चा माल आदि संसाधनों की उपल्बधता अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय का क्षेत्र

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख व्यावसायिक क्रियाएं आती है।

(1) वस्तुओं का आयात एवं निर्यात :- वस्तुओं से अभिप्राय उन मूर्त वस्तुओं से है जिन्हे देखा एवं स्पर्श किया जा सकता है। वस्तुओ के आयात का अर्थ है मूर्त वस्तुओं को दूसरे देशों से अपने देश में लाना तथा वस्तुओं के निर्यात का अर्थ है मूर्त वस्तुओं को अपने देश से दूसरे देशो को भेजना।

(2) सेवाओं का आयात एवं निर्यात :- सेवाओं से अभिप्राय उन अमूर्त वस्तुओ से जिन्हे देखा एवं स्पर्श नही किया जा सकता। जैसे पर्यटन एवं यात्रा मनोरंजन, संप्रेषण आदि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सेवाओं का व्यापार होता है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का एक और मार्ग लाइसेंस एवं फ्रैचांइजी है। किसी दूसरे देश में वही के व्यवसायी को कुछ फीस के बदले अपने ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपी-राइट के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय की अनुमति देना लाइसेंसीग कहलाती है। फैचाइंजी भी लाइसेंस प्रणाली के समान है परन्तु यह सेवाओं के संदर्भ में प्रयुक्त होती है।

(4) विदेशो में निवेश करना अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का एक और महत्वपूर्ण प्रकार है। विदेशी निवेश दो प्रकार का हो सकता है : प्रत्यक्ष एवं पेटिका निवेश। प्रत्यक्ष निवेश में निवेशक को विदेशी कम्पनी में नियत्रंण का अधिकार होता है इसके अन्तर्गत किसी देश में वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन एवं विपणन के लिए वहां संयंत्र एवं मशीनों आदि परिसंपत्तियों में किए गए निवेश को शामिल किया जाता है।

जबकि पेटिका निवेश एक कम्पनी का दूसरी कम्पनी में उसके शेयर खरीद या फिर ऋण के रूप में निवेश होता है। इसके अन्तर्गत निवेशक उत्पादन एवं विपणन क्रियाओं में लिप्त नही होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश तथा व्यवसायिक फर्मो दोनो के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अनेक लाभ मिलते है।

राष्ट्रो को लाभ

(1) इसके द्वारा एक देश विदेशी मुद्रा अर्जित करता है जिसका प्रयोग वह विदेशों से विभिन्न वस्तुओं का आयात करने के लिए कर सकता है।

(2) इसके कारण एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषता/विशिष्टा प्राप्त कर लेता है जिन्हें वह कुशलता पूर्वक एवं मितव्ययी तरीके से उत्पादित कर सकता है।

(3) इस के कारण एक देश की विकास की संभावनाओं एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

(4) इस के कारण ही एक देश के नागरिक अन्य देशों में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग कर पाते है जिनके द्वारा उन के जीवन स्तर में वृद्धि भी होती है।

फर्मो को लाभ

(1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण फर्मे उन देशों में अपनी वस्तुओं को बेच कर अधिक लाभ कमा सकती है जहां उन्हें अधिक कीमतों पर बेचा जा सकता है।

(2) इसके कारण फर्मे अपनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रयोग करके उत्पादन लागत में कमी तथा प्रति इकाई लाभ में वृद्धि कर सकती है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण फर्मो की विकास की संभवनाएं बढ़ जाती है।

(4) यह आतंरिक बाजार में उत्पन्न घोर प्रतियोगिता से बचाव का एक मार्ग भी है। घोर प्रतियोगिता की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के द्वारा फर्मे पर्याप्त विकास प्राप्त कर सकती है।

(5) इसके कारण फर्मे अधिक प्रतियोगी तथा विविधतापूर्ण हो जाती है अत: उन के व्यावसायिक दृष्टिकोण में बदलाव आता है।

घरेलू व्यवसाय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अंतर

क्रम संख्या	आधार	घरेलू व्यवसाय	अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय
1.	क्रेता तथा विक्रेता की राष्ट्रीयता	क्रेता तथा विक्रेता दोनो एक ही देश के होते है।	क्रेता तथा विक्रेता भिन्न-2 देशों के होते ।
2.	उत्पादन के साधनों की गतिशीलता	इसके अन्तर्गत उत्पादन के साधन अधिक गतिशील होते	इसके अन्तर्गत उत्पादन के साधन कम गतिशील होते है।

		है।	
3.	बाजार में ग्राहकों के स्वरूप में भिन्नता	इसमें अधिक समरूपता पाई जाती है।	इसमें भाषा, रीति-रिवाजो आदि की भिन्नता के कारण समरूपता का अभाव होता है।
4.	व्यवसाय में प्रयुक्त मुद्रा	इसमें अपने देश की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।	इसमें एक से अधिक देशो की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।
5.	राजनैतिक प्रणालियां एवं जोखिम	इसमें केवल एक ही देश की राजनैतिक प्रणाली एवं जोखिमों का सामना करना पड़ता है।	इसमें अलग-अलग देशो की राजनैतिक प्रणालियों एवं जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश की विधियां

क) आयात तथा निर्यात

वस्तु एवं सेवाओं को अपने देश से बेचकर दूसरे देश को भेजना निर्यात कहलाता है जबकि विदेशों से माल का क्रयकर अपने देश में लाना आयात कहलाता है।

लाभ

(1) यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने की सबसे सरल पद्धति है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अन्य पद्धतियों के मुकाबले आयात तथा निर्यात पद्धति में कम समय एवं पूंजी की आवश्यकता होती है।

(3) यह अन्य पद्धतियों के मुकाबले कम जोखिम पूर्ण है।

सीमाएं

(1) इसके लिए पैकेजिंग, परिवहन एवं बीमा पर अतिरिक्त खर्च होता है जिससे उत्पाद की लागत बढ जाती है।

(2) यदि कोई देश आयात पर प्रतिबंध लगा दे तो वहां निर्यात करना सम्भव नही होता।

(3) स्थानीय निकाय/फर्मो ग्राहकों के काफी समीप होती है अत: वह लोगो को अन्तर्राष्ट्रीय फर्मो के मुकाबले अधिक सन्तुष्ट कर सकी है।

संविदा विनिर्माण

जब एक फर्म विदेश में एक या कुछ स्थानीय फर्मो के साथ कुछ वस्तुओं को उनके मार्गदर्शन में बनाने का अनुबंध करती है तो उसे संविदा विनिर्माण कहा जाता है। इसे बाह्य स्त्रोतीकरण भी कहते है। इसके तीन प्रमुख प्रकार होते है।

(1) कुछ घटकों का उत्पादन करना जैसे वाहनों के घटक जिन्हें बाद में वाहन बनाने में प्रयोग किया जाता है।

(2) घटकों का समुच्चय कर अंतिम उत्पाद का निर्माण करना जैसे आटोमोबाइल पूर्जे जिनसे स्कूटर बनाया जाता है।

(3) वस्तु का पूर्ण रूप से उत्पादन करना जैसे सिले सिलाए वस्त्रों का निर्माण।

लाभ

(1) इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय फर्मे बिना उत्पादन सुविधाओं की स्थापना पर पूंजी लगाए, बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है।

(2) इसके अन्तर्गत बाह्य देशों में बहुत कम पूंजी लगती है अत: निवेश से सम्बन्धित जोखिम बहुत कम होता है।

(3) इसके अन्तर्गत कम लागत पर उत्पादन या एकत्रीकरण किया जा सकता है।

(4) बाहय देशो के स्थानीय उत्पादक अपनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का उपयोग कर के उत्पादन कर सकते है जिसके लिए संविदा विर्निर्माण तैयार बाजार देता है।

(5) यह स्थानीय निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है।

सीमाएँ :-

(1) यदि स्थानीय उत्पादक, उत्पादन के डिजाइन और गुणवत्ता मानको का कड़ाई से पालन नही करते तो अन्तर्राष्ट्रिय फर्म को गुणवत्ता सम्बन्धित समस्या हो सकती है।

(2) स्थानीय उत्पादक अनुबंध अनुसार उत्पादन करता है जिसके कारण उसका उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण नही रहता।

(3) उत्पादन करने वाली स्थानीय इकाई अपनी इच्छानुसार माल को नही बेच सकती।

लाइसैंसिग एवं फ्रैंचाइजी (मताधिकारी)

लाइसैसिंग दो फर्मो के बीच हुआ एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें एक फर्म, दूसरे देश की किसी फर्म को फीस, जिसे रायल्टी कहते है, के बदले अपने पेटेंट अधिकार, व्यापारिक रहस्यों या तकनीक दे देता है। जब दो फर्मो के बीच ज्ञान, तकनीक एवं पेटेंट अधिकार का पारस्पारिक विनिमय होता है तो उसे प्रति अनुज्ञप्ति लाइसैंस कहते है। फ्रैंचाइजी, लाइसैसिंग के ही समान है परन्तु लाइसैंसिग का प्रयोग वस्तु के लिए होता है जबकि फ्रैचाइजी सेवाओं के संर्दभ में प्रयोग किया जाता है। पीजाहट एवं वालमाट कुछ अग्रणी फ्रैचाइजर है जो पूरे विश्व में प्रचालन कर रहे है।

लाभ

(1) यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश का एक कम खर्चीला तरीका है क्योंकि लाइसेंस प्रदानकर्त्ता अर्थात फ्रैचांइजर को विदेशों में कोई निवेश नही करना पड़ता है।

(2) इस मे बहुत कम विदेशी निवेश की आवश्यकता होती है अत: फ्रैंचाइजर को नुकसान की बहुत कम सम्भावना होती है।

(3) लाइसैंस प्राप्तकर्त्ता एक स्थानीय व्यक्ति होता है जिसे बाजार का अधिक ज्ञान होता है जिससे

विपणन कार्य को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है।

(4) इसमें सरकार द्वारा व्यवसाय में हस्तक्षेप का जोखिम कम होता है।

(5) इसमें नियमों एवं शर्तो के अनुसार केवल लाइसैंस प्राप्तकर्त्ता ही पेटेन्ट, कॉपीराइट आदि का प्रयोग कर सकता है।

सीमाएं

(1) लाइसैंस प्राप्तकर्त्ता जब वस्तुओं के विनिर्माण एवं विपणन में निपुणता प्राप्त कर लेता है तो वह उस उत्पाद से मिलते -जुलते उत्पाद का विपणन कर सकता है।

(2)लाइसैंस प्राप्तकर्त्ता की चूक से व्यापार के रहस्यों को गुप्त न रख पाने पर उसका ज्ञान दूसरो को हो सकता है।

(3) फ्रैचाइजर तथा फ्रैचाइजी के बीच खातों के रखने, रॉयल्टी के भुगतान आदि से सम्बन्धित मतभेद उत्पन्न हो सकते है।

संयुक्त उपक्रम

दो या दो अधिक स्वतंत्र इकाइयों के संयुक्त स्वामित्व में एक फर्म की स्थापना करना संयुक्त उपक्रम कहलाती है। इसे निम्नलिखित तीन प्रकार से बनाया जा सकता है।

(1) विदेशी निवेशक द्वारा स्थानीय कम्पनी में हिस्सेदारी का क्रय कर लेना।

(2) स्थानीय फर्म द्वारा पूर्व स्थापित विदेशी फर्म में हिस्सा प्राप्त कर लेना।

(3) विदेशी एवं स्थानीय उद्यमी दोनों ही मिलकर एक उद्यम की स्थापना कर लें।

संयुक्त उपक्रम के लाभ

(1) इस प्रकार के उपक्रम की समता पूंजी में स्थानीय साझी का योगदान भी होता है अत: अंतर्राष्ट्रीय फर्म पर वित्तीय भार पड़ता है।

(2) इसके कारण बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकता है।

(3) स्थानीय साझी का मेजबान देश की संस्कृति, भाषा व्यवसायिक प्रतियोगिता, राजनैतिक तथा व्यावसायिक व्यवस्थाओं के ज्ञान का विदेशी फर्मो को लाभ मिलता है।

(4) इस प्रकार के उपक्रम द्वारा लागत तथा जोखिम का बंटवारा साझेदारों के साथ किया जा सकता है।

संयुक्त उपक्रम की सीमाएं

(1) इसके अन्तर्गत स्थानीय फर्म के साथ टेक्नोलॉजी और व्यापारिक रहस्यों को बांटना पड़ता है अत: उन का अन्य लोगों को उजागर होने का खतरा बना रहता है।

(2) इसके अन्तर्गत निवेश करने वाली फर्मो के बीच नियंत्रण को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकतेहै।

सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां

जब किसी विदेशी कम्पनी में जनक कम्पनी द्वारा 100 प्रतिशत पूंजी निवेश कर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी कहा जाता है। इसकी स्थापना विदेशों के परिचालन प्रारंभ के लिए बिल्कुल ही नई कम्पनी स्थापित करके या दूसरे देश में पहले से ही स्थापित संगठन का अधिग्रहण करके की जा सकती है।

निर्यात प्रक्रिया

(1) निर्यातक को प्रस्ताविक क्रेता से पूछताछ प्राप्त होती है जिसमें वह मूल्य क्वॉलिटी और माल के निर्यात की अन्य शर्तो व नियमों की जानकारी चाहता है। निर्यातक उसे निर्ख भेजता है जिसे प्रारूप बीजक कहा जाता है।

(2) यदि क्रेता निर्यात की कीमतों और शर्तो व नियमो से संतुष्ट होता है तो वह माल के लिए आदेश या इंडेट भेजता है।

(3) आदेश प्राप्त होने पर निर्यातक आयातक की ऋणसाख के बारे में पूछताछ करता है ताकि भुगतान न किए जाने के जोखिम का आकंलन हो सके।

(4) निर्यातक फर्म को निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है जिसकी प्रक्रिया निम्न है।

- प्रधिकृत किसी बैंक में खाता खोलना तथा उसकी खाता संख्या प्राप्त करना।

- प्रमुख निर्देशक विदेशी व्यापार या क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसैसिंग प्राधिकरण से आयात-निर्यात कोड संख्या प्राप्त करना।

- अगला कदम उपयुक्त निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकरण कराना होता है।

- भुगतान प्राप्त न होने के जोखिम के विरूद्ध सुरक्षा हेतु निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम के पास पंजीकरण करवाना।

(5) निर्यात, लाइसेंस प्राप्त होने के बाद निर्यातक अपने बैंक के पास उत्पादन करके के लिए पूर्व-लदान वित्त प्राप्त करने हेतु जाता है।

(6) पूर्व-लदान वित्त प्राप्त करने के पश्चात् निर्यातक आयातक के आदेशानुसार माल तैयार करता है।

(7) भारत सरकार यह सुनिश्चित करती है की केवल अच्छी क्वॉलिटी के माल का ही निर्यात हो अतः निर्यातक को निर्यात के समय अन्य प्रलेखों के साथ पूर्व-लदान निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुसार निर्मित वस्तुओं में प्रयुक्त माल पर उत्पाद शुल्क दिया जाना चाहिए। इसके लिए निर्यातक उस क्षेत्र के उत्पाद शुल्क अधीक्षक को बीजक की एक प्रति के साथ आवदेन भेजता है।

(9) शुल्कों में रियायते और अन्य छूटे प्राप्त करने के लिए आयातक, निर्यातक से उद्गम प्रमाण पत्र भेजने को कह सकता है।

(10) निर्यातक जहाजी कंपनी को जहाज पर स्थान प्रदान करने के लिए आवेदन करता है। उसे निर्यात

किए जाने वाले माल से संबंधित पूर्ण जानकारी, लदान की संभावित तिथि तथा गंतव्य बंदरगाह की जानकारी देनी पड़ती है।

(11) वस्तुओं की पैकिंग की जाती है और उनपर आवश्यक सूचनाएं जैसे आयातक का नाम एवं पता, सकल और निवल भार, लदान वाले तथा गतंव्य बंदरगाह का नाम आदि चिन्हित कर दी जाती है।

(12) वस्तुओं की समुद्री यात्रा के दौरान हानि के जोखिम से सुरक्षा के लिए निर्यातक किसी बीमा कम्पनी से वस्तुओं का बीमा करवाता है।

(13) माल के लदान से पहले उसकी कस्टम से निकासी करवानी पड़ती है जिसके लिए जहाजी बिल तैयार किया जाता है। निर्यातक जहाजी बिल की पांच प्रतियों के साथ निम्न दस्तावेज कस्टम घर पर कस्टम मूल्यांक के पास प्रस्तुत करता है।

(1) उद्‌गन प्रमाण पत्र (2) वाणिज्यिक बीजक

(3) निर्यात अनुबंध/आदेश (4) साख पत्र

(5) निरीक्षण प्रमाण, आवश्यक हो तो

(6) समुद्री बीमा पॉलिसी

इन दस्तावेजो को जमा कराने के बाद संबंधित बंदरगाह के न्याय अधीक्षक से माल को ढोने का आदेश प्राप्त किया जाता है। जो बंदरगाह पर तैनात कर्मचारियों के लिए आदेश रूप में होता है कि वे माल को डॉक के भीतर प्रवेश करने दे।

(14) माल के जहाज पर लदने के बाद जहाज का कप्तान बंदरगाह के अधीक्षक के नाम एक मेट्स रसीद जारी करता है जिसमें पैकेजों का विवरण, लदान की तिथि, चिन्ह, माल की दशा आदि जानकारियां होती है।

(15) निकासी व प्रेषक एजेन्ट मेट्स रसीद जहाजी कंपनी को दे देता है। जिसके आधार पर भाड़े की गणना की जाती है। जहाजी कम्पनी भाड़ा प्राप्त होने पर जहाजी बिल्टी जारी करती है।

(16) निर्यातक भेजी गई वस्तुओं का बीजक बनाता है जो माल की मात्रा तथा आयातक द्वारा चुकाई गई राशि की जानकारी देता है। इसे कस्टम अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है।

(17) माल के लदान के बाद आयातक को उसकी सूचना भेजी जाती है। विभिन्न प्रलेख जैसे बीजक सत्यापित प्रति, जहाजी बिल्टी, पैंकिग सूची, बीमा पॉलिसी आदि निर्यातक द्वारा बैंक के माध्यम से भेजे जाते है जिनका प्रयोग माल की कस्टम से अनुमति प्राप्ति के लिए आवश्यकता होती है।

निर्यात लेन-देन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख प्रलेख

(क) वस्तुओं सें संबंधित प्रलेख

1. निर्यात बीजक :- यह विक्रेता का विक्रय माल बिल होता है जिसमें बेचे गए माल के संबंध में सूचना दी होती है जैसे मात्रा, कुल मूल्य, पैकेजों की संख्या, पैकिंग पर चिन्ह गन्तव्य बंदरगाह,

जहाज का नाम, जहाजी बिल्टी संख्या, सुपुर्दगी संबंधित शर्तें एवं भुगतान आदि।

2. निरीक्षण प्रमाण पत्र :- उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्ति करने के लिए सरकार ने कुछ उत्पादों का किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है। भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा माल का निरीक्षण किया जाता है एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि प्रेषित माल का निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 के अनुसार है।

3. पैकिंग सूची :- यह प्रलेख एक विवरण के रूप में होता है जो पेटियों की संख्या व उनमें भरे गए माल का विवरण देता है।

4. उद्‌गम प्रमाणपत्र :- इसके द्वारा इस बात का निर्धारण किया जाता है कि माल का उत्पादन किस देश में हुआ है। यह प्रमाणपत्र आयातक को शुल्कों में रियायत जैसे पूर्व निर्धारित देशों में निर्मित वस्तुओं पर कोटा-पाबंदियों का लागू न होना आदि प्राप्त करने में सहायक होता है।

(ख) लदान से संबंधित प्रलेख

1) जहाजी बिल :- इस प्रलेख के आधार पर कस्टम द्वारा माल के निर्यात की अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें निर्यात किए जा रहे माल का पूर्ण विवरण जहाज का नाम, निर्यातक का नाम व पता, अंतिम गतंव्य देश का नाम आदि पूर्ण ब्यौरा होता है।

2) मेट्स रसीद :- यह रसीद जहाजी कप्तान या मेट द्वारा माल के जहाज के लदने के बाद निर्यातक को जारी की जाती है। इससें जहाज का नाम, पैकेजों का विवरण, चिन्ह, जहाज में लदान के समय माल की स्थिति आदि का विवरण होता है।

3) जहाजी बिल्टी :- यह प्रलेख जहाजी कम्पनी द्वारा जारी जहाज पर माल प्राप्ति की रसीद है तथा साथ ही गतंव्य बंदरगाह तक उन्हें ले जाने की शपथ भी है। यह बेचान एवं सुपुर्दगी द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है।

4) वायु मार्ग विपत्र :- यह एयर लाइन कम्पनी की हवाई जहाज पर माल की प्राप्ति की विधिक्त रसीद होती है जिसमें वह माल को गंतव्य हवाई अड्‌डे तक ले जाने का वचल देती है। इसे माल पर मालिकाना हक के प्रलेख के रूप में भी जाना जाता है।

(ग) भुगतान संबंधित प्रलेख

(1) साख पत्र :- यह आयातक के बैंक द्वारा दी जाने वाली गारंटी है जिसमें वह निर्यातक के बैंक को एक निश्चित राशि तक के निर्यात बिल के भुगतान की गारंटी देता है।

(2) विनिमय विपत्र :- यह एक लिखित प्रपत्र है जिसमें इसको जारी करने वाला दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि, एक निश्चित व्यक्ति अथवा इसके धारक को भुगतान का आदेश देता है।

आयात निर्यात लेन-देन में यह निर्यातक द्वारा आयातक पर लिखा जाता है।

(3) बैंक भुगतान प्रमाणपत्र :- यह इस बात को प्रमाणित करता है कि एक निश्चित निर्यात प्रेषण से संबंधित प्रलेखों का प्रकामण कर लिया गया है एवं विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुरूप भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

आयात प्रक्रिया

(1) माल के आयात के दौरान सर्वप्रथम आयातक फर्म उन देशों व फर्मो के संबंध में सूचना एकत्रित करता है जो इस माल का निर्यात करते है। ऐसी जानकारी व्यापारिक डायरेक्टरी, व्यापार धंधों और अन्य संगठनों से प्राप्त की जा सकती है।

(2) आयातक को यह जानना आवश्यक होता है कि जिन वस्तुओं का वह आयात करना चाहता है उन पर आयात लाइसेंस लागू होता है अथवा नही। यदि उन वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है तो आयातक को आयात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा।

(3) आयात लेन-देन से संबंधित आपूर्तिकर्ता विदेश में रहता है अतः उसे भुगतान विदेशी मुद्रा में ही करना होता है। भारत में सभी विदेशी विनिमय संबंधित लेन-देनों का भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग द्वारा नियमन होता है। प्रत्येक आयातक को विदेशी विनिमय हेतु स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। इस स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए आयातक को आयात लाइसेंस के साथ रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय के लिए अधिकृत बैंक के पास आवेदन करना पड़ता है।

(4) लाइसेंस प्राप्त होने के बाद आयातक वस्तुओं की आपूर्ति हेतू निर्यातक के पास आयात आदेश अथवा इंडैट भेजता है। इस आदेश में माल की कीमत, क्वॉलिटी, मात्रा, आकार और ग्रेड तथा पैकिंग लदान, भुगतान की विधि आदि से संबंधित जानकारियां होती है।

(5) जब विदेशी पूर्तिकर्ता और आयातक के मध्य भुगतान की शर्ते तय हो जाती है तो आयातक अपने बैंक से साखपत्र प्राप्त करता है और उसे विदेशी पूर्तिकर्त्ता को प्रेषित कर देता है।

(6) आयातक कोषों के लिए अग्रिम व्यवस्था करता है जिससे बंदरगाह पर माल पहुँचने पर निर्यातक को भुगतान किया जा सके।

(7) जहाज में माल के लदान कर देने के पश्चात विदेशी आपूर्तिकर्ता आयातक को माल भेजने की सूचना भेजता है। माल प्रेषण सूचना पत्र में बीजक संख्या, जहाजी बिल्टी वायुमार्ग बिल नम्बर एवं तिथि, जहाज का नाम एवं तिथि, निर्यात बंदरगाह, आदि की सूचना होती है।

(8) माल रवानगी के बाद विदेशी पूतिकर्ता वाणिज्यिक बीजक, जहाजी बिल्टी, बीमा पॉलिसी, उद्‌गम प्रमाणपत्र आदि अपने बैंकर को उन्हें आगे आयातक को सौपने के लिए दे देता है।

(9) आयातक के देश में माल पहुंच जाने के बाद वाहन का अभिरक्षक गोदी अथवा हवाई अड्डे पर तैनात देख-रेख अधिकारी को माल के आयातक देश में पहुँच जाने की सूचना देता है। वह उन्हें एक विलेख सौपता है जिसमें आयतित माल का विस्तृत विवरण दिया होता है।

10. भारत के आयतित माल को सीमा शुल्क निकासी से गुजरना होता है। इसके लिए अनेक औपचारिकताएं को पूरा करना पड़ता है। इसके लिए आयातक, निकासी एवं लदाने वाले एजेंट की नियुक्ति करते है।

सर्वप्रथम आयातक सुपुर्दगी आदेश पत्र प्राप्त करता है जिसे बेचान भी कहते। इसे संबंधित जहाजी कंपनी के द्वारा किया जाता है। आयातक को माल को अपने अधिकार में लेने से पहले भाड़ा चुकाना होता

है। इसके अलावा आयातक बंदरगाह न्यास शुल्क की रसीद के लिए गोदी व्यय का भी भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए आवेदक को आयात हेतु आवेदन की दो प्रतियों को भरकर अवतरण एवं जहाजी शुल्क कार्यालय में जमा करवाना पड़ता है। गोदी व्यय का भुगतान करने के बाद आयातक को रसीद के रूप में आवेदन की एक प्रति वापिस दे दी जाती है। इस रसीद को बंदरगाह न्यास शुल्क रसीद कहते है।

अंत में आयातक आयात शुल्क के निर्धारण के लिए प्रवेश बिल फार्म भरता है एक मूल्यांकन कर्ता सभी विलेखो का ध्यान से अध्ययन कर निरीक्षण के लिए आदेश देगा। आयातक मूल्यांकनकर्ता के द्वारा तैयार विलेख को प्राप्त करेगा तथा सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। आयातक प्रवेश बिल को गोदी अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आयतित माल का निरीक्षण करके निरीक्षक प्रवेश बिल पर अपना अनुवेदन लिख देगा। आयातक प्रवेश बिल को बंदरगाह अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा आवश्यक शुल्क लेने के बाद अधिकारी माल की सुपुर्दगी का आदेश दे देगा।

आयात लेन देनों में प्रयुक्त प्रलेख

(1) व्यापारिक पूछताछ :- यह आयातक की ओर से निर्यातक को लिखित प्रार्थना होती है जिसमें वह निर्यात की वस्तुओं के मूल्य एवं विभिन्न शर्तो की सूचना प्रदान करने के लिए कहता है।

(2) प्रारूप बीजक :- वह प्रलेख जिसमें निर्यात के माल के मूल्य, गुणवत्ता श्रेणी, डिजाइन, माप, भार तथा निर्यात की शर्तो का विस्तृत वर्णन होता है प्रारूप बीजक कहलाता है।

(3) आयात आदेश अथवा इंडैट :- यह वह विलेख है जिसमें आयातक, निर्यातक को मांगी गई वस्तुओं की आपूर्ति का आदेश देता है। इसके अन्तर्गत आयात की वस्तुओं मात्रा एवं गुणवत्ता मूल्य, माल लदान की पद्धति, पैकिंग आदि से सम्बन्धित सूचना दी जाती है।

(4) साख पत्र :- यह आयातक के बैंक द्वारा निर्यातक बैंक को एक निश्चित राशि के निर्यातक बिल के भुगतान की गारंटी है। यह निर्यातक, आयातक को वस्तुओं के निर्यात के बदले में जारी करता है।

(5) लदान सूचना :- इसके द्वारा आयातक को इस बात की सूचना दी जाती है कि माल का लदान हो चुका है। लदान सूचना, बीजक संख्या, जहाजी बिल्टी, जहाज का नाम, निर्यात का बंदरगाह आदि सूचनाएं प्रदान करता है।

(6) प्रवेश बिल :- इसे आयातक माल की प्राप्ति पर भरता है। इसकी तीन प्रतियाँ होती है तथा इसे सीमा शुल्क कार्यालय में जमा कराया जाता है। इसमें आयातक का नाम एवं पता, जहाज का नाम, माल की मात्रा एवं मूल्य, निर्यातक का नाम एवं पता, गतंव्य बंदरगाह एवं देय सीमा शुल्क आदि सूचनाएं होती है।

(7) जहाजी बिल्टी :- यह जहाज के नायक द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरयुक्त विलेख होता है जिसमें वह माल के जहाज पर प्राप्ति को स्वीकार करता है। इसमें माल को निर्धारित बदंरगाह तक ले जाने से संबंधित शर्ते दी हुई होती है।

(8) विनिमय विपत्र :- पहले स्पष्ट किया जा चुका है।

विदेशी व्यापार प्रोन्नति प्रोत्साहन एवं संगठनात्मक सर्मथन

सरकार द्वारा निर्यात फर्मो की प्रतियोगितात्मक योग्यता बढाने के लिए कई योजनाएं व प्रोत्साहन आरंभ किए गए है। सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के संलग्न फर्मो को विपणन में सहायता एवं बुनियादी ढांचागत समर्थन प्रदान करने के लिए संगठन स्थापित किए है।

विदेशी व्यापार प्रोन्नति/संर्वधन की विधियां

(1) शुल्क वापसी योजना :- निर्यात की गई वस्तुओं पर यदि किसी प्रकार के शुल्क भुगतान किया जाता है तो उसे निर्यातक को लौटा दिया जाता है लेकिन इसके लिए निर्यातक को संबंधित अधिकारियों को निर्यात का प्रमाण देना होता है। इसे शुल्क वापसी कहते है।

(2) बांड योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु विनिर्माण :- इस योजना के अंतर्गत फर्म वस्तुओं का उत्पादन बिना उत्पादन शुल्क या अन्य शुल्कों के भुगतान के कर सकती है। परन्तु उन्हे एक प्रतिज्ञापत्र देना पड़ता है कि वे वस्तुओ का उत्पादन निर्यात के उद्देश्य से कर रही है।

(3) विक्रय कर के भुगतान से छूट :- निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर से छूट होती है। लम्बी अवधि तक निर्यात क्रियाओं से अर्जित आय पर आयकर भी नही देना होता था परन्तु अब आयकर से छूट केवल 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा निर्यात प्रवर्तन क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को कुछ चुने हुए वर्षो तक ही मिलती है।

(4) अग्रिम लाइसेंस योजना :- इस योजना के अंतर्गत निर्यातक को निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली घरेलू व आयतित आगतों की शुल्क मुक्त पूर्ति की अनुमति होती है। यह कभी-कभी निर्यात करने वाले निर्यातकों को तदर्थ आधार पर प्रदान किया जाता है।

(5) निर्यात प्रवर्तन क्षेत्र :- यह वह औद्योगिक परिक्षेत्र होते है जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क क्षेत्र में अत: क्षेत्र का सृजन करते है। यह सामान्यत: समुद्री बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे के समीप स्थित होते है। इनका उद्देश्य कम लागत पर निर्यात उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क रहित वातावरण प्रदान करना है।

उपरोक्त विधियों के अलावा अन्य उपाय जैसे निर्यात वित्त की उपलब्धता, निर्यात संवर्धन, पूंजीगत वस्तुएं योजना आदि का प्रयोग व्यापार संवर्धन के लिये किया जाता है।

संगठन समर्थन

विदेशी व्यापार की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों की स्थापना की है जिनमें निम्न महत्वपूर्ण है।

(1) वाणिज्य विभाग (2) निर्यात प्रोन्नति परिषद्

(3) सामग्री बोर्ड (4) निर्यात निरीक्षण परिषद्

(5) भारतीय व्यापार प्रोन्नति संगठन

(6) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान

(7) राज्य व्यापार संगठन

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान एवं व्यापार समझौते

विश्व बैंक :- पुर्ननिर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक अर्थात विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध से प्रभावित यूरोप के देशो की अर्थव्यवस्था का पुर्ननिर्माण और अल्पविकसित देशो का विकास करना था। इसके निम्नलिखित प्रमुख कार्यो है।

(1) अतंराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र का विस्तार करना।

(2) आधारभूत सुविधाओं जैसे ऊर्जा, परिवहन आदि का विकास करना।

(3) विभिन्न देशों को रोकड़ फसल उगाने के लिए सहायता करना जिससे उनकी आय बढ़ सके।

(4) मूलभूत ढ़ाचे के विकास, कृषि, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करना।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष : यह संगठन 1945 में अस्तित्व में आया था जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और विनिमय दरों में समायोजन हेतु एक प्रणाली का विकास करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है।

(1) एक स्थाई संस्था के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढावा देना।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना और रोजगार और आय के उच्च स्तर बनाए रखना ।

(3) सदस्य देशों के बीच नियमानुसार विनियम व्यवस्था के उद्देश्य से विनिमय स्थिरता को बढ़ाना।

(4) देशों के बीच वर्तमान लेन-देनों के संदर्भ में भुगतान की बहु आयामी की स्थापना में सहायता करना।

विश्व व्यापार संगठन

इस की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विटजरलैण्ड में स्थित है। यह एक स्थायी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हुई है तथा जिसे सदस्य देशों की सरकारों एवं विधान मंडलों ने प्रमाणित किया है। इसके द्वारा व्यापारिक समस्याओं को सुलझाने और बहुआयामी व्यापारिक पराक्रमण हेतु मंच उपलब्ध कराया जाता है। इस के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है।

(1) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर करना।

(2) यह सुनिश्चित करना कि सभी सदस्य देश अपने आपसी विवादो को हल करने के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी नियम एवं कानूनों का पालन करे।

(3) सर्वमान्य आचार संहिता बनाना जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा सके।

(4) अन्य संबंद्ध एजेसियो से विचार-विमर्श करना जिससे वैश्विक आर्थिक नीति बनाने में अधिक समझ एवं सहयोग का समावेश किया जा सके।

अतिलघु उत्तर वाले प्रश्न (1 अंक वाले)

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय क्या है?
2. विदेशी निवेश के दो प्रकार बताइए?
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश के कोई दो तरीके बताइए?
4. संविदा विनिर्माण क्या है?
5. फ्रैंचाइजर कौन होता है?
6. इंडेट क्या होता है?
7. भुगतान से संबंधित दो प्रलेखों के नाम बताइए?
8. प्रारूप बीजक क्या है?
9. एस. ई. जेड (SEZ) का पूर्ण रूप क्या है?
10. दो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाओं के नाम बताइए?

लघु उत्तर वाले प्रश्न (3-4 अंको वाले)

1. घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अंतर कीजिए?
2. संयुक्त उपक्रम क्या है? इसकी सीमाएँ बताइए?
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए?
4. विश्व व्यापार संगठन के कार्यो का वर्णन कीजिए?
5. ऋणपत्र क्या है? इस प्रलेख की आवश्यकता क्यो होती है?
6. जहाजी बिल्टी क्या है? यह प्रवेश बिल से किस प्रकार भिन्न है?

दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न (5-6 अंक वाले)

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से राष्ट्र तथा फर्मो को होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए?
2. लाइसैसिंग और फ्रैंचाइजिंग के मुख्य लाभ और सीमाएं बताईए?
3. निर्यात में प्रयुक्त होने वाले मुख्य प्रलेखों का वर्णन कीजिए?
4. आयात प्रक्रिया का वर्णन कीजिए
5. निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए

(1) व्यापारिक पूछताछ (2) निर्यात प्रवर्तन क्षेत्र

(3) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (4) विश्व व्यापार संगठन

मॉडल टेस्ट पेपर

समय : 3 घण्टे **अंक : 90**

1. उस व्यावसयिक उपक्रम का नाम बताओ जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना होता है। (1)

2. ए. टी. एम का पूर्ण रूप क्या है? (1)

3. श्रृंखला स्टोर का एक उदाहरण दीजिए? (1)

4. बाहय स्त्रोतीकरण को परिभाषित कीजिए? (1)

5. ई-व्यवसाय के किन्ही दो अनुप्रयोगों का नामांकन कीजिए? (1)

6. व्यवसाय के आर्थिक उत्तरदायित्व का एक उदाहरण दीजिए? (1)

7. नीतिशास्त्र एवं कानून में कोई एक अंतर लिखिए? (1)

8. परम्परागत उद्योग के दो उदाहरण दीजिए? (1)

9. लघुउद्योगों की पहचान के लिए सरकार ने क्या पैरामीटर निश्चित किया है? (1)

10. स्त्री उद्यम क्या है? (1)

11. विभागीय उपक्रम से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी किन्ही दो विशेषताओं का वर्णन करो? (1)

12. ऋणपत्र क्या है? इस प्रलेख की आवश्यकता क्यो होती है? (3)

13. कोई भी व्यवसाय जोखिम रहित नही है 'इस कथन के प्रकाश में व्यावसायिक जोखिम की अवधारणा एवं इसके कारणों की व्याख्या करे (कोई दो) (3)

14. व्यवसायिक वित्त क्या है? व्यवसाय को कोषो की आवश्यकता क्यो होती है? (3)

15. कुटीर उद्योगो के लक्षण बताइये? (3)

16. फुटकर व्यापारी द्वारा ग्राहको को क्या सेवाएं प्रदान की जाती है? (4)

17. भण्डारण के किन्ही चार महत्वों का वर्णन कीजिए? (4)

18. व्यवसाय करने की इलेक्ट्रानिक पद्धति की सीमाओं की विवेचना कीजिए। क्या यह सीमाएं इसके कार्य क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए काफी है? अपने उत्तर के लिए कोई तीन तर्क दीजिए। (4)

19. पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? व्यावसायिक इकाइयों को प्रदूषण नियत्रंण उपायों को अपनाने की क्यो आवश्यकता है? (4)

20. औद्योगिक नीति 1991 में सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए? (5)

21. साझेदारी संलेख से आपका क्या अभिप्राय है? इसमें मुख्यत: क्या जानकारी दी जाती है?(5)

22. 'वाणिज्य उन प्रक्रियाओं का योग है जो व्यक्ति, स्थान, समय संबंधी बाधाओं को हटाने में लगी होती है' इस कथन के प्रकाश में उन बाधाओं का वर्णन कीजिए जिन्हें प्रभावशाली वाणिज्य द्वारा हल किया जाता है?

23. निर्यात में प्रयुक्त होने वाले मुख्य प्रलेखों का वर्णन कीजिए? (5)

24. जीडीआर और एडीआर में क्या अंतर है? (5)

25. सेवाएं क्या है? इनके लक्षणों की व्याख्या कीजिए? (6)

या

विभिन्न प्रकार के बीमों का वर्णन कीजिए? प्रत्येक के रक्षित जोखिमों की प्रकृति की जांच कीजिए?

26. एक व्यावसायिक उपक्रम के प्रारूप का चुनाव करते समय ध्यान रखने वाले किन्ही छ: कारको का वर्णन करो।

या

सयुक्त पूंजी कम्पनी के निर्माण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए? (6)

27. भ्रमणकारी खुदरा व्यापारियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए? (6)

या

उपभोक्ता सहकारी भंडार के लाभों का वर्णन कीजिए।

(28) 'वित्त के रूप में सार्वजनिक निक्षेप ऋण लेने से बेहतर होते है समझाइए

या

दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था की दृष्टि से पूर्वाधिकार तथा साधारण अंशो का महत्व बताइये?

मॉडल टेस्ट पेपर

समय : 3 घण्टे **अंक : 90**

1. व्यावसायिक उपक्रम के उस स्वरूप का नाम बताइये जो केवल भारत में पाया जाता है? (1)

2. साझेदारी उपक्रम में बैंकिग व्यवसाय में साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। (1)

3. असीमित दायित्व का अर्थ लिखिए? (1)

4. सार्वजनिक क्षेत्र का वह कौन सा उपक्रम है, जिसकी स्थापना के लिए विशेष अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। (1)

5. ईएफटी क्या है? (1)

6. बीमा व्यवसाय की आवश्यकता है। समझाइए। (1)

7. उस निर्माणात्मक उद्योग का नाम बताइए जिसमें मूल पदार्थ का विभिन्न पदार्थो में विश्लेषण अथवा पृथक्करण किया जाता है। (1)

8. सीआईआई का पूर्ण रूप लिखिए? (1)

9. नाबार्ड का एक उद्देश्य लिखिए? (1)

10. सिडबी का एक उद्देश्य लिखिए? (1)

11. मैमोरेडम आफ अडरंस्टैडिंग से आपका क्या अभिप्राय है लिखिए? (3)

12. संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में कर्त्ता की भूमिका स्पष्ट कीजिए? (3)

13. व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है? क्या आप सहमत है? क्यो? (3)

14. व्यवसायिक वित्त की प्रकृति का वर्णन कीजिए? (3)

15. संयुक्त उपक्रम क्या है? इसकी दो सीमाएं बताइए? (3)

16. बहुराष्ट्रीय कम्पनी की किन्ही चार विशेषताओं का वर्णन करो? (4)

17. ई बैकिंग क्या है? ई-बैकिंग के लाभ लिखिए? (4)

18. लघु उद्योगो की चार समस्याओं का वर्णन कीजिए (4)

19. लाभ को अधिकतम करना व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नही हो सकता। टिप्पणी कीजिए? (4)

20. बाहय सेवाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए? (5)

21. विभागीय भंडार और बहुश्रृंखला दुकानों में अन्तर कीजिए? (5)

22. लाइसैसिंग और फ्रैचाइजिंग का वर्णन कीजिए। इन में अन्तर बताइए? (5)

23. व्यवसाय वर्धन करने के लिए कौन-कौन सी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध है?

टिप्पणी कीजिए। (5)

24. पांच प्रकार के पूर्वाधिकार अंशो का वर्णन कीजिए? (5)

25. प्रतिधारित आय को परिभाषित कीजिए? प्रतिधारित आय के लाभों को लिखिए? (6)

अथवा

अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है?

26. सुपर बाजार क्या है? उनके दो लाभो तथा दो सीमाओं का वर्णन कीजिए? (6)

अथवा

डाक आदेश व्यवसाय के लाभ तथा सीमाएं बताइए

27. संयुक्त पूंजी कम्पनी से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी पांच विशेषताओ का वर्णन कीजिए? (6)

या

व्यवसाय के निम्न प्रकारों के लिए व्यवसाय का उचित प्रारूप कौन सा है और क्यो

(क) ब्यूटी पार्लर (च) शोपिग माल

(ख) होटल (ड़) छोटा फुटकर व्यापार

(ग) बेकरी शांप (च) चार्टड अकांउटेन्सी फर्म

28. व्यावसायिक नीतिशास्त्र से आप क्या समझते है? इसके तत्व क्या है?

या

व्यवसाय निश्चित रूप में एक सामाजिक संस्था है न कि केवल लाभ कमाने की क्रिया 'व्याख्या कीजिए?

प्रस्तावित परियोजना कार्य

1. दस बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम बताइए तथा एक विदेशी एवं एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कम्पनी के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दीजिए :- उनका इतिहास, मुख्यालय, उत्पादित वस्तु और सेवाओं, कार्यरत देश, उत्पादन तथा वितरण तकनीक। विधि आदि।

2. बीमा कम्पनियों द्वारा उपलब्ध विभिन्न बीमा पॉलिसियों की जानकारियों के सम्बन्ध में एक परियोजना तैयार कीजिए तथा विभिन्न बीमा कम्पनियों से सम्बंधित सहित्य इकट्ठा कीजिए?

3. एक वाणिज्यिक बैंक का दौरा कीजिए तथा उसके उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं से संबंधित जानकारी तथा उनके कार्य में रोजाना प्रयोग होने वाले प्रलेखो को इकट्ठा कीजिए?

4. बिग ऐप्पल, 6 टेंन, 365 या बिग बाजार में से किसी भी श्रृंखला भंडार में जा कर उनके द्वार उपभोक्ताओं को उपलब्ध की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं, उनकी कीमत, उनके प्रकार आदि से संबंधित जानकारी इकट्ठी कीजिए तथा भारतीय परिवेक्ष में इनकी संगता के बारे में भी लिखिए।

5. एक सावधिक बाजार का दौरा कर के विभिन्न जानकारी जैसे वहां पर बेचे जाने वाली वस्तुएं, उनकी कीमत, विक्रेताओं द्वारा किया जाने वाला औसत निवेश, उपभोक्ताओं की प्रकृति, उपभोक्ताओं को लाभ तथा विक्रेताओं को होने वाली परेशानियों आदि इकट्ठा कीजिए।